सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार
GOVT. OF HARYANA

हरियाणा सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-ix
प्रस्तावना		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		1-5
भाग-I - विद्युत क्षेत्र		
अध्याय-1 विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	1.1	7
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन	1.2	7-8
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	1.3	8
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.4	9
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	9-11
हरियाणा सरकार के वित्त लेखा से मिलान	1.6	11
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	1.7	11-12
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8 से 1.20	12-25
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.21	25
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.22	26
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 से 1.25	26-27
अध्याय-2 विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा		
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 'टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	29-58
अध्याय-3 विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
माल की खरीद और माल सूची प्रबंधन	3.1	59-70
हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र		
ब्याज का परिहार्य बोझ	3.2	70-72
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
चोरी हो चुके ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान उपभोक्ताओं से कम वसूली	3.3	73
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
श्रमिक कल्याण उपकर की कम वसूली	3.4	74-75

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
भाग- II - गैर-विद्युत क्षेत्र		
अध्याय-4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)		
प्रस्तावना	4.1-4.2	77-78
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	4.3-4.4	78-79
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	4.5	79
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	4.6	79-80
हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	4.7	80-81
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	4.8	81-82
राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	4.9	83
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	4.10	83
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	4.11-4.24	83-94
निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना	4.25	94
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.26-4.27	94-95
अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	4.28	96
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.29 -4.31	96-97
अध्याय-5 गैर-विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
विभागीय स्तर पर टोल का संग्रहण न होना	5.1	99-100
सरकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.2	100-101
संविदा की त्रुटिपूर्ण शर्तों के कारण हानि	5.3	101-102
हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड		
सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति	5.4	102-104
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		
लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.5	104-105
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भण्डारण निगम		
भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाई गई मूल्य कटौती का देरी से दावा/दावा न किया जाना	5.6	105-107
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड		
निष्फल व्यय	5.7	107-108
सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करने के कारण हानि	5.8	108-109

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.	परिशिष्ट-1	1.8, 1.9 तथा 1.13	111
2.	परिशिष्ट-2	2.1.7.2 (i)	112
3.	परिशिष्ट-3	2.1.10.1	113
4.	परिशिष्ट 4	2.1.10.2	114
5.	परिशिष्ट-5	4.3	115-117
6.	परिशिष्ट-6	4.7	118-119
7.	परिशिष्ट-7	4.8.1	120
8.	परिशिष्ट-8	4.11, 4.13 तथा 4.18	121-123
9.	परिशिष्ट-9	4.16	124-125
संकेताक्षरों की शब्दावली		-	127-129

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में मानी गई कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, समय-समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों की पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अध्यधीन हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक समझे गए वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, भी शामिल कर लिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा-मानकों के अनुसार ही लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, ब्याज की हानि, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 4,021.21 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 12 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 28 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (26 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और चार अकार्यरत कंपनियां थी। 31 मार्च 2018 को 32 सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश (प्रदत्त पूंजी, दीर्घावधि ऋण तथा उदय के अंतर्गत अनुदान/परिदान) ₹ 30,683.40 करोड़ था। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान 14 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 16,255.45 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.4, 1.5, 4.6 तथा 4.11)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

28 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से, 24 सा.क्षे.उ. ने सितंबर 2018 तक अपने 35 लेखे प्रस्तुत किए। इनमें से 23 लेखाओं ने ₹ 1,033.64 करोड़ का लाभ दर्शाया तथा 12 लेखाओं ने ₹ 141.47 करोड़ की हानि दर्शाई। आगे, राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी होती है। लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से केवल एक सा.क्षे.उ. ने ₹ 5 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.7, 4.8.1 तथा 4.19)

2. विद्युत क्षेत्र

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

कंपनी को 2013-16 के दौरान ₹ 2,703.69 करोड़ की अतिरिक्त हानि वहन करनी पड़ी क्योंकि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (ए.टी. एवं सी.) हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) के निर्धारित मानकों से अधिक थी। तथापि, कंपनी ने 2016-18 में ए.टी. एंड सी. हानि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(अनुच्छेद 2.1.6.2)

कंपनी ने बिजली अधिनियम के प्रावधानों तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेशों के विरूद्ध महिला उपभोक्ताओं को 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 14.40 करोड़ की रियायत दी (जून 2017)। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना ₹ 6.41 करोड़ की राशि की परिदान वाला टैरिफ प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी, एच.ई.आर.सी. को की जाने वाली राजस्व आवश्यकता अपीलों में इस राशि को शामिल नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 (क) (ख) एवं (ग))

कंपनी ने बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को 1,615.70 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त बिजली आपूरित की, जिसके लिए उनसे कोई राजस्व नहीं वसूला गया तथा कंपनी को 2013-18 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 2.1.7.2 (ii))

कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग जमा (ए.सी.डी.) के रूप में ₹ 935.91 करोड़ की राशि कम वसूल की तथा परिणामस्वरूप बढ़े हुए ऋण पर ₹ 122.05 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.8.5)

कंपनी ने कृषि पंपसेट (ए.पी.) मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली और मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण ₹ 15.02 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 (क, ख एवं घ))

कंपनी मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा यथा निर्धारित संग्रहण दक्षता लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी तथा परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि मार्च 2014 में ₹ 4,460.18 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 7,332.70 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

अध्याय 3 में लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है, जो राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन में उन कमियों को प्रकट करती है, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने ट्रांसफार्मर तेल की खरीद खुली निविदा की बजाए लिमिटेड टेंडर से की, जिसकी वजह से ₹ 5.34 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। एन.ए.बी.एल. सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण कंपनी ₹ 198.54 करोड़ का माल उपयोग नहीं कर सकी। 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी।

(अनुच्छेद 3.1)

हरियाणा ऊर्जा खरीद केन्द्र

- एच.पी.पी.सी. द्वारा इरेडा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में जी.बी.आई. के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने संबंधी कोई दंडात्मक प्रावधान शामिल न करने के कारण बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य खर्च वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.2)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2014 के विरूद्ध बिक्री परिपत्र जारी करने के कारण कंपनी को ₹ 99.48 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

3. गैर-विद्युत क्षेत्र

अध्याय 5 में राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगम के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करने वाली लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने टोल संग्रहण संविदा की प्रदानगी तक विभागीय स्तर पर टोल संग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ के राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.1)

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने ठेकेदारों को सेवा कर की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की और कर प्राधिकारियों के साथ रिफंड का दावा दर्ज करने में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.67 करोड़ का रिफंड नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

- एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने एफ.सी.आई. से प्रतिपूर्ति के दावों के विलंबित प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 2.39 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता वहन की।

(अनुच्छेद 5.6)

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्गनिर्देशित सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करने के कारण कंपनी ने ₹ 2.05 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 5.8)

प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

सामान्य

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) में सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। सा.क्षे.उ. लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, हरियाणा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो सांविधिक निगमों[1] और 30 सरकारी कंपनियों (चार[2] निष्क्रिय[3] सरकारी कंपनियां) सहित कुल 32 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। एक सा.क्षे.उ.[4] स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था। वर्ष के दौरान एक सा.क्षे.उ.[5] को भंग कर दिया गया था।

2. 30 सितंबर 2018 को अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन इस रिपोर्ट में शामिल है। सा.क्षे.उ. की प्रकृति और खातों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1: रिपोर्ट में शामिल सा.क्षे.उ. की प्रकृति

सा.क्षे.उ. की प्रकृति	कुल संख्या	सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे 30 सितंबर 2018 तक बकाया (बकाया कुल लेखे) हैं
		2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2015-16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कंपनियां	26	7	9	7	23	19 (36)
सांविधिक निगम	2	0	2	0	2	2 (2)
कुल कार्यरत सा.क्षे.उ.	**28**	**7**	**11**	**7**	**25**	**21 (38)**
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	4	0	2	0	2	2 (2)
कुल	**32**	**7**	**13**	**7**	**27**	**23 (40)**

30 सितंबर 2018 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 38,935.22 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ 6,08,470.73 करोड़) के 6.40 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 921.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2018 को इनके पास लगभग 26,410 कर्मचारी थे।

1 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम।

2 हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम तथा हरियाणा खनिज लिमिटेड।

3 निष्क्रिय सा.क्षे.उ. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

4 हरियाणा वित्तीय निगम।

5 यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

चार निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में कुल ₹ 22.65 करोड़ का निवेश है, जिसमें ₹ 17.98 करोड़ की पूंजी तथा ₹ 4.67 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण शामिल है। दो सा.क्षे.उ.[6] की परिसमापन प्रक्रिया 14 से 19 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता है।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहले लेखापरीक्षक को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना है और यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा करवा सकते हैं और ऐसी परीक्षण लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या उससे पहले शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होना जारी रहेगा।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) अथवा (7) के प्रावधानों

[6] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित अन्य बातों के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है तथा पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है और तैयार होने के बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है। अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

इसके अलावा, अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

सरकार और विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग पर भी नज़र रखता है। इसके लिए, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारितानुसार राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य

विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में निवेश

7. हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उच्च वित्तीय हिस्सा है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

i) शेयर पूंजी और ऋण - शेयर पूंजी योगदान के अलावा, हरियाणा सरकार समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

ii) विशेष वित्तीय सहायता - हरियाणा सरकार जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अनुदान और परिदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।

iii) गारंटी - हरियाणा सरकार वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

8. 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

सेक्टर का नाम	सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[7] (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	निष्क्रिय	कार्यरत	निष्क्रिय		इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	5	0	0	0	5	16,001.00	6,331.83	22,332.83
वित्त	3	1	1	0	5	286.53	0.00	286.53
सेवा	10	0	0	0	10	53.13	0.00	53.13
मूलभूत संरचना	4	1	0	0	5	202.87	0.00	202.87
अन्य	4	2	1	0	7	20.67	2.37	23.04
कुल	**26**	**4**	**2**	**0**	**32**	**16,564.20**	**6,334.20**	**22,898.40**

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

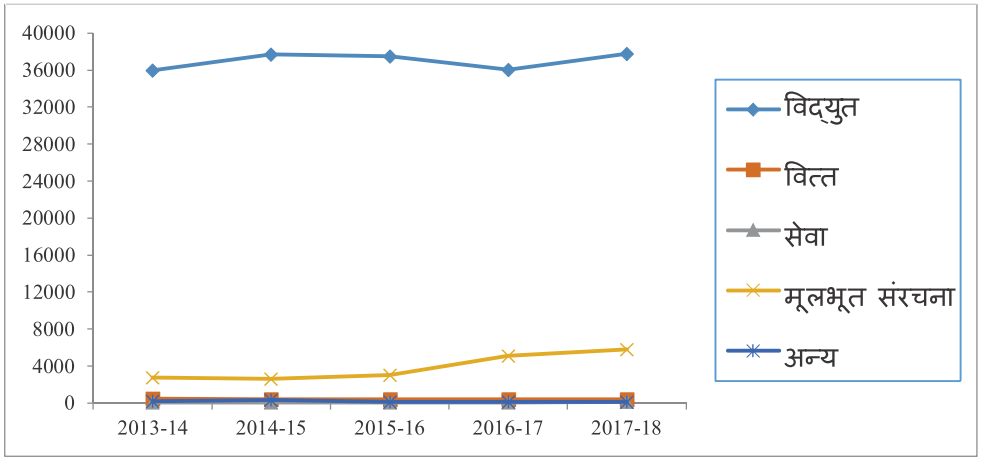
पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। विद्युत क्षेत्र को कुल ₹ 22,898.40 करोड़ के निवेश में से ₹ 22,332.83 करोड़ (97.53 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ।

[7] निवेशों में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

तथापि, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)



विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रतिवेदन के भाग-I[8] में पांच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. और इस प्रतिवेदन के भाग-II[9] में 27 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

[8] भाग-I में अध्याय-1 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली), अध्याय-2 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) तथा अध्याय-3 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन) शामिल हैं।

[9] भाग-II में अध्याय-4 (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली) तथा अध्याय-5 (विद्युत क्षेत्र के अलावा सा.क्षे.उ. से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन) शामिल हैं।

भाग - I

विद्युत क्षेत्र

अध्याय-1

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

भाग-I

अध्याय 1

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

1.1 बिजली क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के लिए विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका में मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों और जी.एस.डी.पी. के टर्नओवर का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.1: हरियाणा के जी.एस.डी.पी. की तुलना में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	22,256.12	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,370.70
हरियाणा का जी.एस.डी.पी.	3,95,747.73	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73
हरियाणा के जी.एस.डी.पी. से टर्नओवर की प्रतिशतता	5.62	6.27	5.98	7.40	5.65

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और जी.एस.डी.पी. के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है और यह 2013-18 की अवधि के दौरान 6.35 प्रतिशत और 24.54 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हरियाणा के जी.एस.डी.पी. में वृद्धि 11.50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान जी.एस.डी.पी. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 11.67 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विविध समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। जी.एस.डी.पी. की 11.67 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरूद्ध विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान मामूली रूप से कम 11.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इससे विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 5.62 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 5.65 प्रतिशत हो गई।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन

1.2 पूववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) का गठन 3 मई 1967 को बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड, राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए जिम्मेदार था। पूर्ववर्ती बोर्ड 1986-87 से घाटे में चल रहा था। 31 मार्च 1993 तक संचित घाटा ₹ 1,358.67 करोड़ था। बोर्ड के परिचालनों में

हानियों के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण अलाभकारी टैरिफ, प्रसारण और वितरण हानियों की उच्च दरें, रियायती दरों पर कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति, इसके थर्मल पावर स्टेशनों में संयंत्र कम भार के थे जिन्होंने वित्तीय स्थिति और विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बिजली अधिनियम, 1948 पूंजी आधार पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम रिटर्न दर (आर.ओ.आर.) निर्धारित करता है, इसके बावजूद बोर्ड एक प्रतिकूल वित्तीय स्थिति में था।

अड़चनों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने बोर्ड के पुनर्गठन और विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना अध्ययन के लिए सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया (1993)। सलाहकार की रिपोर्ट (जुलाई 1995) के आधार पर 14 अगस्त 1998 को हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल. - मार्च 1997 में निगमित) को उत्पादन के कार्य हस्तांतरित करके और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल. - अगस्त 1997 में निगमित) को प्रसारण और वितरण कार्य हस्तांतरित करके पूर्ववर्ती बोर्ड का आखिरकार पुनर्गठन कर दिया गया था। राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली दोनों कंपनियों ने 14 अगस्त 1998 से अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। दूसरी हस्तांतरण स्कीम में, राज्य में वितरण व्यवसाय को दो क्षेत्रों में विभाजित करके वितरण कार्य को एच.वी.पी.एन.एल. से दो वितरण कंपनियों अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. (दोनों मार्च 1999 में निगमित) को हस्तांतरित कर दिया गया। वितरण कंपनियों (एच.वी.पी.एन.एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों) ने 1 जुलाई 1999 से अपना व्यवसाय शुरू किया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बिजली क्षेत्र में चार और कंपनियां - 2008-09 में यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2012-13 में हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल. की सहायक कंपनी), 2014-15 में एच.ए.आर.यू.पी. कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 2016-17 में सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड को क्रमश: ₹ 1.24 करोड़, ₹ 0.01 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 0.10 करोड़ की इक्विटी को मिलाकर संयुक्त उपक्रम के रूप में शामिल किया गया।

हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड और एच.ए.आर.यू.पी. कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रमशः 2014-15 और 2016-17 में बंद हो गई थी। यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने 2017-18 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24 सितंबर 2014 के आदेश द्वारा कोयला ब्लॉक (मारा II महान) को रद्द करने पर कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.3 वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को बिजली क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश[1] का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	कंपनियों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				
		हरियाणा सरकार की इक्विटी	अन्य की इक्विटी	हरियाणा सरकार के दीर्घ अवधि ऋण	अन्यों से ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	1	2,873.46	148.58	0.00	1,800.21	**4,822.25**
विद्युत का प्रसारण	1	2,887.13	13.67	0.00	4,624.42	**7,525.22**
विद्युत का वितरण	2	10,240.41	984.26	6,331.83	4,646.14	**22,202.64**
कुल	**4**	**16,001.00**	**1,146.51**	**6,331.83**	**11,070.77**	**34,550.11**

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक, विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घ अवधि ऋण) ₹ 34,550.11 करोड़ था। निवेश में 49.63 प्रतिशत इक्विटी और 50.37 प्रतिशत दीर्घ अवधि ऋण शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए दीर्घ अवधि ऋणों में कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 36.38 प्रतिशत (₹ 6,331.83 करोड़) संगठित किया, जबकि कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 63.62 प्रतिशत (₹ 11,070.77 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया। हालाँकि, 2015-16 और 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना[2] (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम के बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) का ₹ 25,950 करोड़ (75 प्रतिशत) लिया है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण,

1 निवेश में हरियाणा सरकार और अन्य द्वारा विस्तारित प्रदत्त पूँजी और दीर्घ अवधि ऋण शामिल हैं।

2 डिस्कॉम्ज के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम।

अनुदान/परिदान, बट्टे खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का सारांशित विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के विवरण

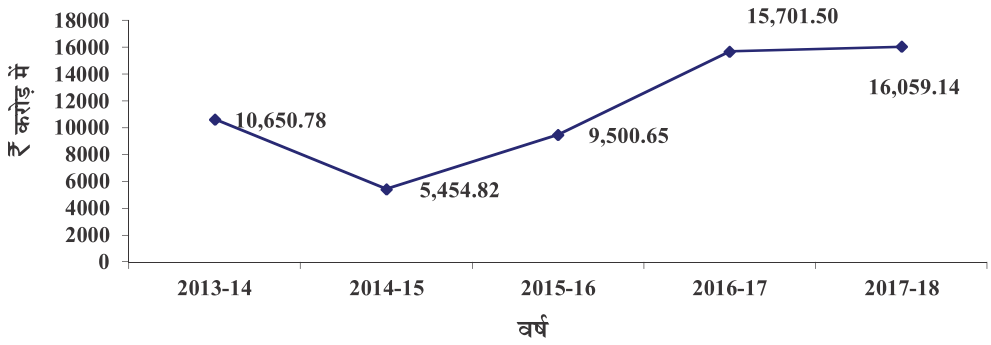
(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
पूंजीगत इक्विटी[3] (i)	4	2,916.92	4	3,225.49	4	10,644.44
दिए गए ऋण (ii)[4]	2	156.83	3	1,974.67	3	550.70
प्रदान किए गए अनुदान/परिदान[5] (iii)	2	6,426.90	3	10,501.35	2	4,864.00
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**9,500.65**		**15,701.51**		**16,059.14**
बट्टे खाते डाले गए ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियां	4	3,804.78	3	87.39	3	263.18
प्रतिबद्ध गारंटियां	4	14,472.72	4	5,563.18	4	4,204.17

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के प्रति बजटीय समर्थन का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.1: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/परिदान के लिए बजटीय सहायता



2013-14 से 2017-18 के दौरान इन सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 5,454.82 करोड़ तथा ₹ 16,059.14 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 16,059.14 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/परिदान के रूप में क्रमश: ₹ 10,644.44 करोड़, ₹ 550.70 करोड़ तथा ₹ 4,864.00 करोड़ शामिल थे। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने भी राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्ज) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उदय स्कीम भी शुरू की (20 नवंबर 2015)।

3 इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त इक्विटी अर्थात् प्रत्येक वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹ 1,297.50 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 5,190.00 करोड़ शामिल हैं।

4 यह 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 12,110 करोड़ और ₹ 3,460 करोड़ के उदय स्कीम के अंतर्गत दिए गए ब्याज वहन करने वाले ऋणों को शामिल नहीं करता है।

5 इसमें 2015-16 और 2016-17 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्राप्त ₹ 3,892.50 करोड़ का अनुदान शामिल है।

उदय स्कीम के प्रावधानों और दो डिस्कॉम्ज द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर इस अध्याय के पैरा संख्या 1.20 के अंतर्गत चर्चा की गई है। ₹ 15,570 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को उदय स्कीम के अंतर्गत 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. द्वारा चुकाया गया और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी में नया अंशदान (₹ 5,190 करोड़) उदय स्कीम के अंतर्गत दो राज्य डिस्कॉम्ज में 2017-18 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। विभिन्न पूंजी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त इक्विटी दी गई थी।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी फीस प्रभारित की जाती है। राज्य सरकार ने दो प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस प्रभारित की। गारंटी प्रतिबद्धता 2015-16 में ₹ 14,472.72 करोड़ से घटकर 2017-18 के दौरान ₹ 4,204.17 करोड़ हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को कोई गारंटी फीस नहीं दी गई थी।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखा से मिलान

1.6 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को ऋण की स्थिति में अंतर थे जैसा कि नीचे बताया गया है:

तालिका 1.4: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	वित्त लेखा 2017-18 के अनुसार ऋण	कंपनी लेखा 2017-18 के अनुसार ऋण	अंतर
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	57.49	0.00	57.49
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	11,631.86	1,294.11	4,005.92
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		6,150.01	
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		181.82	
कुल		**11,689.35**	**7,625.94**	**4,063.41**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के मध्य अंतर जारी है। अंतरों के मिलान का मामला भी समय-समय पर सा.क्षे.उ./विभागों के साथ उठाया गया था। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान करने चाहिए।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2018 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में विद्युत क्षेत्र के पांच उपक्रम थे। वर्ष 2017-18 के लिए इन सभी कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा 30 सितंबर 2018 तक सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखा प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के

30 सितंबर को विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में बकायों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.5: विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	6	5	4	5	5
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	7	5	2	6	8
3.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखे अंतिमकृत किए	4	3	0	2	5
4.	चालू वर्ष के दौरान अंतिमकृत किए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	3	2	2	4	3
5.	लेखाओं में बकाया वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	2	2	4	3	0
6.	लेखाओं में बकाया की संख्या	2	2	4	3	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	-

स्रोत: 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

अब विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लेखाओं को अंतिम रूप देने में कोई बकाया नहीं है।

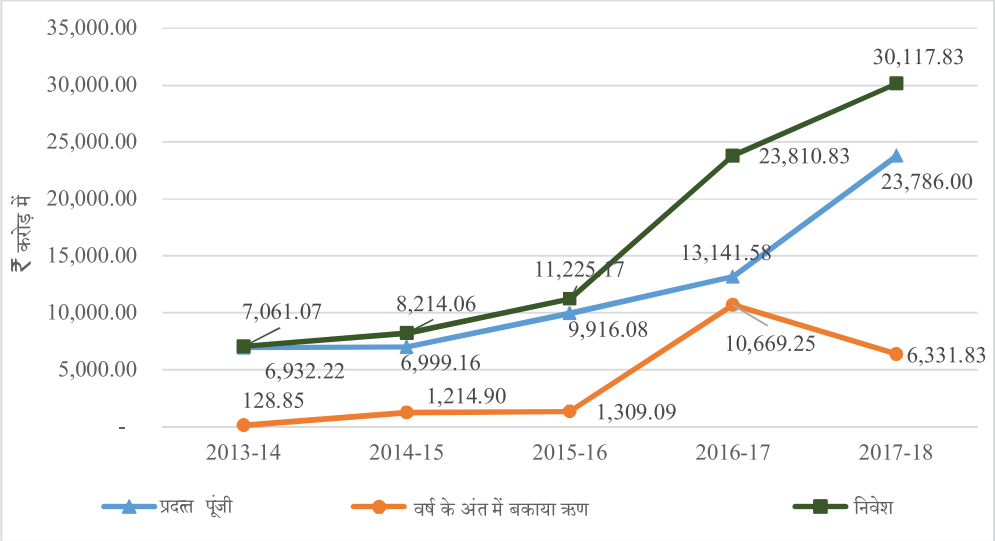
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 30 सितंबर 2018 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों के विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उचित लाभ देने की उम्मीद की जाती है। 31 मार्च 2018 को विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि इक्विटी के रूप में ₹ 24,932.51 करोड़ और दीर्घ अवधि ऋणों के रूप में ₹ 17,402.60 करोड़ को मिलाकर ₹ 42,335.11 करोड़ (₹ 34,550.11 करोड़ + ₹ 7,785 करोड़ उदय स्कीम के तहत अनुदान) थी। इसमें से, हरियाणा सरकार ने विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 23,786.00 करोड़ की इक्विटी और ₹ 6,331.83 करोड़ के दीर्घ अवधि ऋणों को मिलाकर ₹ 30,117.83 करोड़ का निवेश किया है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में इक्विटी और दीर्घ अवधि ऋणों के रूप में हरियाणा सरकार के निवेश की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

चार्ट 1.2: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश



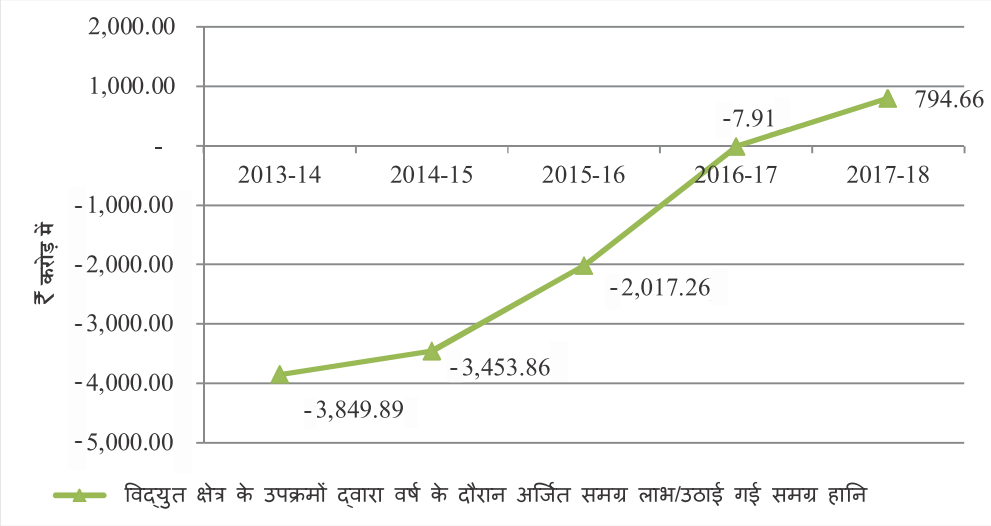
किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न और नियोजित पूंजी पर रिटर्न के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर रिटर्न, एक निश्चित वर्ष में इक्विटी और दीर्घ अवधि ऋण के रूप में निवेश की गई धन राशि से संबंधित लाभ या हानि है और इसे कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूंजी द्वारा ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर रिटर्न, शेयरधारकों की निधि द्वारा कर की कटौती के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके गणना किए गए निष्पादन का एक माप है।

निवेश पर रिटर्न

1.9 निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी कार्यरत उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई

हानि[6] की समग्र स्थिति को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



विद्युत क्षेत्र के इन चार सा.क्षे.उ. द्वारा 2013-14 में उठाई गई ₹ 3,849.89 करोड़ की हानि के विरूद्ध 2017-18 में अर्जित लाभ ₹ 794.66 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के लिए नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार सभी चार सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 794.66 करोड़ ***(परिशिष्ट-1)*** का लाभ अर्जित किया। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियां यू.एच.बी.वी.एन.एल (₹ 278.24 करोड़) और एच.पी.जी.सी.एल. (₹ 231.35 करोड़) थीं।

2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति, जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई, नीचे दी गई है:

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2013-14	4	0	4	0
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	3	1	0
2017-18	4	4	0	0

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न

1.10 राज्य के विद्युत क्षेत्र के पांच उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के केवल चार उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में निधियों का निवेश किया। राज्य सरकार ने सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड[7] में किसी भी प्रत्यक्ष निधि का निवेश नहीं किया। इस कंपनी की संपूर्ण इक्विटी का योगदान जे.वी. पार्टनर्स द्वारा किया गया था।

6 आंकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार हैं।

7 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम।

चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर रिटर्न की गणना हरियाणा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति इस हद तक होती है कि ऋणों को पुनर्भुगतान के निबंधनों और शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/परिदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालाँकि, 2015-16 से 2017-18 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए अनुदान को निवेश के रूप में माना गया है क्योंकि यह अनुदान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय डिस्कॉम्ज के ऋण लेने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था। इसलिए, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की तुलना, दोनों तरह से दी गई है, अर्थात् उदय स्कीम के अंतर्गत अनुदान को निवेश के रूप में मानने के बाद और ऐसे अनुदान को निवेश के रूप में विचार किए बिना।

विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश इक्विटी पर विचार करके (प्रारंभिक इक्विटी सा.उ.क्षे. को हस्तांतरित प्रारंभिक शेष संचित हानियों का निवल और बाद के वर्षों के दौरान निवेश की गई इक्विटी) और ब्याज मुक्त ऋण, यदि कोई हो, को जोड़कर किया गया है। विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 23,554.10 करोड़ (₹ 23,786 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़) था और ऋणों को लेखे में नहीं लेना था क्योंकि ₹ 231.90 करोड़ की आरंभिक संचित हानियों के समायोजन के बाद ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2017-18 के अंत में सभी ऋण ब्याज वाले ऋण थे)।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर रिटर्न नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7: ऐतिहासिक लागत आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत आधार पर इक्विटी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त निधियां (प्रारंभिक संचित हानि का शुद्ध) (₹ करोड़ में)	वर्ष के कुल अर्जन/हानियां (₹ करोड़ में)	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2013-14	6,700.32	-3,849.89	-57.46
2014-15	6,767.26	-3,453.86	-51.04
2015-16	9,684.18	-2,017.26	-20.83
2016-17	12,909.68	-7.91	-0.06
2017-18	23,554.10	794.66	3.37

विद्युत क्षेत्र के चार सा.क्षे.उ. में निवेश पर रिटर्न में मुख्यत: उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त परिदान के माध्यम से दो डिस्कॉम्ज की आय में वृद्धि के कारण 2013-14 में -57.46 प्रतिशत से 2016-17 में -0.06 प्रतिशत और 2017-18 के दौरान पुन: 3.37 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर

1.11 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य सरकार के नजरिए से ऐसे निवेश पर रिटर्न जरूरी है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न की पारंपरिक गणना निवेश पर रिटर्न की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। सरकारी निवेशों के वर्तमान मूल्य की गणना निवेशों के ऐतिहासिक लागत की तुलना में राज्य के सार्वजनिक

उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न की दर का आकलन करने के लिए की गई है। 31 मार्च 2018 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य पर लाने के उद्देश्य से राज्य सा.क्षे.उ. में हरियाणा सरकार द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-दर-वर्ष औसत दर पर संयोजित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई थी जहां इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था। हालांकि, चार सा.क्षे.उ. में वर्ष 2017-18 के दौरान केवल निवेश पर सकारात्मक रिटर्न मिला। इसलिए, केवल 2017-18 के लिए, निवेश पर रिटर्न की गणना की गई है और वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है जिसमें उदय स्कीम के हिस्से के रूप में दी गई परिदान और इस तरह की परिदान शामिल नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- उन मामलों में जहां सा.क्षे.उ. को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है। अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई निधियों को उदय स्कीम के अंतर्गत दी गई परिदान के मामले में छोड़कर कोई निवेश नहीं किया गया है जैसा कि पैरा 1.10 में संदर्भित है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[8] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है। ।

2013-14 (चार कंपनियों), 2014-15 (तीन कंपनियों), 2015-16 (तीन कंपनियों), 2016-17 (केवल एक कंपनी) की अवधि के लिए, जब इन कंपनियों को नुकसान हुआ था, निष्पादन का एक और अधिक उपयुक्त उपाय है घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण। कंपनी के निवल मूल्य के क्षरण पर टिप्पणी अनुच्छेद 1.13 में दी गई है।

1.12 31 मार्च 2018 तक इन कंपनियों की स्थापना के बाद से विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति नीचे दी

[8] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

गई तालिका में इंगित की गई है:

तालिका 1.8: 1999-2000 से 2017-18 तक राज्य सरकार और सरकारी निधियों के वर्तमान मूल्य द्वारा निवेश के वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन
1	2	3	4	5=(2+3)	6=5x(1+4)/100	7=5x4/100	8
1999-2000		448.11*	12.05	448.11	502.11	54.00	-445.55
2000-01	502.11	265.00	11.40	767.11	854.56	87.45	-221.63
2001-02	854.56	38.71	10.50	893.27	987.06	93.79	-182.55
2002-03	987.06	97.36	10.74	1,084.42	1,200.89	116.47	26.48
2003-04	1,200.89	112.27	10.20	1,313.16	1,447.10	133.94	239.68
2004-05	1,447.10	162.93	8.49	1,610.03	1,746.72	136.69	-371.08
2005-06	1,746.72	359.29	8.95	2,106.01	2,294.50	188.49	-377.65
2006-07	2,294.50	777.80	9.20	3,072.30	3,354.95	282.65	-416.21
2007-08	3,354.95	930.16	7.43	4,285.11	4,603.49	318.38	-649.10
2008-09	4,603.49	855.72	7.82	5,459.21	5,886.12	426.91	-1,246.5
2009-10	5,886.12	898.82	9.29	6,784.94	7,415.27	630.32	-1,460.84
2010-11	7,415.27	882.18	9.22	8,297.45	9,062.47	765.02	-592.08
2011-12	9,062.47	573.35	9.73	9,635.82	10,573.39	937.57	-10,194.26
2012-13	10,573.39	198.62	9.86	10,772.01	11,834.13	1,062.12	-3,833.76
2013-14	11,834.13	100.00	9.83	11,934.13	13,107.25	1,173.12	-3,849.89
2014-15	13,107.25	66.94	9.33	13,174.19	14,403.34	1,229.15	-3,453.86
2015-16	14,403.34	1,619.42	8.64	16,022.76	17,407.13	1,384.37	-2,017.26
2016-17	17,407.13	1,927.99	8.00	19,335.12	20,881.93	1,546.81	-7.91
2017-18	20,881.93	5,454.43	8.10	26,336.36	28,469.60	2,133.25	794.66
कुल		**15,769.10**					

* *सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 680.01 करोड़ से ₹ 231.90 करोड़ की कम प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानि के बराबर राशि। कॉलम संख्या 3 और 8 के संबंध में सूचना संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित है।*

वर्ष के अंत में इन चार कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 448.11 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा देय इक्विटी - ₹ 680.01 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ का प्रारंभिक अवशिष्ट संचित घाटा) से बढ़कर 2017-18 में ₹ 15,769.10 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में ₹ 15,320.99 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 28,469.60 करोड़ परिकलित किया गया।

यह देखा जा सकता है कि इन कंपनियों से संबंधित वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2016-17 तक की कुल आय ऋणात्मक रही जो यह संकेत देती है कि सरकार अपनी निधियों की लागत नहीं वसूल सकी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के लिए कुल सकारात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे।

सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय इन डिस्कॉम्ज के ऋण लेने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत 2015-16 और 2016-17 में प्रत्येक डिस्कॉम को ₹ 3,892.50 करोड़ का अनुदान भी दिया है। यदि हम इस अनुदान को राज्य सरकार के निवेश के रूप में मानते हैं, तो निवेश पर रिटर्न और कम हो जाएगा। 2017-18 के दौरान निवेशों पर आय का

ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य पर तुलनात्मक विवरण उदय स्कीम के परिदान राशि को शामिल करके एवं शामिल न करके दोनों तरह से नीचे दिया गया है:

तालिका 1.9: राज्य सरकार की निधियों पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल अर्जन/ हानि(-)	इक्विटी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुए राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
उदय के बिना	794.66	15,769.10	5.04	28,469.60	2.79
उदय सहित	794.66	23,554.10	3.37	37,951.07	2.09

2017-18 के दौरान रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न ऐतिहासिक लागत पर आधारित रिटर्न की तुलना में कम था। 2017-18 के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न 5.04 प्रतिशत था जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न 2.79 प्रतिशत था। हालांकि, यदि हम उदय स्कीम के अंतर्गत दिए गए अनुदान को भी निवेश के रूप में मानते हैं, तो ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न 3.37 प्रतिशत से घटकर वर्तमान मूल्य के आधार पर 2.09 प्रतिशत हो गई।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष घटाकर संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय। अनिवार्य रूप से यह एक माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹ 17,147.50 करोड़ के पूंजी निवेश के विरूद्ध ₹ 29,302.90 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.02 करोड़ ***(परिशिष्ट-1)*** के स्थगित राजस्व व्यय घटाने के बाद ₹ 12,155.38 करोड़ की नकारात्मक निवल राशि रही। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 9,639.10 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 8,726.44 करोड़) का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया।

निम्न तालिका 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि और निवल मूल्य को इंगित करती है:

तालिका 1.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष	संचित लाभ/हानि	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	8,236.61	-	-25,042.76	0.00	-16,806.15
2014-15	8,370.48	-	-29,173.23	0.02	-20,802.77
2015-16	11,322.28	-	-29,122.79	0.01	-17,800.52
2016-17	11,675.82	-	-30,082.91	0.01	-18,407.10
2017-18	17,147.50	-	-29,302.90	0.02	-12,155.42

राज्य सरकार ने 2013-18 की अवधि के दौरान पर्याप्त इक्विटी देकर विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। हालांकि, पर्याप्त पूंजी देने के बावजूद, इन विद्युत कंपनियों का संचित घाटा 2013-14 में ₹ 25,042.76 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 29,302.90 करोड़ हो गया और इन कंपनियों में निवेश की गई समग्र पूंजी का ह्रास हो गया। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान, हालांकि विद्युत क्षेत्र की कंपनियों ने ₹ 794.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया, लेकिन संचित घाटे के कारण इन कंपनियों का निवल मूल्य नकारात्मक (₹ 12,155.42 करोड़) था।

2013-14 से 2017-18 के दौरान चार[9] सा.क्षे.उ. में से, दो[10] सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य नकारात्मक था और दो[11] सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य सकारात्मक था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान दो[12] सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान दो[13] सा.क्षे.उ. के संबंध में यह उतार-चढ़ाव वाली है।

लाभांश भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्तूबर 2003) जिसके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित है। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां अवधि के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी का उपयोग किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.11: 2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ. जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्त की गई (प्रारंभिक संचित हानि के समायोजन के बिना)		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित किया/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	4	6,932.22	-	0	-	0	0
2014-15	4	6,999.16	1	2,900.24	-	0	0
2015-16	4	8,618.58	1	2,949.04	-	0	0
2016-17	4	10,546.57	2	5,617.59	-	0	0
2017-18	4	16,001.00	4	16,001.00	-	0	0

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 11.96 करोड़ और ₹ 278.24 करोड़ के मध्य लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से किसी भी सा.क्षे.उ. ने हरियाणा सरकार को लाभांश घोषित नहीं किया/भुगतान नहीं किया।

9 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

10 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

11 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

12 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

13 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

चार कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार 2017-18 के दौरान ₹ 794.66 करोड़ (ब्याज और करों के बाद) का कुल लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी लाभांश पर विचार नहीं किया।

इक्विटी पर रिटर्न

1.15 इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हैं।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर रिटर्न की गणना विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.12: विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों, जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	वर्ष की निवल आय/कुल अर्जन[14] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2013-14	-3,849.89	-16,806.15	-
2014-15	-3,453.86	-20,802.73	-
2015-16	-2,017.26	-17,800.50	-
2016-17	-7.91	-18,407.08	-
2017-18	794.66	-12,155.38	-

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान, निवल आय केवल 2017-18 के दौरान सकारात्मक थी, हालांकि, सभी पांच वर्षों के दौरान शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी। चूंकि 2013-14 से 2016-17 के दौरान इन सा.क्षे.उ. की निवल आय और सभी वर्षों के लिए शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी, इसलिए इन सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न परिकलित नहीं किया जा सका। हालांकि, शेयरधारकों की नकारात्मक निधि से संकेत मिलता है कि इन सा.क्षे.उ. की देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं।

[14] संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न

1.16 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है।

आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[15] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी चार उपक्रमों के आर.ओ.सी.ई. का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2013-14	18,973.98	177.65	0.94
2014-15	19,836.80	1,500.43	7.56
2015-16	15,658.97	4,125.81	26.35
2016-17	10,549.65	1,723.04	16.33
2017-18	5,247.18	3,943.18	75.15

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का आर.ओ.सी.ई. 0.94 प्रतिशत और 75.15 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान आर.ओ.सी.ई. में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुख्य रूप से ऋण लेने और उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान प्रदान करने के कारण वित्त लागत में कमी आई है।

कंपनियों के दीर्घ अवधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कंपनियों द्वारा ऋण देने की क्षमता का आकलन करने के लिए कंपनियों, जिन्होंने 2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया, के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज आवृत अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज आवृत अनुपात

1.18 ब्याज आवृत अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से नीचे ब्याज आवृत अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा नहीं कर

[15] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

रही थी। विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों, जिनमें 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ब्याज भार था, में ब्याज आवृत अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं:

तालिका 1.14: ब्याज आवृत अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	1 से अधिक ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2013-14	3,929.76	177.65	4	0	4
2014-15	3,471.80	1,500.43	4	1	3
2015-16	4,531.25	4,125.81	4	2	2
2016-17	3,134.92	1,723.04	4	3	1
2017-18	2,673.69	3,943.18	4	4	0

यह देखा जा सकता है कि जहां वर्ष 2013-14 में एक से अधिक की ब्याज आवृत अनुपात वाली विद्युत क्षेत्र की कोई कंपनी नहीं थी, वहीं 2017-18 में सभी चार कंपनियों में एक से अधिक का ब्याज आवृत अनुपात था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.19 पिछले पांच वर्षों के दौरान, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 11.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और 2017-18 में दीर्घावधि ऋण घटकर ₹ 17,402.60 करोड़ हो गया, जिसके कारण ऋण-दर अनुपात 2013-14 में 1.61:1 से सुधरकर 2017-18 में 0.51:1 हो गया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.15: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य से ऋण (बैंक और वित्तीय संस्थान)	35,780.12	24,339.52	33,459.49	28,956.75	17,402.60
टर्नओवर	22,256.12	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,371.00
ऋण-टर्नओवर अनुपात	1.61:1	0.88:1	1.14:1	0.90:1	0.51:1

स्रोत: ***परिशिष्ट-I*** के आधार पर संकलित।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

1.20 विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय स्कीम) का शुभारंभ किया (20 नवंबर 2015)। उदय स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

परिचालन क्षमता में सुधार के लिए स्कीम

1.20.1 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को अनिवार्य फीडर और वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी.टी.) मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण और घाटे की जी.आई.एस. मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटरों के उन्नयन या बदलने, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड प्रबंधन, टैरिफ का संशोधन,

जैसी विभिन्न लक्षित गतिविधियां करने की आवश्यकता थी। इनके साथ-साथ व्यापक उपभोक्ता सूचना, शिक्षा और संचार अभियान बिजली की चोरी रोकने, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन देता है जहां परिचालन क्षमता में सुधार के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (ए.टी. एंड सी.) हानि को कम किया गया है। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके अर्थात् फीडर और डी.टी. स्तर पर नुकसान को ट्रैक करने की क्षमता, हानि उठाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान को कम करना, आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि। परिचालन सुधार के परिणामों को संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) और राज्यों द्वारा अंतिम रूप से नुकसान की कमी प्रक्षेप पथ के अनुसार 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानि में 15 प्रतिशत की कमी, 2019-20 तक आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के मध्य अंतर में शून्य तक कमी।

वित्तीय बदलाव की स्कीम

1.20.2 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम्ज का 75 प्रतिशत 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत बकाया ऋण लेना अपेक्षित था। वित्तीय बदलाव की स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान हैं:

- राज्य *'गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात'* नॉन-एस.एल.आर. बांड जारी करेगा और ऐसे बांडों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम में हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। ऐसे जारी किए गए बांडों में 10-15 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें 5 साल तक की अधिस्थगन अवधि में मूलधन चुकाने की मोहलत होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता के साथ तथा इसके बाद उच्च लागत के ऋण को लिया जाएगा।
- 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम में हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा, जो डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ तीन वर्षों में दिया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय स्कीम का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

क. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

दो राज्य डिस्कॉम्ज से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में उदय स्कीम के

अंतर्गत उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.16: 31 दिसंबर 2018 तक मानदंड-वार उपलब्धियों की तुलना में परिचालनात्मक निष्पादन के लक्ष्य

उदय स्कीम का मानदंड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	1,365	2,014	147.55
ग्रामीण	1,621	2,513	155.03
वितरण ट्रांसफार्मर पर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	2,79,420	50,154	17.95
ग्रामीण	4,78,120	63,744	13.33
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	3,536	3,536	100.00
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,621	2,076	128.07
असंबद्ध घर को बिजली (संख्या लाख में)	49,18,000	45,58,000	92.68
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	4,31,797	6,583	1.52
200 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर तथा 500 के.डब्ल्यू.एच. तक स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	8,22,747	3,857	0.47
एल.ई.डी. उजाला का वितरण (संख्या में)	2,14,00,000	1,55,89,000	72.85
ए.टी. एंड सी. हानि (प्रतिशत में)	15	15.55 से 24.06[16]	
ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर (₹ प्रति यूनिट)	-0.12	-0.03 से 0.11[17]	
परिदान सहित निवल आय या लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-456	1,197.94	100

स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी.टी.) में मीटरिंग में राज्य का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था। स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू नहीं हुआ था जबकि फीडर पृथक्करण और फीडर मीटरिंग, असंबद्ध घरों को बिजली प्रदान करने और एल.ई.डी. के वितरण के क्षेत्रों में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अर्थात् 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानि को 15 प्रतिशत तक सीमित करना, अभी भी हासिल किया जाना था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2018 तक उदय स्कीम के अंतर्गत दो राज्य डिस्कॉम्ज द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के बीच राज्य को पांचवां स्थान दिया था।

ख. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.20.4 विद्युत मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राज्य डिस्कॉम (अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (11 मार्च 2016)। उदय स्कीम और त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को राज्य के दो डिस्कॉम से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) में से हरियाणा सरकार ने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान नीचे दिए गए

[16] 31 दिसंबर 2018 को यू.एच.बी.वी.एन.एल. की ए.टी. एंड सी. हानि: 24.06 प्रतिशत और डी.एच.बी.वी.एन.एल. की 15.55 प्रतिशत।

[17] 31 दिसंबर 2018 को यू.एच.बी.वी.एन.एल. का ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर ₹ 0.11 प्रतिशत प्रति यूनिट और डी.एच.बी.वी.एन.एल. का ₹ - 0.03 प्रतिशत प्रति यूनिट था।

विवरण के अनुसार ₹ 2,595 करोड़ रुपये की इक्विटी और ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान प्रदान करके ₹ 25,950 करोड़ का कुल ऋण लिया:

तालिका 1.17: उदय स्कीम का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	कुल
2015-16	1,297.50	12,110.00	3,892.50	**17,300.00**
2016-17	1,297.50	3,460.00	3,892.50	**8,650.00**
कुल	**2,595.00**	**15,570.00**	**7,785.00**	**25,950.00**
2017-18	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
31 मार्च 2018 को स्थिति	**7,785.00**	**10,380.00**	**7,785.00**	**25,950.00**

उदय स्कीम के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से 2015-16 और 2016-17 के दौरान ₹ 7,785 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम द्वारा ₹ 5,190 करोड़ का ऋण चुकाया गया था।

डिस्कॉम्ज ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर अक्तूबर 2015 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹ 2,760.18 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। हरियाणा सरकार द्वारा ऋण 8.06 से 8.21 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ प्रतिवर्ष दिए गए थे।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.21 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों ने 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अपने छः लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किए। इन सभी लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.18: विद्युत क्षेत्र की कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	108.03	1	13.06	0	0
2	लाभ में वृद्धि	0	0	1	79.68	3	714.78
3	हानि में वृद्धि	3	1,027.61	2	127.1	1	3,428.35
4	हानि में कमी	0	0	1	380.23	2	304.46
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	1	1,022.01	0	0	0	0
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	3	1,050.34	2	652.09	0	0

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखाओं पर परिमित प्रमाण-पत्र, एक लेखे पर अपरिमित प्रमाण-पत्र और एक लेखे पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र जारी किए थे। यह ध्यान में रखने के बाद नि.म.ले.प. की शर्तों के प्रभाव से वर्ष 2017-18 के लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. का लाभ ₹ 53.77 करोड़ की हानि में बदल गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग-I के लिए 'दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा टैरिफ बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और चार अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। राज्य सरकार से तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (मई 2019) हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 4,000.74 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 1.19: सा.क्षे.उ. विद्युत क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 नवंबर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2014-15	14.03.2016	1	8	-	-
2015-16	27.02.2017	1	9	-	6
2016-17	14.03.2018	-	13	-	10

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

2015-16 के छः अनुच्छेदों और 2016-17 के दस अनुच्छेदों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.24 30 नवंबर 2018 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुच्छेदों की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.20: 30 नवंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	1	8	1	8
2015-16	1	9	-	-
2016-17	-	13	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

विद्युत क्षेत्र के लिए 2014-15 के संबंध में चर्चा पूरी हो गई है।

लोक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.25 मार्च 2016 और मार्च 2018 के मध्य राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपू के तीन प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 नवंबर 2018) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.21: कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2015-16	1	4	1 (पैरा सं. 14)
2016-17	1	7	7 (पैरा सं. 1 से 7)
2017-18	1	8	8 (पैरा सं. 3 से 7 एवं 11 से 13)
कुल	**3**	**19**	**16**

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं जो 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुए थे।

अध्याय-2

विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

2. विद्युत क्षेत्र

2.1 निष्पादन लेखापरीक्षा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) 15 मार्च 1999 को निगमित हुई थी तथा यह हरियाणा के दक्षिणी भागों में बिजली वितरित करती है। कंपनी का उद्देश्य कुशल, समन्वित और मितव्ययी बिजली वितरण प्रणाली विकसित करना एवं उनका रख-रखाव करना है तथा बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करना है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

मुख्यांश

कंपनी को 2013-16 के दौरान ₹ 2,703.69 करोड़ की अतिरिक्त हानि वहन करनी पड़ी क्योंकि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानकों से अधिक थी। तथापि, कंपनी ने 2016-18 में ए.टी. एंड सी. हानि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(अनुच्छेद 2.1.6.2)

कंपनी ने बिजली अधिनियम के प्रावधानों तथा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों के उल्लंघन में महिला उपभोक्ताओं को 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 14.40 करोड़ की रियायत की अनुमति दी (जून 2017)। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बिना ₹ 6.41 करोड़ की राशि के परिदान वाला टैरिफ प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप यह हरियाणा विद्युत नियामक आयोग को अपनी कुल राजस्व आवश्यकता अपीलों में इस राशि को शामिल नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 (क) (ख) एवं (ग))

कंपनी ने बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को 1,615.70 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त बिजली आपूरित की, जिसके लिए उनसे कोई राजस्व नहीं वसूला गया तथा कंपनी को 2013-18 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 2.1.7.2 (ii))

कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग जमा (ए.सी.डी.) के रूप में ₹ 935.91 करोड़ की राशि कम वसूल की तथा परिणामस्वरूप बढ़े हुए ऋण पर ₹ 122.05 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.8.5)

कंपनी ने कृषि पंपसेट मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली और मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण ₹ 15.02 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 (क, ख एवं घ))

कंपनी मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा यथा निर्धारित संग्रहण दक्षता लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी तथा परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि मार्च 2014 में ₹ 4,460.18 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 7,332.70 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

2.1.1 प्रस्तावना

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) 15 मार्च 1999 को निगमित की गई थी तथा यह राज्य के दक्षिणी जिलों[1] में बिजली वितरित करती है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत कुल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) के आधार पर हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा टैरिफ नियत किया जाता है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को विद्युत के विक्रय का कार्य कंपनी के निर्देशक (परिचालन) के अधीन है जो वितरण नेटवर्क के स्थापन, परिचालन एवं रख-रखाव और राजस्व के बिलिंग एवं संग्रहण को मॉनीटर भी करता है। बैंकों में एकत्रित राजस्व का वित्तीय सलाहकार द्वारा समाधान किया जाता है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती, विश्वसनीय और सतत बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है;
- ए.आर.आर. में सही और समय पर प्रस्ताव बनाकर बिजली प्रदान करने की लागत वसूल की जा रही है;
- मीटरिंग और बिलिंग का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया था;
- राजस्व का संग्रहण और लेखांकन मितव्ययितापूर्वक और कुशलतापूर्वक किया गया था; तथा
- बिलिंग और संग्रहण गतिविधि में जोखिम के उन्मूलन के लिए पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं।

[1] भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, नारनौल, नूंह, पलवल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन लेखापरीक्षा मानदंड के विरूद्ध किया जा रहा है जिनके स्रोत निम्नलिखित हैं:

- बिजली अधिनियम, 2003 तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी टैरिफ आदेश एवं निर्देश/अनुदेश;
- राजस्व के संग्रहण, इसके लेखा-जोखा तथा चोरियों की रोकथाम से संबंधित एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी आदेश/कंपनी के परिपत्र एवं अनुदेश;
- एच.ई.आर.सी./कंपनी द्वारा नियत बिलिंग और संग्रहण कुशलता के लक्ष्य, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियां और सतर्कता जांच के मानक; तथा
- हरियाणा सरकार की म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम तथा उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

मार्च 2014 तक कंपनी का उपभोक्ता आधार 28.33 लाख था जो मार्च 2018 में बढ़कर 32.91 लाख (घरेलू 25.95 लाख, गैर-घरेलू 3.09 लाख, कृषि पंपसेट 3.13 लाख और अन्य 0.74 लाख) हो गया था। नवंबर 2017 से मई 2018 तक की गई लेखापरीक्षा में 2013-18 के दौरान टैरिफ प्रस्ताव, कनेक्शनों के निर्गम तथा बेची गई ऊर्जा के लिए मीटरिंग, बिलिंग तथा राजस्व के संग्रहण से संबंधित कंपनी की गतिविधियों का परीक्षण शामिल था। लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय में तथा 11 परिचालन परिमंडलों में से छ:[2] परिचालन परिमंडलों में अनुरक्षित अभिलेखों का स्ट्रैटीफाइड रेंडम सेंपलिंग मैथड[3] के माध्यम से चयन किया गया था। चयनित परिचालन परिमंडलों में 17 परिचालन डिवीजन और 32 सब-डिवीजन शामिल थे। यह निर्धारित किए गए राजस्व के 78.44 प्रतिशत के लिए परिगणित किया गया तथा कंपनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान 79.09 प्रतिशत राजस्व वसूल किया गया। उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा का इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एंड एनालाइसिस (आईडिया) साफ्टवेयर का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण के परिणाम कंपनी द्वारा यथा आपूरित डाटा पर आधारित हैं तथा लेखापरीक्षा इस डाटा के आधार पर बनाए गए परिणामों के किसी गलत विवरण का उत्तरदायित्व नहीं लेती। लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर एंट्री कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श (जनवरी 2018) किया गया था। सभी लेखापरीक्षा परिणाम कंपनी और सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2018) किए गए थे तथा एग्जिट कांफ्रेंस में विचार-विमर्श (जुलाई 2018) किया गया था जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ऊर्जा विभाग तथा कंपनी के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक ने भाग लिया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय कंपनी तथा सरकार द्वारा व्यक्त विचारों को भी ध्यान में रखा गया है।

[2] भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम-II, हिसार, रेवाड़ी तथा सिरसा।

[3] विभाजन, 2012-17 के दौरान बिल बनाए गए राजस्व के आधार पर किया गया था तथा तीन स्तर बनाए गए थे। आइडिया टूल का उपयोग करके एक परिमंडल न्यूनतम से, दो परिमंडल अधिकतम से तथा तीन परिमंडल मध्यम स्तर से चयन किए गए थे।

सहयोगी कंपनी अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की इस गतिविधि की 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में समीक्षा की गई थी। इस प्रतिवेदन पर अभी (नवंबर 2018) तक कोपू द्वारा चर्चा नहीं की गई है।

2.1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6.1 वित्तीय निष्पादन

गत पांच वर्षों के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

तालिका 2.1.1: वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	प्रदत्त पूंजी	1,439.13	1,459.12	2,537.94	2,648.74	5,063.93
2	लंबी अवधि ऋण	10,235.5	13370.58	12144.24	7622.04	5311.72
3	संचित हानियां	-10,726.59	-12,719.03	-13,190.61	-13,951.74	-13,790.39
4	आरक्षित	1,057.88	1,105.51	2,955.79	5,080.91	5,257.96
5	कुल राजस्व	11,454.06	13,400.87	15,170.03	15,628.57	16,912.33
6	कुल व्यय	13,542.71	14,037.03	15,641.61	15,616.61	16,778.21
7	वित्तीय लागत	991.69	950.50	1,772.19	959.74	779.91
8	वर्ष का लाभ/हानि	-2,088.65	-636.16	-471.58	11.96	134.12
9	शुद्ध संपत्ति (1+3)	-9,287.46	-11,259.91	-10,652.67	-11,303.00	-8,726.46
10	ऋण आवर्त (2/5)	0.89	1.00	0.80	0.49	0.31

कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 तक अपने परिचालनों में हानियां उठा रही थी। तथापि, इसने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में लाभ सूचित किए। यह आंशिक रूप से कंपनी की बेहतर संचालन क्षमता के कारण था, जो ए.टी. एंड सी. हानियों की कमी में प्रतिबिंबित थी और उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कंपनी के ऋण लेने के परिणामस्वरूप वित्तीय लागत में कमी आयी थी। कंपनी का निवल मूल्य 2014-18 के दौरान भारी संचित घाटे के कारण नकारात्मक रहा।

उदय स्कीम में प्रावधान है कि राज्य सरकारें वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) के उधारों का 75 प्रतिशत अपने पास लेंगी, परिदान, इक्विटी के सभी बकाया देयों का भुगतान करेंगे और उपयोगिताओं की ईंधन अधिभार समायोजन करेंगी तथा सरकारी विभागों के बकाया बिजली देयों का भुगतान करेंगी। डिस्कोम्ज को परिचालनात्मक दक्षता सुधारने के लिए स्कीम में सभी त्रुटिपूर्ण एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने, ट्रांसफार्मरों के अपग्रेडेशन या बदलने, नियमित टैरिफ पुनरीक्षणों तथा बिजली की चोरी को कम करने के लिए व्यापक जांचों, इत्यादि जैसे उपायों का प्रावधान किया गया है। परिचालनात्मक सुधारों का परिणाम 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानियों में 15 प्रतिशत तक कमी तथा बिजली की आपूर्ति की औसत लागत और वसूल किए गए औसत राजस्व के मध्य अंतर को कम करके और अंततः उन्मूलन के माध्यम से मापा जाना था।

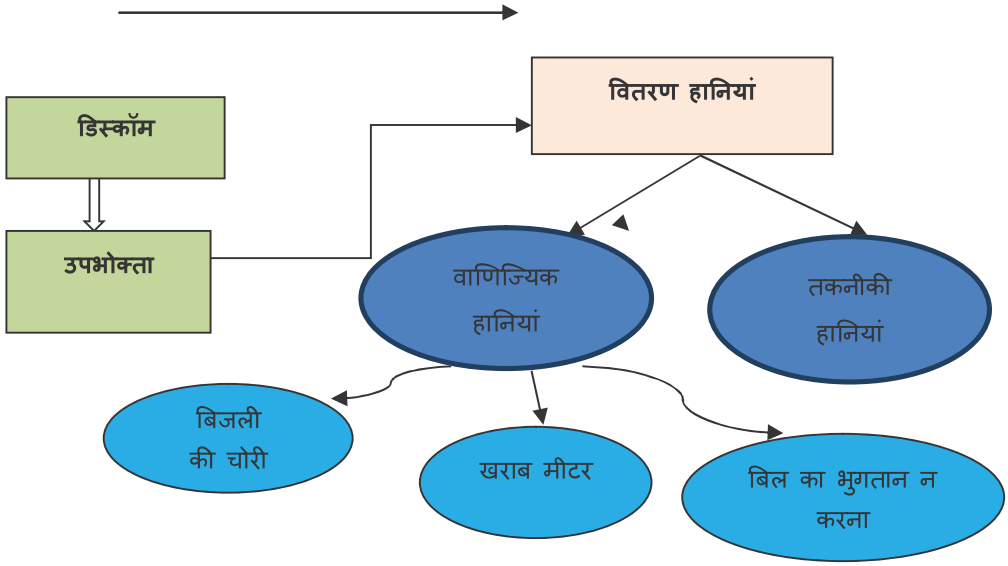
हरियाणा सरकार ने स्कीम को सहमति दी (मार्च 2016) और (विद्युत मंत्रालय) भारत सरकार और राज्य डिस्कोम्ज के साथ त्रिपक्षीय करार में शामिल हुई तथा 30 सितंबर 2015 को दो वर्षों के डिस्कोम्ज के उधारों का 75 प्रतिशत अपने पास लिया। राज्य सरकार ने

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान (2015-16 में ₹ 6,725.02 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 3,362.51 करोड़) ₹ 10,087.53 करोड़[4] के उधार अपने पास लिए जिससे 2015-16 की तुलना में वित्तीय लागत[5] 2016-17 में ₹ 812.45 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 992.28 करोड़ तक नीचे आई।

कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 तक अपने परिचालनों में घाटा उठा रही थी। तथापि, इसने वर्ष 2016-17 और 2017-18 में लाभ दर्ज किया। यह आंशिक रूप से कंपनी की उन्नत परिचालनात्मक दक्षता, जोकि ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी में प्रतिबिंबित हुई के कारण तथा उदय स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहनों के हिस्से के रूप में राज्य सरकार द्वारा कंपनी के ऋण लेने और वित्तीय लागत में परिणामी कमी के कारण भी था।

2.1.6.2 कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

विद्युत का उपभोक्ता तक प्रसारण होने में विभिन्न कारणों से विद्युत का क्षय होता है:



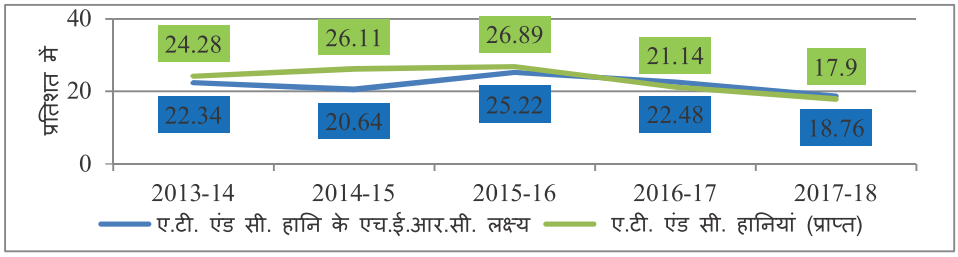
नीचे दिए गए चार्ट में एच.ई.आर.सी. द्वारा कंपनी के लिए ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के लिए निर्धारित लक्ष्यों और 2013-14 से 2017-18 तक उनके विरूद्ध उपलब्धियों को

[4] राज्य सरकार ने 2017-18 तक ₹ 3,354.61 करोड़ की इक्विटी पूंजी जारी की थी, जिसमें ₹ 1,951.03 करोड़ के एक तिहाई राज्य सरकार ऋण का रूपांतरण भी शामिल था। शेष ऋण को 2018-19 और 2019-20 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।

[5] वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी ऋण दर पर परिकलित।

इंगित किया गया है:

चार्ट 2.1.1: ए.टी. एंड सी. हानियां - लक्ष्य और उपलब्धियां



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

ए.टी. एंड सी. हानियां 2013-16 के दौरान मानकों से अधिक हो गई जिससे कंपनी की लागत ₹ 2,703.69 करोड़ हो गई। कंपनी ने खराब मीटरों को बदलकर तथा मीटरों को उपभोक्ता के परिसरों से बाहर शिफ्ट करके 2016-18 के दौरान ए.टी. एंड सी. हानियों को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जिसने बिजली के मीटरों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को कम करने में मदद की और बिजली की सटीक बिलिंग को सक्षम बनाया, साथ ही बिजली के अवैध दोहन की घटना को कम करने के लिए इंसुलेटिड केबलों में बेयर कंडक्टरों को भी बदला, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा .2 में दर्शाया गया है।

एच.ई.आर.सी. ने वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की कुल राजस्व आवश्यकताओं को अंतिम करते समय (2015) निर्देश दिया कि 31 मार्च 2015 को 50 प्रतिशत से अधिक वितरण हानियों वाले ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) फीडरों[6] की संख्या 2015-16 के अंत तक आधे तक नीचे लाई जाए तथा अगले ए.आर.आर. फाइल करने तक सभी शहरी फीडरों की हानियां 25 प्रतिशत से नीचे लाई जाए।

आर.डी.एस. तथा शहरी फीडर हानियों की कमी निम्नानुसार है:

तालिका 2.1.2: आर.डी.एस. तथा शहरी फीडरों की कमी

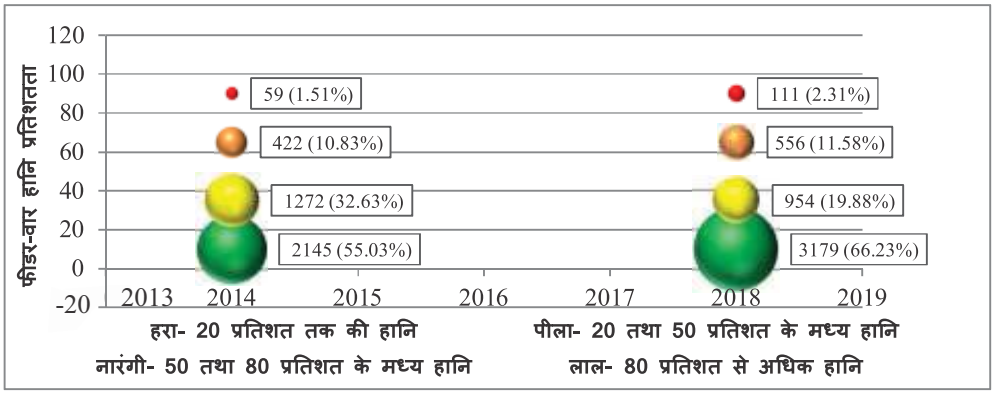
फीडर का प्रकार	मार्च 2015		मार्च 2016	
	फीडरों की संख्या	50 प्रतिशत से अधिक हानि वाले और 25 प्रतिशत से अधिक हानि वाले शहरी आर.डी.एस. फीडर	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत घाटे में कमी के लिए प्राप्त किए जाने वाले (संख्या में) लक्ष्य	अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक हानि वाले और 25 प्रतिशत से अधिक हानि वाले शहरी आर.डी.एस. फीडर
1	2	3	4	5
आर.डी.एस	753	406	203	533 (कुल फीडरों का 70.78 प्रतिशत)
शहरी	608	162	0	176 (कुल फीडरों का 28.95 प्रतिशत)

मार्च 2018 में 50 प्रतिशत से अधिक वितरण घाटे वाले ग्रामीण फीडरों की संख्या बढ़कर 431 हो गई, जो कुल ग्रामीण फीडरों (871 सं.) का 50 प्रतिशत था। 25 प्रतिशत से अधिक वितरण घाटे वाले शहरी फीडरों की संख्या घटकर 78 हो गई।

[6] 33 के.वी. पावर सब-स्टेशन से अंतिम उपभोक्ता तक उच्च वोल्टेज आपूर्ति लाईन को फीडर के रूप में जाना जाता है।

अप्रैल 2014 तथा मार्च 2018 को कंपनी के सभी फीडरों की लाईन हानियों की तुलनात्मक स्थिति नीचे चार्ट 2 में दी गई है:

चार्ट 2.1.2: फीडरों की संख्या तथा उनकी लाईन हानियों की प्रतिशतता



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा। ध्यान स्तरों का उपर्युक्त निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित है।

जैसाकि देखा जा सकता है, 20 प्रतिशत तक लाईन हानियों वाले फीडरों की संख्या अप्रैल 2014 में कुल फीडरों के 55 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 66.23 प्रतिशत हो गई तथा 20 से 50 प्रतिशत लाईन हानियों वाले फीडरों की संख्या 32.63 प्रतिशत (अप्रैल 2014) से घटकर 19.88 प्रतिशत (मार्च 2018) हो गई जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की ए.टी. एंड सी. हानियों में समग्र कमी हुई तथा 2016-17 एवं 2017-18 तक ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी सहायता की।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि वितरण हानियों में गिरावट है तथा हानियों को और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.6.3 म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम

राज्य सरकार ने हानियों पर अंकुश लगाने के लिए ''म्हारा गांव जगमग गांव'' (एम.जी.जे.जी.) स्कीम आरंभ की (जुलाई 2015)। इस स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2018 को 871 आर.डी.एस. फीडरों में से 323 फीडर आवृत्त किए गए थे। स्कीम के निम्नलिखित मुख्य बिंदु थे:

- स्कीम को अपनाने पर चयनित फीडरों को बिजली की आपूर्ति प्रतिदिन औसतन 12 से 15 घंटे तक बढ़ाई जानी थी;
- कंपनी को बेयर कंडक्टरों को बदलना, त्रुटिपूर्ण/इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को स्टेटिक मीटरों के साथ बदलना, उपभोक्ताओं के परिसरों से मीटरों को बाहर करना इत्यादि था जिसके बाद आपूर्ति 15 से 18 घंटे प्रतिदिन तक बढ़ाए जाने थे;
- यदि उपभोक्ताओं ने आपूरित बिजली (20 प्रतिशत की तकनीकी हानि अनुमत करने के पश्चात्) की 90 प्रतिशत की सीमा तक अपने बिलों का भुगतान किया तो उन फीडरों पर आपूर्ति घंटे 18 से 21 घंटे प्रतिदिन तक बढ़ाए जाने थे; तथा

- यदि फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं की चूक राशि[7] 10 प्रतिशत से कम हो जाती है तो आपूर्ति घंटे 24 घंटे तक बढ़ा दिए जाएंगे।

कंपनी ने जनवरी 2018 तक 323 फीडरों में से 288 फीडरों पर अपग्रेडेशन कार्य पूर्ण कर लिया था तथा इन आर.डी.एस. फीडरों में समग्र हानियां मई 2018 तक 41.88 प्रतिशत से घटकर 31.38 प्रतिशत तक रह गई थी।

तथापि, यह देखा गया कि 127 फीडरों के संबंध में बिजली की आपूर्ति इन फीडरों पर 24 घंटे तक बढ़ाई गई थी, यद्यपि ये 21 घंटे तक बिजली की आपूर्ति के लिए भी पात्र नहीं थे। राजस्व वसूली की प्रतिशतता दो फीडरों पर 11 से 20 प्रतिशत तक कम तथा 68 फीडरों पर 20 एवं 60 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3: फीडरों की संख्या तथा आपूरित बिजली से एकत्र राशि की प्रतिशतता

क्र.सं.	आपूर्ति की गई बिजली की राशि का प्रतिशत	फीडरों की संख्या
1	11-20	2
2	20-40	10
3	40-60	58
4	60-71	57

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि स्कीम अभी भी प्रारंभिक स्तर पर है और समय के साथ कार्यान्वयन में सुधार होगा।

इस स्कीम को कुछ शर्तों की पूर्ति पर बिजली की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार के लिए शुरू किया गया था। परंतु स्कीम के अभिप्रेत उद्देश्य और भावना तब विफल हुए जब आपूर्ति घंटे अपात्र फीडरों पर बढ़ा दिए गए थे।

कंपनी ऊर्जा के नुकसान में कमी करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही जिसने इसे मुनाफे में बदलने की सहायता की।

2.1.7 टैरिफ प्रस्ताव

कंपनी को प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक एच.ई.आर.सी. के पास अपनी कुल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) फाईल करनी अपेक्षित है। ए.आर.आर. वर्ष का संभावित कुल राजस्व, बिजली प्रदान करने की अनुमानित लागत तथा राजस्व अंतर को आवृत करने के प्रस्ताव को दर्शाता है। कनेक्टिड लोड के साथ-साथ अंतिम उपयोग पर आधारित बिजली कनेक्शनों की पांच मुख्य श्रेणियां हैं:

1. घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) - आवासीय उपयोग हेतु, हास्टलों में, पूजा स्थलों इत्यादि में।
2. गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) - दुकानों, पेट्रोल पंपों, शापिंग मालों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि में जैसे वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु।
3. लो-टेंशन (एल.टी.) आपूर्ति - 50 किलोवाट तक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ता।

[7] चूक राशि स्कीम के अंतर्गत चयनित फीडरों पर जुड़े उपभोक्ताओं से संबंधित है।

4. हाई-टेंशन (एच.टी.) आपूर्ति - 50 किलोवाट से अधिक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ता।

5. कृषि पंपसेट (ए.पी.) - केवल कृषि प्रयोजन हेतु।

2.1.7.1 उपभोक्ताओं को रियायत

अपेक्षित कुल राजस्व वसूल करने के लिए एच.ई.आर.सी. विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले श्रेणीवार टैरिफ कों मंजूरी देता है। बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में उपभोक्ता की किसी श्रेणी को परिदान प्रदान करने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार कंपनी को अग्रिम में मुआवजा देगी। यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार के निर्देश निष्क्रिय हो जाएंगे। एच.ई.आर.सी. ने लाइसेंसी (सितंबर 2015) को निर्देश दिया कि वे आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना वित्तीय प्रभाव वाले किसी भी परिपत्र/निर्देश को जारी न करें।

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को कंपनी द्वारा प्रदान किए गए रियायती टैरिफ की यह देखने के लिए जांच की गई कि क्या ये सरकार के निर्देश के अनुसार दी गई थी तथा क्या और किस सीमा तक सरकार द्वारा कंपनी को समय पर क्षतिपूर्ति की गई थी।

(क) महिला उपभोक्ताओं को रियायत

राज्य विद्युत विभाग ने महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों तथा जहां महिलाओं के नाम पर ऐसी संपत्तियों के घरेलू बिजली कनेक्शन हैं, के संबंध में टैरिफ को 10 पैसे प्रति किलोवाट घंटा तक घटाने के सरकार के निर्णय (जून 2005) की सूचना कंपनी को दी। इस निर्णय के अनुसरण में कंपनी ने एक बिक्री निर्देश जारी किया (अगस्त 2005) तथा महिला उपभोक्ताओं को रियायत देना शुरू किया। तथापि, वित्त विभाग ने कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया (नवंबर 2005) तथा सुझाव दिया कि राजस्व की कमी को दक्षता लाभ के माध्यम से पूरा किया जाए। एच.ई.आर.सी. ने अपने 2005-06 के टैरिफ आदेशों में पाया कि कंपनी द्वारा बिक्री परिपत्रों का निर्गम बिजली अधिनियम, 2003 के अनुरूप नहीं था तथा आदेश दिया कि महिला उपभोक्ताओं को रियायती टैरिफ नहीं दिया जाए।

कंपनी ने रियायत को वापस लेने की बजाय रियायती दरें अनुमत/प्रभारित करनी जारी रखी तथा 2005-06 से 2017-18 (जून 2017) की अवधि के दौरान ₹ 14.40 करोड़ की रियायत दी। यह मामला वर्ष 2010-11 तथा 2013-16 के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कंपनी के ध्यान में लाए जाने के बावजूद था।

इस रियायत के निरंतर विस्तारण के परिणामस्वरूप तथा राज्य सरकार से मुआवजे की प्राप्ति नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा वृद्धित उधारों के कारण 2013-18 के दौरान ₹ 5.07 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा। यह भी देखा गया कि ऊर्जा प्रभारों में महिला उपभोक्ताओं को लागू 10 पैसा प्रति किलोवाट घंटा की छूट भी गलत तरीके से 380 पुरूष उपभोक्ताओं को दी गई थी। कंपनी ने जुलाई 2017 से रियायत वापस ले ली।

(ख) किसानों, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, के बिजली बिलों को माफ करना

मुख्यमंत्री, हरियाणा की घोषणा के अनुवर्तन में कंपनी ने, उन किसानों, जिनकी फसलें बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि इत्यादि के कारण मार्च तथा अप्रैल 2015 में बर्बाद हो गई थी, को राहत प्रदान करने के लिए उनके बिजली बिलों को माफ करने के आदेश जारी किए

(सितंबर 2015)। कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना सरकारी घोषणा के आधार पर चार[8] परिमंडलों में क्षतिग्रस्त फसलों की प्रतिशतता पर आधारित बिजली बिलों के 2015-16 के दौरान ₹ 4.71 करोड़ माफ किए। कंपनी को अभी सरकार के पास दावे प्रस्तुत करने थे (सितंबर 2018)। इस प्रकार, ₹ 4.71 करोड़ की रियायत की राशि न तो राज्य सरकार से प्राप्त हुई और न ही एआर.आर./ट्रू-अप में शामिल की गई।

(ग) गौशालाओं को छूट

राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं से ₹ दो प्रति किलोवाट घंटा का रियायती टैरिफ घोषित किया (जनवरी 2007) तथा मासिक लेखा विवरणी के प्रस्तुतिकरण पर कंपनी को परिदान प्रदान करने की सहमति दी। तथापि, बिल/परिदान में अधिकतम छूट ₹ 2,000 प्रति माह प्रति गौशाला से अधिक नहीं थी। रियायती ऊर्जा देने के आदेश सरकारी घोषणा पर आधारित थे तथा एच.ई.आर.सी. का अनुमोदन नहीं लिया गया। कंपनी ने 2007-18 के दौरान ₹ 1.70 करोड़ की छूट दी किंतु इसे अभी (सितंबर 2018) तक सरकार के पास दावे प्रस्तुत करने थे।

इस प्रकार, ₹ 1.70 करोड़ की रियायत की राशि न तो राज्य सरकार से प्राप्त की गई और न ही ए.आर.आर./ट्रू-अप में शामिल की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि महिला उपभोक्ता, गौशालाओं और फसलों की क्षति के कारण दी गई रियायत के कारण परिदान परिकलित किए गए थे तथा दोनों डिस्कोम्ज, अर्थात उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, के समेकित परिदान दावे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

2.1.7.2 कृषि पंप सेट उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति

(i) कृषि पंप सेट (ए.पी.) उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति हेतु टैरिफ को दो श्रेणियों - मीटर वाले तथा एक समान दर (बिना मीटर वाले) में विभाजित किया जाता है। राज्य सरकार ए.पी. उपभोक्ताओं को बिजली की रियायती आपूर्ति प्रदान करने तथा आपूर्ति की लागत और कंपनी द्वारा प्रभारित रियायती टैरिफ के मध्य अंतर की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निम्न तालिका वर्ष 2013-18 के दौरान कृषि पंप सेट उपभोक्ताओं (मीटर वाले तथा बिना मीटर वाले[9]) को राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रति किलोवाट घंटा परिदान और बिजली की

[8] भिवानी, नारनौल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

[9] बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं का टैरिफ प्रतिदिन आठ घंटे की खपत के हिसाब से मासिक खपत के आधार पर परिकलित किया गया है। फिर प्रभार्य टैरिफ निकालने के लिए माह में उपभोग की गई कुल बिजली को प्रतिमाह प्रति ब्रेक हॉर्स पावर के निश्चित प्रभारों से विभाजित किया जाता है। वर्ष 2013-14 के टैरिफ आदेशों में बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं से नियत प्रभार 15 बी.एच.पी. तक के भार के लिए ₹ 35 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. तथा 15 बी.एच.पी. से अधिक भार के लिए ₹ 30 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. प्रभारित किए जाने थे। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए नियत प्रभार 15 बी.एच.पी. तक के भार के लिए ₹ 15 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. और 15 बी.एच.पी. से अधिक भार के लिए ₹ 12 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. निर्धारित किए गए थे।

आपूर्ति की लागत इंगित करती है:

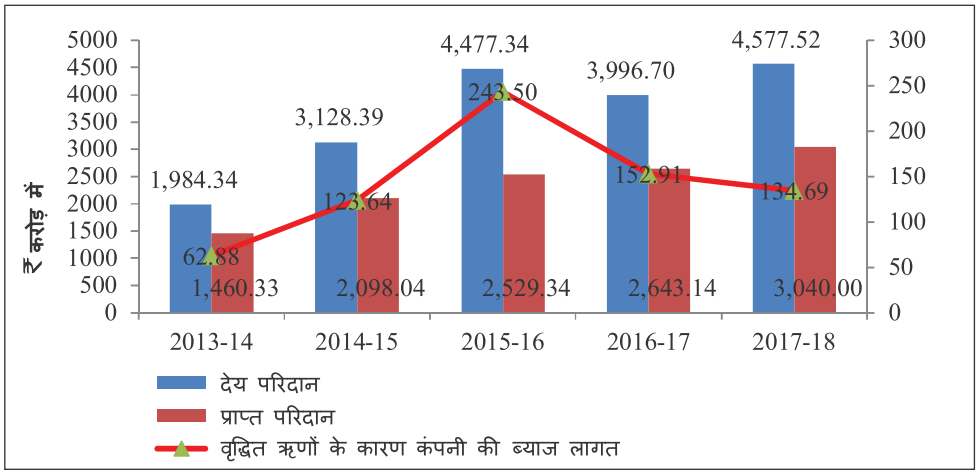
तालिका 2.1.4: बिजली की आपूर्ति की लागत तथा परिदान प्रति किलोवाट घंटा

(प्रति किलोवाट घंटा पैसे में)

वर्ष	उपभोक्ता की श्रेणी	आपूर्ति की लागत	उपभोक्ताओं से प्रभारित अनुमोदित टैरिफ		परिदान प्रति किलोवाट घंटा	
			15 बी.एच.पी. तक[10]	15 बी.एच.पी. से अधिक	15 बी.एच.पी. तक	15 बी.एच.पी. से अधिक
2013-14	मीटर वाले	628	25.00	20.00	603.00	608.00
	बिना मीटर वाले	628	19.55	16.76	608.45	611.24
2014-15	मीटर वाले	664	10.00	8.00	654.00	656.00
	बिना मीटर वाले	664	8.38	6.70	655.62	657.30
2015-16	मीटर वाले	734	10.00	8.00	724.00	726.00
	बिना मीटर वाले	734	8.38	6.70	725.62	727.30
2016-17	मीटर वाले	664	10.00	8.00	654.00	656.00
	बिना मीटर वाले	664	8.38	6.70	655.62	657.30
2017-18	मीटर वाले	725	10.00	8.00	715.00	717.00
	बिना मीटर वाले	725	8.38	6.70	716.62	718.30

परिदान की कम प्राप्ति के कारण 2017-18 तक गत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित एवं दावा किए गए ए.पी. परिदान, प्राप्त किए गए परिदान तथा लिए गए वृद्धित उधारों के कारण संबद्ध ब्याज लागत को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है जैसाकि ***परिशिष्ट 2*** में विवरण दिया गया है:

चार्ट 2.1.3: देय और प्राप्त किए गए ए.पी. परिदान



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

सरकार द्वारा परिदान का लघु निर्गम उदय स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसमें डिस्कोम्ज के वित्तीय बदलाव सुनिश्चित करने के लिए परिदान के सभी बकाया देयों के समयबद्ध निपटान पर विचार किया गया है।

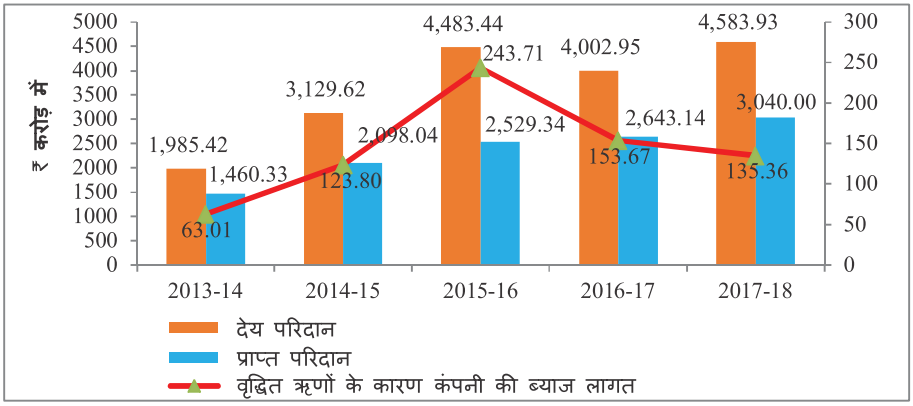
पंजीकृत गौशालाओं को रियायती टैरिफ के संबंध में प्राप्त नहीं की गई परिदान का मूल्य, किसानों के बिजली बिलों की माफी का मूल्य, जिनकी फसलें खराब हो गई थीं और ए.पी. आपूर्ति के संबंध में परिदान की कम प्राप्ति का मूल्य, जो 2013-14 में ₹ 525.09 करोड़ था

[10] एक बी.एच.पी. 0.746 किलोवाट के बराबर है।

वह 2017-18 में ₹ 1,543.93 करोड़ हो गया। परिदान की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप कंपनी को अधिक उधार लेने पड़े और 2013-18 की अवधि के दौरान इन उधारों पर ₹ 719.55 करोड़[11] का ब्याज भार वहन करना पड़ा।

2017-18 तक गत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित एवं दावा की गई कुल परिदान, कम प्राप्त की गई परिदान तथा दिए गए वृद्धित उधारों के कारण संबद्ध ब्याज लागत को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है।

चार्ट 2.1.4: देय और प्राप्त किए गए कुल परिदान

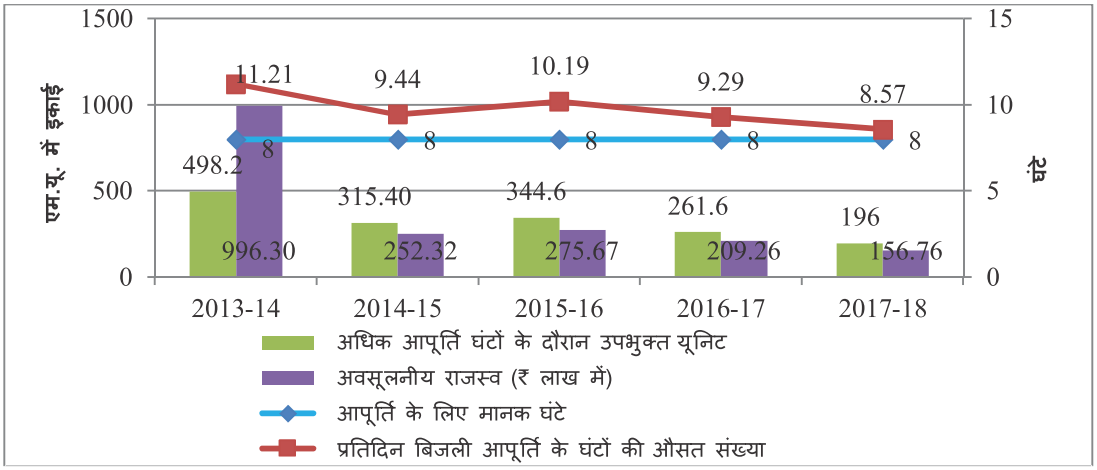


स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

(ii) कंपनी को बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को प्रतिदिन मानक आठ घंटे के लिए बिजली प्रदान करना अपेक्षित है। यदि बिजली मानक घंटों से अधिक आपूरित की जाती है तो कंपनी को आपूरित की गई अधिक बिजली की लागत वहन करनी पड़ेगी।

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को प्रतिदिन आपूरित बिजली के औसत अधिक घंटों की संख्या, अधिक आपूर्ति घंटों के दौरान उपयोग की गई इकाइयों तथा अवसूलनीय राजस्व को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है:

चार्ट 2.1.5: बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को बिजली की अधिक आपूर्ति



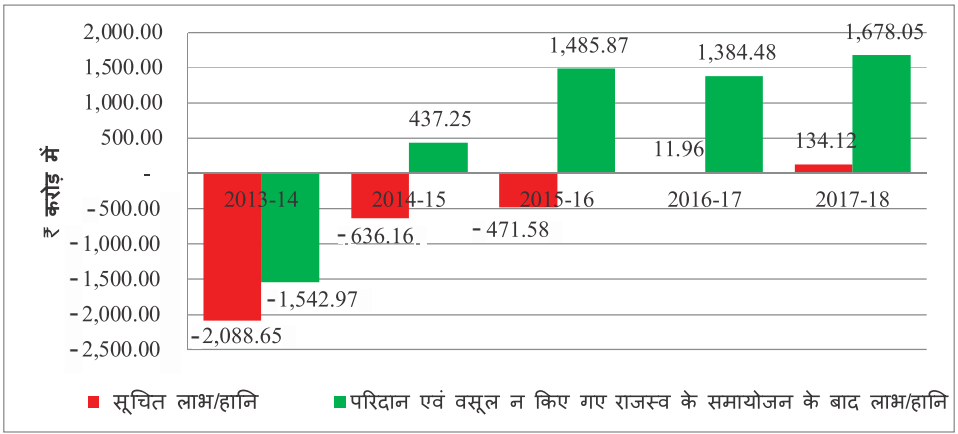
स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

[11] संबंधित वर्षों के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज की कार्यचालन पूंजी दर पर परिकलित।

कंपनी ने बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को 2013-18 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ मूल्य की 1,615.70 मिलियन यूनिट की अधिक बिजली आपूरित की जिसके लिए कोई वसूलनीय राजस्व नहीं था। 2013-14 के दौरान अवसूलनीय राशि 15 बी.एच.पी. तक की क्षमता वाली मोटर के लिए 25 पैसे और 15 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता वाली मोटर के लिए 20 पैसे की बिजली हेतु उच्चतर टैरिफ के कारण अधिक थी, जो कि 2014-15 से आगे 15 बी.एच.पी. तक के लिए 10 पैसे तथा 15 बी.एच.पी. से अधिक के लिए 08 पैसे तक घटाई गई थी।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति तथा कंपनी की लाभप्रदता पर परिदान की अप्राप्ति/कम प्राप्ति का प्रभाव नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.6: लाभ/हानियां यदि कंपनी संपूर्ण परिदान/ब्याज प्राप्त करती



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

यदि कंपनी देय परिदान प्राप्त करती तो वर्ष 2013-14 में हानियां कम हो जाती, हानियां 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान लाभ में बदल जाती तथा 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान लाभ में पर्याप्त सुधार होता।

2.1.7.3 एच.ई.आर.सी. द्वारा पूंजीगत व्यय की अनुमति न देना

एच.ई.आर.सी. ने सभी लाईसेंसधारकों के लिए 2012 में अपने मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन्स अधिसूचित किया। विद्युत वितरण लाईसेंसधारकों की पूंजीगत निवेश योजनाओं की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करते समय ये विनियम निर्धारित करते हैं कि ऐसी योजना बिक्री पूर्वानुमान/राज्य की भार वृद्धि/हानि कम करने के लक्ष्यों इत्यादि के अनुरूप होनी चाहिए। आयोग ऐसे पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की अनुमति देता है जो अनुमोदित कार्यों पर वहन किया जाता है।

एच.ई.आर.सी. ने 2013-17 के दौरान कंपनी की विद्युत मूलभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 2,875.32 करोड़ की पूंजीगत व्यय स्कीमों के आदेश को अनुमोदन दिया। इसके विरूद्ध कंपनी ने ₹ 2,883.72 करोड़ का पूंजीगत व्यय खर्च किया। एच.ई.आर.सी. ने उसी अवधि[12] के दौरान अनुमोदित से अधिक व्यय करने के कारण कंपनी द्वारा प्रस्तावित ₹ 596.66 करोड़ के पूंजीगत व्यय की अनुमति नहीं दी। इससे इन परियोजनाओं पर खर्च किए गए

[12] 2016-17 का ब्याज अभी सत्यापित किया जाना है।

₹ 78.48 करोड़[13] (अनुमोदित कार्य पर ₹ 52.47 करोड़ तथा पूर्णता में विलंब के कारण ₹ 26.01 करोड़) के ब्याज घटक की मंजूरी न मिलने का परिणामी प्रभाव हुआ।

पुन: हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को प्लॉट प्रदान करने के लिए दो स्कीमें- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना तथा प्रियदर्शनी आवास योजना आरंभ (क्रमश: अक्तूबर 2008 तथा जून 2013) की। इन प्लॉटों में मूलभूत संरचना बिजली कनेक्शनों के साथ प्रदान की जानी थी जिनके लिए सरकार ने निधियां प्रदान करने की सहमति दी थी। तथापि, इसने वित्तीय सहायता प्रदान करने का अपना निर्णय वापस ले लिया (जनवरी 2014)। एच.ई.आर.सी. ने भी इस स्कीम को अनुमोदन नहीं दिया। कंपनी ने स्कीम को वित्त देने की हरियाणा सरकार की मनाही के बावजूद 2014-16 के दौरान ₹ 70.29 करोड़ का पूंजीगत व्यय वहन किया।

चूंकि यह व्यय अपेक्षित पूर्व-अनुमोदन के बिना किया गया था इसे एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमति नहीं दी गई। कंपनी टैरिफ के रूप में पूंजीगत व्यय के अनुमति न दिए गए भाग पर ब्याज लागत भी नहीं ले सकी, जिसने इसके वितरण नेटवर्क को सुधारने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि समुचित औचित्य के साथ ट्रू-अप पिटीशन में एच.ई.आर.सी. से अननुमोदित/अनप्लानड व्यय के दावे के लिए मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन्स 2012 में प्रावधान है तथा वे अपेक्षा करते हैं कि ये व्यय आयोग द्वारा मंजूर होने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रियदर्शनी आवास योजना के अंतर्गत विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ₹ 29.50 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई तथा शेष दावे प्रस्तुत किए गए थे।

कंपनी ने विनियामक अनुमोदन के बिना उपभोक्ताओं के वर्गों को रियायतें दीं। सरकार ने कंपनी को उसकी लागत के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं दी। कंपनी ने बिना मीटर वाले कृषि पंप उपभोक्ताओं को नियत घंटों से अधिक समय तक ऊर्जा की आपूर्ति की, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी प्राप्त करनी थी। इसने बिना नियामक स्वीकृतियों के और अन्य अनुमानित लागतों का परिकलन किए बिना पूंजीगत परियोजनाओं को शुरू किया।

2.1.7.4 उपभोक्ता प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज का भुगतान न करना

बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के आधार पर एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी सक्षम बनाने वाले विनियमों में प्रावधान है कि उपभोक्ताओं को अपने ऊर्जा खपत प्रभारों के चार/दो माह[14] के बराबर अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) कंपनी के पास रखने होंगे तथा ऐसे जमाओं पर उन्हें उस वर्ष, जिसमें ए.आर.आर. फाईल की जाती है, की 1 अप्रैल को बैंक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

कंपनी को इन अग्रिम खपत जमाओं पर 2013-14 से 2017-18 के दौरान चालू दर[15] पर ₹ 345.41 करोड़ का ब्याज भुगतान/समायोजन करना था। इसके विरूद्ध कंपनी ने ₹ 224.59 करोड़ का शेष असमायोजित छोड़ते हुए ₹ 120.82 करोड़ का ब्याज समायोजित

13 2013-14 - ₹ 20.59 करोड़, 2014-15 - ₹ 41.83 करोड़, 2015-16- ₹ 3.35 करोड़ तथा 2016-17 - ₹ 12.71 करोड़।

14 डी.एस. एवं एन.डी.एस. (20 किलोवाट तक) के लिए द्विमासिक तथा एच.टी./एल.टी. श्रेणी के लिए मासिक।

15 2013-14 - 6 प्रतिशत प्रति वर्ष, 2014-15 - 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष, 2015-16 - 9 प्रतिशत प्रति वर्ष, 2016-17 - 8.5-प्रतिशत प्रति वर्ष तथा 2017-18 - 7.75 प्रतिशत प्रति वर्ष।

किया। 2013-18 के लिए ए.आर.आर. को ₹ 345.41 करोड़ को ब्याज लागत के रूप में शामिल करके तैयार किया गया था और इसलिए ₹ 224.59 करोड़ से बढ़ाया गया था।

2.1.8 कनेक्शन जारी करना और मीटरिंग

2.1.8.1 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर तथा स्मार्ट मीटर

केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (मीटरों का स्थापन एवं परिचालन) विनियम, 2006 में अपेक्षित है कि सभी इंटरफेस मीटर, उपभोक्ताओं के मीटर तथा एनर्जी अकाउंटिंग एंड आडिट मीटर स्टेटिक मीटर होंगे। इन मीटरों में बिजली खपत दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रानिक सर्किट होता है और अधिक सही होते हैं। बिजली खपत डाटा या तो मैनुअल मीटर रीडिंग द्वारा या मीटरों के साथ कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (सी.एम.आर.आई.) जोड़कर लिया जाता है। एच.ई.आर.सी. ने अपने आदेशों (मार्च 2012) में मार्च 2014 तक सभी विद्यमान इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टेटिक मीटरों से बदलने का निर्देश दिया। ये आदेश वर्ष 2015-16 (मई 2015) के इसके टैरिफ आदेशों में दोहराए गए थे।

कंपनी ने उपभोक्ताओं द्वारा विरोध के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई.एम.) मीटरों को बदलने में कठिनाई व्यक्त की। प्रगति और प्रस्तुत किए गए कारणों से असंतुष्ट एच.ई.आर.सी. ने कंपनी को फिर से दिसंबर 2017 तक शहरी क्षेत्रों में सभी इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों 50 प्रतिशत इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को बदलने का निर्देश दिया (जुलाई 2017)। कंपनी ने तथापि 2013-14 से 2017-18 के दौरान 5.40 लाख मीटरों में से केवल 2.38 लाख इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर को स्टेटिक मीटरों से बदला, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल थे।

2016-17 के लिए कंपनी के टैरिफ आदेश अधिसूचित करते समय (1 अगस्त 2016) एच.ई.आर.सी. ने 28 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुपालन में, यह अनिवार्य कर दिया कि अब से उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध ढंग से स्मार्ट मीटर[16] ही लगाए जाएंगे तथा डिस्कोम्ज को भविष्य में केवल स्मार्ट मीटर ही खरीदने थे। इस निर्देश की अगली कड़ी में इसने निर्देश दिया कि 500 किलोवाट घंटा से अधिक मासिक खपत वाले सभी उपभोक्ताओं के मीटर 31 दिसंबर 2017 तक स्मार्ट मीटरों के साथ बदलने होंगे। ऐसा ही कार्य 200 किलोवाट घंटा की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर 2019 तक पूरा किया जाना है। 30 सितंबर 2018 को प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक की खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या, जिनके मीटर को स्मार्ट मीटर से बदला जाना था, 6.14 लाख थी। 200 से 500 यूनिट प्रति माह की खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 30 सितंबर 2018 तक 8.18 लाख थी। कंपनी ने अभी तक कोई स्मार्ट मीटर नहीं खरीदे हैं (जुलाई 2018)। एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2018) कि तीन वर्षों की अवधि के भीतर दस लाख स्मार्ट मीटरों की खरीद और स्थापन के लिए एक वेंडर के साथ डिस्कोम्ज द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (जुलाई 2018)।

[16] उनमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना कंपनी के दूरस्थ डाटा सेंटर को उपभोक्ताओं के परिसरों से मीटर रीडिंग सक्षम बनाने के लिए जी.पी.आर.एस. एनेवल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस (मॉडेम) है।

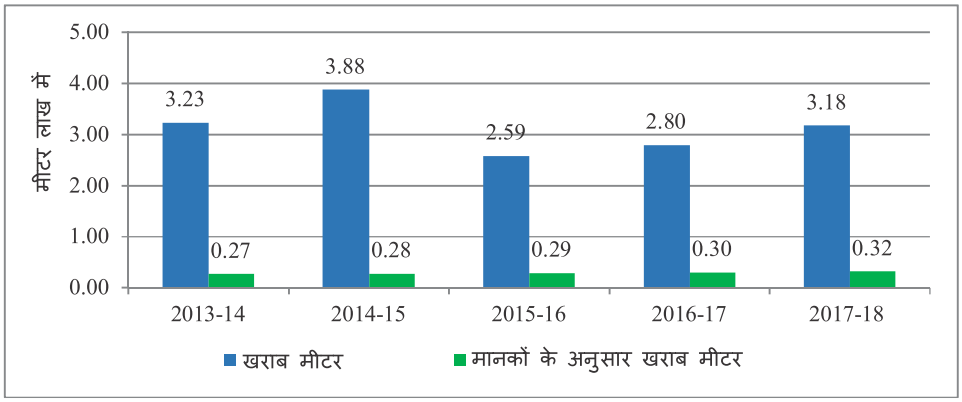
कंपनी विद्युत यांत्रिक मीटरों को स्टेटिक मीटरों से बदल नहीं सकी, जिसके कारण ऊर्जा के लेखांकन में सटीकता के वांछित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.8.2 खरीब मीटरों को बदलना

सेवा की गुणवता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संदर्भ में लाईसेंसधारक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम मानकों को एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी किए गए (जुलाई 2004) 'वितरण लाईसेंसधारक के लिए निष्पादन के मानक' में निर्दिष्ट किया गया है। ये मानक निर्धारित करते हैं कि खराब मीटर, कुल स्थापित मीटरों का एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। बिक्री नियमावली यह प्रावधान करता है कि दोषपूर्ण मीटरों को उनके रिपोर्ट किए जाने के एक महीने के भीतर बदल दिया जाना चाहिए।

कंपनी के पास 2013-14 के दौरान मीटर वाले 27.40 लाख उपभोक्ता थे। वे 2015-16 में 29.33 लाख हो गए और 31 मार्च 2018 को 31.99 लाख थे। 2013-18 के लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार और वास्तविक दोषपूर्ण मीटरों की अधिकतम स्थिति नीचे दी गई है:

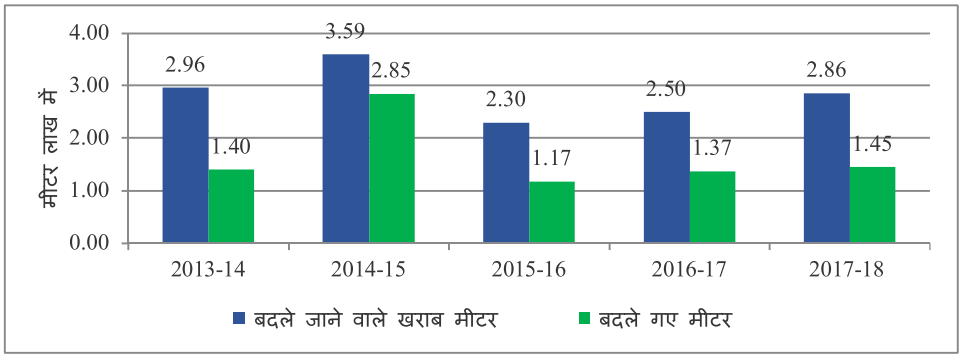
चार्ट 2.1.7: दोषपूर्ण मीटर मानदंड और वास्तविक दोषपूर्ण मीटर



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी मानकों के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों को बदल नहीं सकी। दोषपूर्ण मीटरों को बदलने की स्थिति को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.8: खराब मीटर और उनका बदलाव



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

चयनित[17] परिमंडलों में 20 किलोवाट तक कनेक्टिड लोड वाले घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) तथा गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा (2013-18) के अभिलेखों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि जारी किए गए 4.05 करोड़ बिलों में से 24.97 लाख बिलों (14.51 प्रतिशत) ने मीटर कोड को खराब के रूप में दर्शाया। इन 24.97 लाख बिलों में से 8.76 लाख बिल (51,034 उपभोक्ता) पांच माह से अधिक समय से खराब मीटर पर जारी किए गए थे जबकि एक वर्ष से अधिक समय से खराब मीटरों पर 8.31 लाख बिल (38,150 उपभोक्ता) निरंतर जारी किए गए थे। यह इंगित करता है कि खराब मीटर एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं बदले गए थे।

इसके अतिरिक्त, 1.03 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के विश्लेषण से पता चला कि जिस अवधि के दौरान उपभोक्ता मीटर ठीक से काम कर रहे थे, की तुलना में जिस अवधि में मीटर ख़राब रहे, उस अवधि के दौरान औसत ऊर्जा प्रभार कम थे। यह इंगित करता है कि दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन के कारण कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा था। यह नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से दी गई है:

तालिका 2.1.5: दोषपूर्ण और ठीक अवधि में बिलिंग की तुलना

विवरण		दोषपूर्ण अवधि बिल ठीक अवधि से कम		दोषपूर्ण अवधि बिल ठीक अवधि से अधिक		कुल बिल अवधि		
कोड		दोषपूर्ण	ठीक	दोषपूर्ण	ठीक	दोषपूर्ण	ठीक	कुल
उपभोक्ता	संख्या	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135
बिल	संख्या	2,74,313	6,66,592	2,34,587	5,41,170	5,08,900	12,07,762	17,16,662
वर्तमान ऊर्जा प्रभार	₹ करोड़ में	28.01	1,242.41	182.30	142.37	210.31	1,384.78	1,595.10
बिल अवधि	माह	6,17,948	15,39,960	5,17,615	12,70,018	11,35,563	28,09,978	39,45,542
औसत मासिक ऊर्जा प्रभार	₹ में	453	8,068	3,522	1,121	1,852	4,928	4,043

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध किया गया डाटा।

मार्च 2006 में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने बिजली मीटरों को उपभोक्ता परिसरों से बाहर लगाने की नीति शुरू की (जुलाई 2006)। कंपनी इस नीति को लागू कर रही है और समीक्षा की अवधि के दौरान, 8.24 लाख ऊर्जा मीटर को प्रतिस्थापित/स्थानांतरित कर दिया गया है। तथापि, कंपनी के पास मीटरों की स्थिति (उपभोक्ता परिसर के अंदर/बाहर) का डाटा उपलब्ध नहीं था इस तथ्य के बावजूद कि यह योजना 2006 से प्रचलन में थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि अब शहरी क्षेत्रों में अधिकतम खराब मीटरों को बदल दिया गया है। तथापि, कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मीटरों को बदलने में समस्या का सामना कर रही थी। यह आश्वासन दिया गया था कि खराब/इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को जल्दी ही बदल दिया जाएगा।

दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन नही करने के कारण ऊर्जा की वास्तविक खपत दर्ज नहीं की जा सकी और ऊर्जा का आकलन अनुमान के आधार पर किया गया। कंपनी को ख़राब मीटरों के प्रतिस्थापन के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था क्योंकि उस अवधि के दौरान जब उपभोक्ता मीटर ठीक से काम कर रहा था की तुलना में जब मीटर ख़राब रहता था, उस अवधि के दौरान ऊर्जा शुल्क औसत ऊर्जा शुल्क से कम था।

[17] भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम-II, हिसार, रेवाड़ी तथा सिरसा।

2.1.8.3 आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर लेवल पर मीटरिंग

पुनः संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-ए.पी.डी.आर.पी.) योजना सितंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई और कंपनी के 18 शहरों में लागू की गई। इस योजना के तहत 18 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार ने ₹ 93.44 करोड़ मंजूर किए तथा सितंबर 2013 में स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर इस योजना में ₹ 60.50 करोड़ खर्च किए गए थे। स्कीम के भाग-ए के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक परिचलन जैसे मीटरिंग, बिलिंग, संग्रहण, नए कनेक्शन जारी करना, कनेक्शन काटना, ऊर्जा आडिट इत्यादि किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना तथा सिस्टम एनेब्जड सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से किए जाने थे। आर-ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम में स्कीम के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्रों में सभी ट्रांसफार्मरों में स्थापित किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी) मीटरों के उपयोग द्वारा मीटरिंग एवं स्वचालित डाटा संग्रहण/ट्रांसमिशन पर विचार किया गया। डी.टी. मीटर एक विशेष क्षेत्र से जुड़े वितरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित किए गए थे। डी.टी. के माध्यम से प्रसारित ऊर्जा को दर्ज किया जाना था और इसकी तुलना डी.टी. से जुड़े उपभोक्ताओं के ऊर्जा बिलों से की जानी थी। उद्देश्य उस क्षेत्र की पहचान करना था जहां वितरण हानियां अधिक थीं और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करना था। इन डी.टी. मीटरों में एडवांसड डाटा रिकार्डिंग क्षमता है तथा इनमें कम्युनिकेशन पोर्टस लगाए गए हैं जो वितरण हानियों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायक हैं।

31 मार्च 2018 को आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में 29,757 डी.टी. में केवल 13,931 (47 प्रतिशत) में डी.टी. मीटर थे जिनमें से केवल 4,077 (29 प्रतिशत) मीटरों में कम्युनिकेटिंग डाटा पाए गए थे। इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से डी.टी. वार वितरण हानियों के परिकलन का प्रयोजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका था।

2015 से 2018 की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र में वृद्धि हुई। परिणामत: डी.टी. की संख्या 2015 में 18,316 से बढ़कर 2018 में 29,757 हो गई। डी.टी. की संख्या में इस वृद्धि को 2013 में, जब यह स्कीम शुरू की गई थी, तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए स्कीम के अंतर्गत निधियों की अपर्याप्तता के कारण डी.टी. मीटरों के स्थापन में कमी थी। प्रबंधन ने बताया कि शेष डी.टी. मीटरों को स्थापित करने का कार्य प्रदान (फरवरी 2018) कर दिया गया था।

कंपनी अपने सभी ट्रांसफार्मरों पर डी.टी. मीटर लगाने में विफल रही। इसलिए, डी.टी.-वार वितरण घाटे की गणना का उद्देश्य केवल आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका था।

2.1.8.4 ए.एम.आर./सी.एम.आर.आई. के माध्यम से हाई टेंशन श्रेणी उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत रिकार्डिंग

आटोमेटिक मीटर रीडर (ए.एम.आर.) एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपभोक्ता की बिजली खपत पद्धति के अन्य विवरणों के साथ बिजली खपत डाटा को कैप्चर करती है तथा उसे बिल बनाने के लिए डाटा सेंटर को प्रेषित करती है। ए.एम.आर. प्रणाली में जनरल पैकेट रेडियो सर्विसिज (जी.पी.आर.एस.) एनेब्लड मोडेम डाटा कम्युनिकेशन के लिए बिजली मीटरों के साथ

स्थापित किए जाते हैं। आर-ए.पी.डी.आर.पी. प्रणाली में सभी हाई टेंशन[18] (एच.टी.) श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए ए.एम.आर. का स्थापन अनिवार्य है।

कंपनी के पास आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में मार्च 2018 को 6,033 एच.टी. उपभोक्ता थे। इनमें से मात्र 3,219 (53 प्रतिशत) उपभोक्ताओं पर ए.एम.आर. उपकरण लगाए गए थे। 1,040 एच.टी. उपभोक्ताओं की बिजली रीडिंग कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (सी.एम.आर.आई.) के माध्यम से तथा शेष 1,774 उपभोक्ताओं की रीडिंग मानवीय रूप से ली जा रही थी।

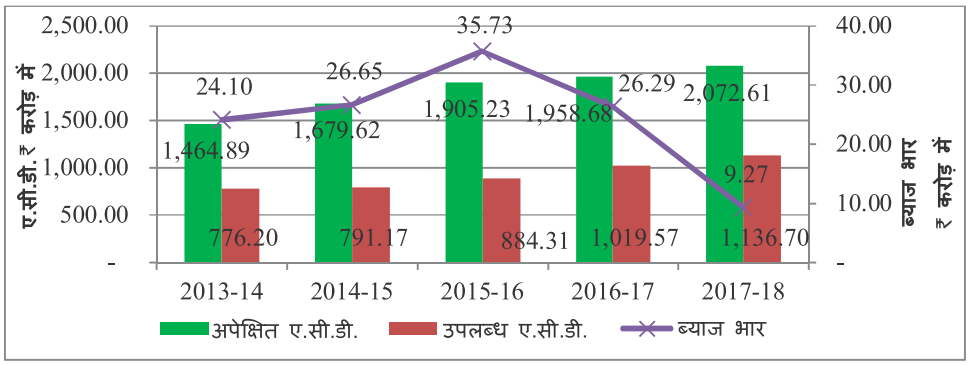
त्रुटि मुक्त बिलों को बनाने के लिए मीटर रीडिंग में स्वचालन का उद्देश्य एच.टी. उपभोक्ताओं के मीटर पर ए.एम.आर. की स्थापना नहीं करने/कार्य नहीं करने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। मीटर रीडिंग को मैन्युअल रूप से लिया गया और सिस्टम में डाला गया।

2.1.8.5 अग्रिम खपत जमा का संशोधन न करना

एच.ई.आर.सी. ने कंपनी के नए आपूर्ति कोड विनियम अधिसूचित किए (2014)। विनियम 4.15.4 के अनुसार सभी उपभोक्ता दो बिलिंग चक्रों, अर्थात दो/चार माह के ऊर्जा खपत प्रभारों के बराबर, के लिए अनुमानित विद्युत खपत आवृत्त करने के लिए अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी) का अनुरक्षण करेंगे। पिछले वर्ष की 12-माह की खपत पद्धति के आधार पर ए.सी.डी. में वार्षिक रूप से संशोधन किया जाना था। ए.सी.डी., उपभोक्ताओं द्वारा देयों का भुगतान न करने के विरूद्ध कंपनी को सुरक्षा प्रदान करती है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान एकत्र किए जाने के लिए अपेक्षित ए.सी.डी. तथा कंपनी के पास उपलब्ध ए.सी.डी. को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है।

चार्ट 2.1.9: अपेक्षित तथा उपलब्ध अग्रिम खपत जमा



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी ने पिछली अवधियों में अपने उपभोक्ताओं की खपत पद्धति पर आधारित ए.सी.डी. के रूप में 31 मार्च 2018 तक ₹ 935.91 करोड़ कम वसूल किए थे। ए.सी.डी. की कम वसूली

[18] एच.टी. श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 50 किलोवाट से अधिक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ता।

के परिणामस्वरूप अधिक उधार हुए थे तथा 2013-18 के दौरान ₹ 122.05 करोड़[19] की राशि के ब्याज भार में वृद्धि हुई थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि 2017-18 की पहली तिमाही में वर्ष 2016-17 के लिए आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए ए.सी.डी. में संशोधन किया गया था तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ए.सी.डी. में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रगति में है।

कंपनी ने पिछले अवधियों के उपभोक्ताओं के उपभोग पद्धति के आधार पर ए.सी.डी. की कम वसूली की थी। ए.सी.डी. की कम वसूली के परिणामस्वरूप उच्च ऋण लिया गया था और परिणामस्वरूप ब्याज बोझ बढ़ गया था।

2.1.8.6 प्रतिबंधित/डार्क जोन में ए.पी. नलकूप कनेक्शन जारी करना

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने भू-जल के विनियमन हेतु दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में नौ महत्वपूर्ण/अधिक शोषित क्षेत्र अधिसूचित किए थे (1998-99 से 2012-13)। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने इन क्षेत्रों में नई भू-जल संरचनाओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। यह अवलोकित किया गया था कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा निषेध के बावजूद कंपनी ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 2013-14 से 2017-18 के दौरान 4,811 नए नलकूप कनेक्शन जारी किए थे। कंपनी ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. अधिसूचना के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए देरी से अप्रैल 2016 में अनुदेश जारी किए। इसके बावजूद नौ[20] परिचालन उप-मंडलों ने अप्रैल, 2016 के बाद इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में 428 नए कनेक्शन जारी किए थे।

प्रबंधन ने मामला स्वीकार किया और बताया कि कंपनी ने अब इन प्रतिबंधित/डार्क जोन में नए ए.पी. नलकूप इलेक्ट्रिक कनेक्शन जारी करना बंद कर दिया है (मार्च 2018 से)।

कंपनी ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन में डार्क जोन में कृषि पंप सेट कनेक्शन जारी किए और अधिसूचना के बाद भी जारी किए गए कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट नहीं किया है।

2.1.9. ऊर्जा बिल

2.1.9.1 शहरों के उन क्षेत्रों में जहां बिजली वितरण मूलभूत संरचना आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत सृजित की गई थी, वहां बिल बनाने का कार्य, इन-हाउस कर लिया गया था। शेष क्षेत्रों में, बिलिंग कार्य मैसर्ज हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन - हरियाणा राज्य पी.एस.यू.) के माध्यम से किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए छः चयनित परिचालन परिमंडलों के बिलिंग डाटा की जांच की गई। निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

19 संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेश में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यचालन पूंजी पर ब्याज की दर तथा ए.सी.डी. पर उपभोक्ता को भुगतान करने के लिए अनुमत ब्याज की दर के मध्य अंतर पर परिकलित।

20 रानिया, जीवन नगर, ऐलनाबाद, पंजुआना, माधोसिंगानिया, बादशाहपुर, पटौदी, फारूखनगर तथा भोरा कलां।

क) कंपनी ने ए.पी. मीटर्ड उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभार[21] (एम.एम.सी.) प्रभारित नहीं किया था, जैसा कि शुल्क आदेशों में अधिसूचित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ की कम वसूली हुई थी;

ख) कंपनी ने एल.टी. श्रेणी में 20 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड वाले उपभोक्ताओं पर नियत प्रभार[22] नहीं लगाए/कम लगाए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.99 करोड़ की कम वसूली हुई;

ग) कंपनी ने 1.55 लाख उपभोक्ताओं के 14.41 लाख बिलों में ₹ 6.63 करोड़ का मीटर किराया प्रभारित किया, जिनके मीटर निष्क्रिय या खराब हो गए थे;

घ) 1.28 लाख उपभोक्ताओं के दो लाख बिलों में क्रमशः एकल और तीन चरण मीटर पर ₹ 20 और ₹ 30 प्रति माह की निर्धारित दरों पर मीटर किराया प्रभारित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.19 लाख की कम वसूली हुई।

ङ) आपूर्ति संहिता यह प्रावधान करती है कि 20 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में कंपनी को उपभोक्ताओं के लिए दो महीने तक की अवधि वाले बिल जारी करने चाहिए। बिल बनाने के लिए निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया गया था। 2013-18 के दौरान, ₹ 1558.31 करोड़ मूल्य के 19.54 लाख बिल विलंब से (10 दिनों के मार्जिन की अवधि के बाद) बनाए गए, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.1.6: बिल बनाने में विलंब

दिनों की सीमा	बिलों की संख्या (लाख में)		बिल की राशि (₹ करोड़ में)	
	आर-ए.पी.डी.आर.डी.	हारट्रोन	आर-ए.पी.डी.आर.डी.	हारट्रोन
71-80	4.42	0.39	299.55	35.66
80-100	3.90	0.48	274.78	26.69
100-120	1.51	0.60	135.61	44.67
120-200	5.41	2.83	478.99	262.34
कुल	**15.24**	**4.30**	**1,188.93**	**369.36**

च) कंपनी ने 13.58 लाख आर.ए.पी.डी.आर.ए.पी. उपभोक्ताओं में से 5.56 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर प्राप्त नहीं किए थे। 3 लाख उपभोक्ताओं के रिकार्ड के अनुसार मोबाइल नंबर दोहरे थे। दोहरेपन की संख्या 2 से 1,456 उपभोक्ताओं के खातों तक थी। मोबाइल नंबर प्राप्त न करने और गलत मोबाइल नंबर दर्ज करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के साथ तेजी से संपर्क स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

21 ऊर्जा उपभोग और एम.एम.सी. को ऊर्जा में गिरावट की स्थिति में राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए आपूर्ति की न्यूनतम निर्धारित लागत और निर्धारित शुल्क पर लगाया जाता है एम.एम.सी. न्यूनतम शुल्क है, उपभोक्ता को उस समय भुगतान करना होता है जब मासिक ऊर्जा शुल्क संबंधित वर्ष के टैरिफ आर्डर में अनुमोदित न्यूनतम शुल्क से कम हो यदि ऊर्जा प्रभार एम.एम.सी. से अधिक हो तो वास्तविक उपभोग के अनुसार राशि देय होती है।

22 नियत प्रभार अतिरिक्त शुल्क हैं, जो बड़े और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं (एच.टी. और एल.टी.) और 20 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड वाले गैर-घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं से उद्गृहीत किए जाते हैं। वे ऊर्जा की खपत के बावजूद लगाए जाते हैं।

प्रबंधन ने एग्जिट कांफ्रेंस में बताया कि (क) और (ख) के लिए लेखापरीक्षा के बताने पर राशि की वसूली कर ली गई थी। हालांकि, यह लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। अन्य सर्कल में भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया गया था; (ग), (घ) और (ङ) के लिए लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था।

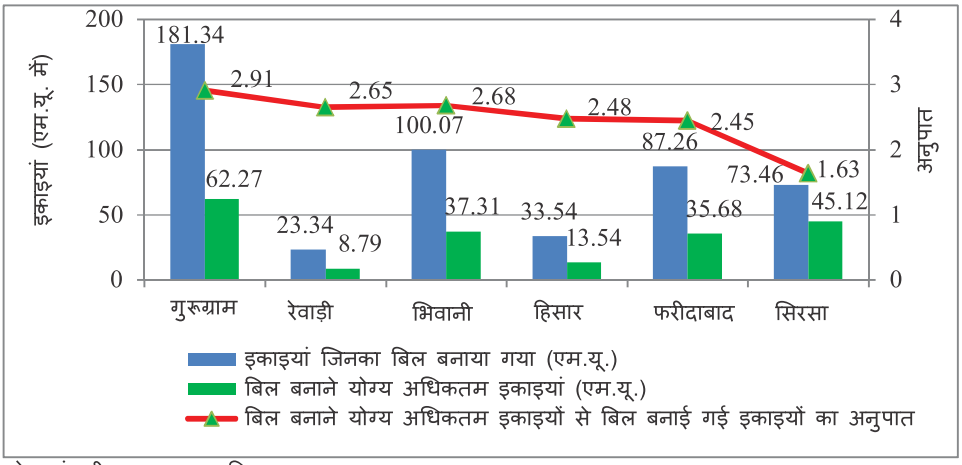
कंपनी को उपभोक्ताओं को त्रुटि मुक्त बिल जारी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिलिंग सॉफ्टवेयर में तार्किक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। तार्किक नियंत्रण में कमियों के परिणामस्वरूप एम.एम.सी. और फिक्स्ड चार्ज, दोषपूर्ण मीटर पर मीटर किराया और बिल बढ़ाने में देरी हुई।

2.1.9.2 स्वीकृत लोड से अधिक ऊर्जा की खपत

बिलिंग डाटा में उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत तरीके में अन्य बातों के साथ स्वीकृत लोड के बारे में सूचना, उपर्युक्त किलोवाट घंटा और संबंद्ध लोड शामिल है। यह जानकारी कंपनी के लिए अपने वितरण की मूलभूत संरचना और लोड की योजना बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की बिक्री नियमावली स्वीकृत खपत भार से 10 प्रतिशत से अधिक की ऊर्जा खपत के मामले में एक बार जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है।

चयनित सर्किलों में 16.09 लाख डी.एस. उपभोक्ताओं में से 0.70 लाख डीएस उपभोक्ताओं ने 2013-18 के दौरान 499.00 एम.यू.[23] ऊर्जा की खपत की थी, जबकि अधिकतम संभव इकाईयाँ जोकि 24 घंटे के लिए पूर्ण स्वीकृत लोड पर 100 प्रतिशत लोड फैक्टर में 202.72 एम.यू. उपभोग की जा सकती थीं। छः चयनित परिमंडलों में पूर्ण स्वीकृत भार की तुलना में ऊर्जा खपत नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.10: 2013-18 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा लोड का उपभोग



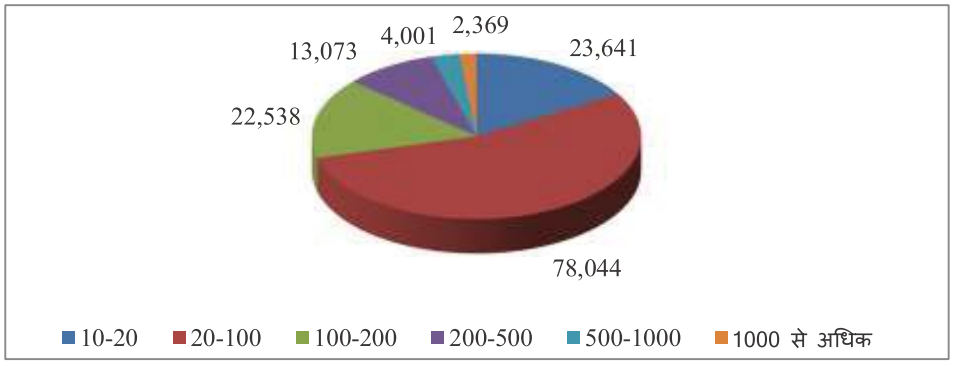
स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग के समय उपयोग किए जाने वाले वास्तविक लोड का डाटा नहीं लिया था, जिसके कारण बिलिंग के समय स्वीकृत लोड से अधिक उपयोग किए गए लोड के मामलों का पता नहीं चल सका। नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है कि 1.44 लाख बिलों में से 0.78 लाख बिलों (54 प्रतिशत) में 20 से 100 प्रतिशत की

[23] अधिकतम संभावित उपभोग (स्वीकृत भार* 24 घंटे* दिनों की संख्या) के 30 गुना से अधिक लागत वाले बिलों को अवास्तविक होने की अनदेखी की गई है।

सीमा में अतिरिक्त खपत थी, 0.23 लाख बिलों (16 प्रतिशत) में स्वीकृत भार का 100 से 200 प्रतिशत अतिरिक्त खपत थी और 2,369 बिलों में (2 प्रतिशत) अत्यधिक भार 1,000 प्रतिशत से अधिक था।

चार्ट 2.1.11: घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त अधिक लोड के बिलों की संख्या और सीमा (प्रतिशत में)



उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न का संज्ञान लेने वाली कंपनी को उनके स्वीकृत लोड में वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए थी। यदि कंपनी यह प्रक्रिया आरंभ करती तो वह उपभोक्ताओं के वास्तविक भार के अनुसार आधारभूत संरचना को बढ़ाकर बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होने के अतिरिक्त ए.सी.डी. और सेवा कनेक्शन प्रभार के एवज में अतिरिक्त शुल्क ले सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर मामला जांच के लिए और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विंग को भेजा जाएगा। कंपनी निगरानी में चूक के लिए अधिकारियों/अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के मामले की जांच कर सकती है, जिसके कारण उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग करते रहे।

कंपनी ने स्वीकृत भार से अधिक लोड के उपयोग के मामलों का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के बिलिंग डेटा का विश्लेषण नहीं किया था और उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने के साथ जुड़े अतिरिक्त शुल्क (अर्थात् निश्चित शुल्क, न्यूनतम मासिक शुल्क और सेवा कनेक्शन शुल्क) की वसूली नहीं कर सकी थी।

2.1.10 राजस्व का संग्रह

सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संबंध में बिल का भुगतान संबंधित उप प्रभागों में और उद्देश्य के लिए नियुक्त संग्रह एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह जरूरी है कि कंपनी को देय राजस्व तुरंत वसूल किया जाए, उसको दर्ज किया जाए तथा बकायों को संचित न होने दिया जाए।

2.1.10.1 राजस्व बिलिंग और संग्रह दक्षता

31 मार्च 2018 को पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी./उदय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कंपनी की बिलिंग और संग्रहण दक्षता की स्थिति को ***परिशिष्ट 3*** में दर्शाया गया है।

कंपनी के कुल बकाया देनदार[24] 31 मार्च 2014 में ₹ 4,460.18 करोड़ से बढ़कर, 31 मार्च 2018 को ₹ 7,332.71 करोड़ हो गए थे। वर्ष 2013-18 के दौरान बिजली बिलों के महीनों की संख्या के संबंध में 5.17 महीनों से 6.22 महीनों का बकाया रहा।

- वर्ष 2014-15 से 2017-18 के अंत में बकाया प्राप्तियों का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.1.7: बकाया प्राप्तियां दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	3 वर्ष से अधिक (प्रतिशतता)	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष	6 माह तक	कुल
2013-14	1,312.95 (29.44)	297.20	356.14	993.74	1,500.15	4,460.18
2014-15	1,652.94 (30.98)	857.13	1,263.55	778.91	779.10	5,331.63
2015-16	1,843.96 (29.00)	1,593.71	1,892.88	400.39	627.63	6,358.57
2016-17	2,803.19 (39.78)	2,208.67	1,346.72	235.62	452.30	7,046.50
2017-18	3,850.06 (52.51)	1,296.13	1,900.31	265.79	20.42	7,332.71

- जैसा कि ऊपर देखा गया है, कुल बकाया प्राप्तियों में तीन साल से अधिक समय तक प्राप्त प्राप्तियों की हिस्सेदारी 2013-14 में 29.44 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 52.51 प्रतिशत हो गई।
- सरकारी विभागों से बिजली के बिलों का भुगतान न किया गया बकाया मार्च 2016 में ₹ 569.28 करोड़ था जो बढ़कर मार्च 2018 तक ₹ 632.97 करोड़ हो गया। यह उदय स्कीम (क्लॉज़ 1.2 एम) के उल्लंघन में था, जो यह निर्धारित करता है कि बिजली की आपूर्ति के लिए सरकारी विभागों से सभी बकाया राशि का भुगतान डिस्कोम्ज को 31 मार्च 2016 तक किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा 98 से 99 प्रतिशत तक के नियत लक्ष्य के विरूद्ध कंपनी संग्रह दक्षता 64.67 से 68.01 तक की सीमा में थी।

प्रबंधन ने बताया कि मार्च/अप्रैल 2018 में सरकारी विभागों से ₹ 300 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के बकाया देनदार बढ़ गए थे और संग्रह दक्षता के लक्ष्य भी एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित नहीं थे।

2.1.10.2 कनेक्शन की समय-समय पर जांच

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163, उपकरण के निरीक्षण और परीक्षण के लिए वितरण कंपनी को एक उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करती है। अपर पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्य कर रहे कंपनी के सतर्कता विभाग को कंपनी के परिचालन स्टॉफ द्वारा जांच करने के अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों की सहायता से उपभोक्ताओं के परिसर की जांच करने का काम सौंपा गया है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान सतर्कता और

[24] इसमें उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के लिए देनदार, न बनाए गए एक महीने (मार्च) के राजस्व बिलों को न चुकाने के लिए देनदार और स्थाई रूप से डिस्कनैक्ट किए गए उपभोक्ताओं से बकाया राशि और बिजली की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए देनदार शामिल हैं।

परिचालन विंग द्वारा जांच किए गए उपभोक्ता परिसरों की संख्या, पकड़ी गई बिजली की चोरी और राजस्व की वसूली के मामलों को ***परिशिष्ट 4*** में दर्शाया गया है।

जांच किए गए कनेक्शनों की संख्या 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल कनेक्शनों की संख्या के 3.11 और 4 प्रतिशत के मध्य थी। सतर्कता विंग द्वारा चोरी का पता लगाने की प्रतिशतता 44.89 और 68.82 प्रतिशत के मध्य रही और आपरेशन विंग द्वारा चोरी का पता लगाने की प्रतिशतता 13.37 और 46.83 प्रतिशत के मध्य रही। जांच के दौरान निर्धारित राशि के विरूद्ध वसूल की गई राशि का प्रतिशत 2013-14 में 51.96 से घटकर 2017-18 में 50.02 प्रतिशत हो गया।

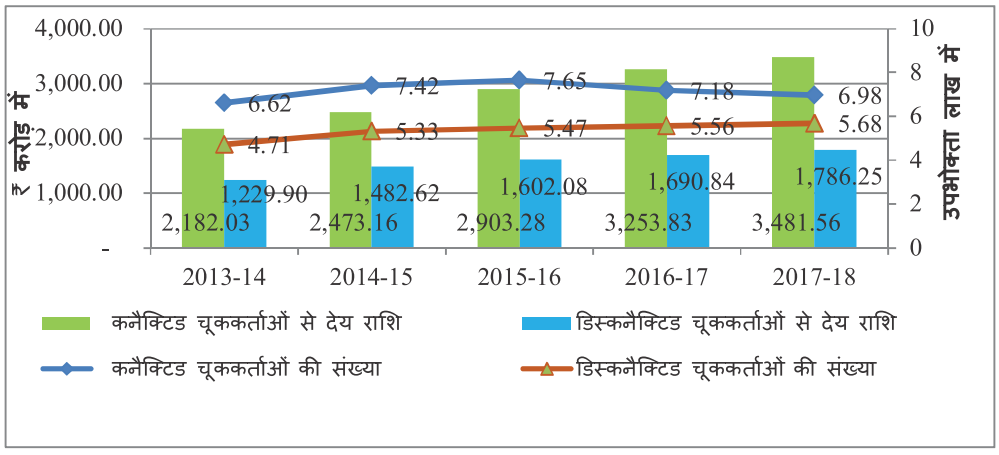
प्रबंधन ने बताया कि समय-समय पर निरीक्षण एक महंगा मामला है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता के अनुकूल नहीं है। तथापि, उन्होंने जांच की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया।

2.1.10.3 बकाएदारों से बकाया

एच.ई.आर.सी. आपूर्ति कोड, 2014 में प्रावधान है कि यदि उपभोक्ता बिल में दी गई देय तिथि के 15 दिनों के भीतर बिजली बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उपभोक्ता आपूर्ति को डिस्कनैक्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार डिस्कनेक्ट किए गए परिसरों में बिजली की आपूर्ति को तब तक पुन: चालू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि सभी बकाया देयों का पूर्ण निपटान नहीं हो जाता है और यदि उपभोक्ता के डिस्कनेक्शन को छ:/तीन[25] महीने के भीतर प्रभावी नहीं किया जाता है तो बिलों के बकाया संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को वित्तीय दंड के रूप में नियत किया जाएगा।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के राजस्व संग्रह के बकाया की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दिखाई गई है:

चार्ट 2.1.12: कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड चूककर्ता उपभोक्ताओं की स्थिति

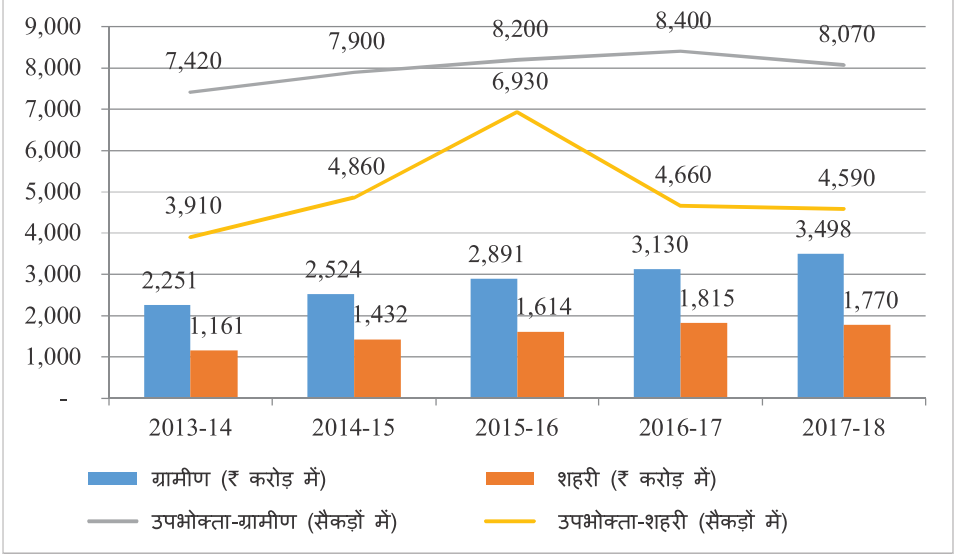


स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

[25] डी.एस./एन.डी.एस. वर्गों के लिए छ: माह और अन्य उपभोक्ताओं के लिए तीन माह।

चूककर्ताओं को ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं में बांटा गया है।

चार्ट 2.1.13: ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से चूक राशि की स्थिति



जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, कनेक्टेड उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि 2013-14 में ₹ 2182.03 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3481.56 करोड़ हो गई थी। ग्रामीण बकाएदारों (8.07 लाख) की संख्या शहरी बकाएदारों (4.59 लाख) की संख्या से अधिक थी। शहरी उपभोक्ताओं (₹ 1770 करोड़) से वसूली योग्य राशि के मुकाबले ग्रामीण उपभोक्ताओं से वसूली योग्य राशि 2017-18 में ₹ 3498 करोड़ थी। ग्रामीण[26] उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली राशि 2013-14 में ₹ 2251 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3498 करोड़ हो गई जबकि शहरी[27] उपभोक्ताओं के लिए इसी अवधि में यह राशि ₹ 1,161 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,770 करोड़ हो गई।

कंपनी ने कनेक्टेड बकाएदारों की बकाया की अवधि पर डाटा नहीं बनाया। इसलिए, चूककर्ता उपभोक्ताओं को डिस्कनेक्ट करने में देरी की सीमा की जांच करना संभव नहीं था। प्रबंधन ने बताया कि एकत्र हुए बकाया को घटाने के प्रयास किए जा रहे थे।

चूक की राशि (कनेक्ट और डिस्कनेक्ट की गई) 2013-14 में ₹ 3,411.93 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 5,267.81 करोड़ हो गई। कनेक्टेड उपभोक्ताओं के बकाया अवधि का डाटा उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण किसी उपभोक्ता को डिस्कनेक्ट करने में लगने वाले औसतन समय का पता नहीं चल पाया।

[26] ग्रामीण उपभोक्ताओं में ग्रामीण घरेलू और कृषि कनेक्शन शामिल हैं।

[27] शहरी उपभोक्ताओं में शहरी घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और सरकारी उपभोक्ता शामिल हैं।

2.1.10.4 चेकों के विलंबित प्राप्ति के कारण ब्याज की हानि

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ए.आर.आर. पर एच.ई.आर.सी. के आदेशों के अनुपालन में, कंपनी ने (मई 2016) अपने फील्ड कार्यालयों को अनुदेश दिया कि ₹ एक लाख से ऊपर के सभी भुगतान केवल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी[28]. के माध्यम से स्वीकार किए जाने चाहिए। जनवरी से मार्च 2017 के दौरान यह सीमा घटाकर ₹ 25,000 और 1 अप्रैल 2017 से ₹ 15,000 तक कर दी गई थी। अनुदेशों के बावजूद, कंपनी ने आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के बजाय निर्धारित सीमा से अधिक के चेकों के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,008.01 करोड़ की मूल राशि पर ₹ 14.12[29] करोड़ ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

उन उपभोक्ताओं के चैकों की वसूली में भी देरी हुई जो 16 से 1,117 दिनों की निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13,194.74 करोड़ की मूल राशि पर ₹ 12.50 करोड़[30] के ब्याज की हानि हुई। कंपनी ने विलंबित क्रेडिट के लिए बैंकों के साथ मामला नहीं उठाया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी चेक की प्राप्ति से पहले उपभोक्ताओं के खाते में क्रेडिट दे रही थी।

प्रबंधन ने बताया कि अब चेक की बजाय आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें चेक की प्राप्ति पर उपभोक्ताओं को एक अनंतिम रसीद दी जाएगी और बैंक से चेक की क्लीयरेंस के बाद ही क्रेडिट दिया जाएगा।

2.1.10.5 कंपनी के मुख्य खाते में निधियों का विलंबित हस्तांतरण

कंपनी पर ब्याज लागतों को बचाने के लिए, विभिन्न खातों में पड़े फंड को तुरंत कैश प्रबंधन प्रणाली (सी.एम.एस.) खाते के माध्यम से कंपनी के मुख्य खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक, कंपनी के 143 अलग-अलग संग्रह खाते थे, जिनमें से केवल 69 खाते सी.एम.एस. से जुड़े थे और शेष 74 गैर-सी.एम.एस. खाते थे।

तीन[31] उप-मंडलीय कार्यालयों में, ₹ 97.13 करोड़ दो से 65 दिनों की देरी के साथ अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान प्रधान कार्यालय में हस्तांतरित किए गए थे। इस राशि में से, ₹ 75.50 करोड़ 10 दिनों की देरी से और शेष ₹ 21.63 करोड़ को दस दिनों से अधिक की देरी के साथ हस्तांतरित किए गए। निधियों के इस विलंबित हस्तांतरण के कारण कंपनी अपने कैश क्रेडिट लिमिट खातों का उस सीमा तक निपटान नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.28 लाख[32] का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

28 निधि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का तरीका।

29 वर्ष 2013-18 के लिए ए.आर.आर. में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी ब्याज की औसत दर पर कार्य किया - 11.31 प्रतिशत।

30 पांच अतिरिक्त दिनों की अनुमति के बाद 2013-18 के दौरान 11.31 प्रतिशत भारित ब्याज दर पर परिकलित।

31 कनीना, अटेली मंडी और नांगल चौधरी।

32 2015-17 के ए.आर.आर. में कार्यशील पूंजी ऋण पर एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत 11.90 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकलित।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि निधियों के हस्तांतरण में देरी के परिहार के लिए सभी वर्तमान गैर-सी.एम.एस. खातों को सी.एम.एस. खातों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा।

2.1.10.6 बैंक में जमा नकद और चेक का मिलान न होना

बैंक में जमा (आर.आई.बी.) के मिलान के डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जनवरी 2011 से मार्च 2018 के दौरान उप-मंडल कार्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा किए गए ₹ 2.23 करोड़ के रोकड़ और ₹ 26.30 करोड़ के चेक बैंक स्टेटमैंट के साथ मेल नहीं खाते। उपर्युक्त मेल नहीं हुए नकद और चेक के आयु-वार विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 1.36 करोड़ की नकद और ₹ 8.25 करोड़ की राशि के चेक तीन वर्षों से अधिक के लिए बिना मिलान के रहे। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि जनवरी 2011 से मार्च 2018 तक उप-मंडल कार्यालयों द्वारा ₹ 21.45 करोड़ की राशि के बताए गए अस्वीकृत 4,055 चेक उनकी बैंक स्टेटमैंट में नहीं पाए गए। मिलान न होने या देर से होने के कारण दुरूपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि 16 टीमों का गठन करके एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और अंतिम स्थिति लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी।

कंपनी ने आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन मोड के बजाय निर्धारित सीमा से अधिक के चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप विलंबित निकासी पर ब्याज का नुकसान हुआ। बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की देरी के मामलों में कंपनी ने बैंकों के साथ विचार विमर्श नहीं किया था। कंपनी समय-समय पर बैंक विवरणी के साथ नकदी और चेक को मिलान नहीं कर पायी थी, जिसके परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपने बैंक खातों को सी.एम.एस. खातों में परिवर्तित नहीं करने के कारण विभिन्न स्थानीय बैंकों के खाते से धनराशि कंपनी के मुख्य खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी।

2.1.11 आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए किया जाता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों का कुशल और प्रभावी तरीके से पालन किया जा रहा है।

कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) की फर्मों को आंतरिक लेखापरीक्षा का काम सौंपा है और कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग सी.ए. द्वारा किए गए काम की जांच करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की समीक्षा से निम्नलिखित कमियां सामने आईं:

- एच.ई.आर.सी. आपूर्ति संहिता, 2014 में लाए गए प्रावधानों को कंपनी की बिक्री नियमावली, 2013 में लाने के लिए उसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। नए आपूर्ति संहिता की शुरुआत के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए- कम खपत वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को 45 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया, उपभोक्ताओं से अग्रिम खपत जमा की समीक्षा करने की अवधि को तीन साल में एक बार से घटाकर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कर दिया गया, ए.पी. उपभोक्ताओं पर ₹ 2,000 प्रति बी.एच.पी. की चोरी के दंड प्रभारों के एकमुश्त निर्धारण को बदलकर भार

आधारित निर्धारण (एक महीने में 20 दिनों के लिए आठ घंटे की आपूर्ति मानकर) आदि कर दिया गया। कंपनी ने बदलावों को दर्शाते हुए बिक्री परिपत्र जारी किया है लेकिन आज तक (नवंबर 2018) इसकी बिक्री नियमावली को संशोधित नहीं किया है।

- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इन रिपोर्टों में दी गई टिप्पणियाँ सामान्य हैं जैसे स्वीकृति के बिना किए गए खर्च, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का निपटान न होना, संबंधित अधिकारियों से अग्रिम की वसूली न करना और गलत श्रेणी में कनेक्शन जारी करने के कारण राजस्व का अवनिर्धारण आदि। यद्यपि, विलंबित/परिदान जमा न करने के दावों, ए.पी. उपभोक्ताओं को बिजली की अधिक आपूर्ति आदि मामलों पर अभ्युक्ति नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि बिक्री नियमावली को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और इस प्रकार की अनियमितताओं को देखने के लिए सभी सी.ए. फर्मों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

कंपनी ने अपनी बिक्री नियमावली को अद्यतन नहीं किया है और जिन गतिविधियों में प्रमुख राजस्व और व्यय शामिल है, उन्हें आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

टैरिफ, बिलिंग और राजस्व संग्रह के संबंध में कंपनी का प्रदर्शन कई पहलुओं में कम पाया गया। कंपनी ने किसानों को बिजली के बिल माफ करने और महिला उपभोक्ताओं और पंजीकृत गौशालाओं को दी गई छूट पर ₹ 20.81 करोड़ की परिदान का दावा नहीं किया है। एच.ई.आर.सी. के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा स्थिर मीटरों के साथ 3.02 लाख विद्युत यांत्रिक मीटरों को बदला जाना था। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त ए.सी.डी. के रूप में ₹ 935.91 करोड़ की राशि कम वसूली थी। नियत प्रभारों की कम वसूली और मीटर किराए के कम प्रभार के परिणामस्वरूप ₹ 15.02 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं हुई। स्वीकृत लोड से अधिक अनधिकृत ऊर्जा की खपत के कारण राजस्व का नुकसान संभावित रूप से अधिक था। कंपनी पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा यथा निर्धारित संग्रह दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और इसके परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि ₹ 4,460.18 करोड़ (मार्च 2014) से बढ़कर ₹ 7,332.70 करोड़ (मार्च 2018) हो गई थी। कंपनी ने कनेक्टेड चूककर्ताओं के आयु-वार विश्लेषण का अनुरक्षण नहीं किया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि बैंकों में किए जमा भुगतान का समय-समय पर बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा ने उपभोक्ताओं के डाटाबेस में कमियों को इंगित नहीं किया जिसके कारण कंपनी के राजस्व पर विपरित प्रभाव पड़ा।

सिफारिशें

कंपनी विचार कर सकती हैः

- एच.ई.आर.सी. के उचित अनुमोदन से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति पर छूट दी गई है, को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करना;
- एच.ई.आर.सी. के आदेशों के अनुसार दोषपूर्ण और विद्युत-यांत्रिक मीटरों को बदलना और पिछली अवधियों के खपत पैटर्न के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली ए.सी.डी. को संशोधित करना;
- अधिक खपत के मामलों की पहचान करने के लिए उपभोक्ताओं की खपत पैटर्न के विरूद्ध स्वीकृत लोड का विश्लेषण करना और बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति रोकना;
- बिलों को समय से प्रस्तुत करना और दोषी उपभोक्ताओं से बकाया का त्वरित संग्रह सुनिश्चित करना; तथा
- अपने निधि प्रबंधन में सुधार और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना।

अध्याय-3

विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 3

3 विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकार की कंपनियों तथा विद्युत क्षेत्र के सांविधिक निकाय की नमूना-जांच से उपलब्ध महत्वपूर्ण परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित है:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.1 माल की खरीद और माल सूची प्रबंधन

कंपनी ने ट्रांसफार्मर आयल की खरीद पर जांच खुली निविदा की बजाए लिमिटेड टेंडर लेकर ₹ 5.34 करोड़ का अधिक व्यय किया। एन.ए.बी.एल.[1] सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण कंपनी ₹ 198.54 करोड़ का माल उपयोग नहीं कर सकी। 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी।

3.1.1 प्रस्तावना

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) हरियाणा के उत्तरी भाग में बिजली की आपूर्ति के लिए 33 किलोवोल्ट (के.वी.) के स्तर तक वितरण प्रणाली के कार्य को देखती है और उसका रख-रखाव करती है। वितरण नेटवर्क के रख-रखाव के लिए, कंपनी विभिन्न प्रकार के माल की खरीद और रख-रखाव करती है। कंपनी का माल प्रबंधन (एम.एम.) विंग, माल की खरीद और माल सूची प्रबंधन कार्यों का संचालन करता है।

कंपनी के एम.एम विंग की एक लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या खरीद आवश्यकताओं के वास्तविक निर्धारण के बाद मितव्यता, दक्षता और प्रभावी तरीके से किया गया और क्या कंपनी में एक वैज्ञानिक और प्रभावी माल सूची प्रबंधन प्रणाली मौजूद है या नहीं।

2013-18 के दौरान कंपनी के एम.एम. विंग ने ₹ 1,228.79 करोड़ मूल्य के 694 खरीद आदेश (पी.ओ.) दिए थे। कंपनी की खरीद की प्रमुख मदें वितरण ट्रांसफार्मर (₹ 523.22 करोड़), केबल्स और कंडक्टरज (₹ 312.78 करोड़), बिजली मीटर (₹ 135.01 करोड़) और पूर्व कास्ट सीमेंट पोल (₹ 61.01 करोड़) थे, जो कुल खरीद का 84 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए रैंडम आधार[2] पर ₹ 614.85 करोड़ (पी.ओ. का 16.43 प्रतिशत और मूल्य का 50.04 प्रतिशत) के मूल्य वाले 114 पी.ओ. का चयन किया, जिसमें सभी तीन[3] केंद्रीय स्टोर और कंपनी के 10 डिवीजनल स्टोर्स शामिल हैं।

1 परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।

2 स्तरीकृत नमूनाकरण विधि के आधार पर चयनित।

3 धूलकोट, पानीपत तथा रोहतक।

3.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम

क माल की खरीद

i) ताजा ट्रांसफार्मर तेल की खरीद

दिसंबर 2012 से पहले, कंपनी खुली निविदाओं के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर तेल खरीद रही थी। खरीद समय को कम करने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.)[4] से सीमित निविदाएं मंगवाकर ट्रांसफार्मर तेल की खरीद के लिए कंपनी के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया (दिसंबर 2012)। कंपनी ने 2013-18 के दौरान छः सीमित निविदाओं के माध्यम से ₹ 36.46 करोड़ के मूल्य का 4,354 किलोलीटर (के.एल.) ट्रांसफॉर्मर तेल खरीदा।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने एक निविदा के अंतिमकरण में 15 दिन का समय लिया जबकि शेष पांच निविदाओं में, एकल भाग निविदाओं के माध्यम से खरीद के लिए 30 दिनों की प्रस्तावित समय सीमा के विरूद्ध 35 और 85 दिनों के मध्य समय लिया। इस प्रकार, कंपनी सीमित निविदा द्वारा समय बचाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकी। ट्रांसफॉर्मर तेल की खरीद में समय कभी महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि यह एक आसानी से उपलब्ध वस्तु है और आदेश देने के बाद इसके विनिर्माण की आवश्यकता नहीं है। सीमित निविदा का विकल्प लेने से पहले कंपनी ने खुली निविदा को अंतिम रूप देने में 54 दिन लगाए (अप्रैल 2012)।

यह भी देखा गया कि कंपनी ने मौजूदा बाजार मूल्य परिदृश्य का पता नहीं लगाया और किसी भी स्तर पर अन्य पड़ोसी राज्यों की बिजली उपयोगिताओं द्वारा भुगतान की गई दरों की तुलना नहीं की। पड़ोसी राज्यों की पावर यूटिलिटीज ने 2013-18 के दौरान जिस दर पर ट्रांसफॉर्मर तेल की खरीद की वह ₹ 1,947 प्रति किलो लीटर से लेकर ₹ 25,678 प्रति किलो लीटर (3 से 61 प्रतिशत) तक कम[5] थी। परिणामस्वरूप, कंपनी ने सा.क्षे.उ. के माध्यम से 4,354 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल की खरीद पर ₹ 5.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था, जो कि खुले प्रतिस्पर्धा निविदाओं को आमंत्रित करके बाजार के माध्यम से खरीदा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सरकार की उच्च शक्ति खरीद समिति (एच.पी.पी.सी.) ने सीमित निविदा के द्वारा सा.क्षे.उ. से ट्रांसफॉर्मर तेल खरीदने की प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला किया (अगस्त 2018)।

ii) आवश्यकताओं से अधिक सामग्री की खरीद

कंपनी के खरीद मैनुअल में प्रावधान है कि इंडेंटिंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अधिक इंडेंटिंग, जिसके परिणामस्वरूप निधि अनुचित अवरोधन और माल ले जाने की भारी लागत पड़ती है, से बचा जाए। पूर्णकालिक निदेशक निर्धारित भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान और स्टोर्स में उपलब्ध भौतिक शेष को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की वार्षिक आवश्यकता को अंतिम रूप देते हैं।

[4] इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[5] 4,354 किलो लीटर की मात्रा के लिए यू.एच.बी.वि.नि.लि. द्वारा भुगतान किए गए ट्रांसफार्मर तेल की दरों की पी.ओ. में ट्रांसफर तेल की दरों के साथ तुलना की गई जो कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर कोयला फील्ड लिमिटेड क्षेत्रों की बिजली उपयोगिताओं द्वारा की गई है जो कि यू.एच.बी.वि.नि.लि. द्वारा ट्रांसफार्मर तेल की वास्तविक प्राप्ति तक अध्यतन है।

वार्षिक आवश्यकता से अधिक इंडेंटिंग और खरीद के कुछ मामले देखे गए:

- कंपनी ने मार्च 2012 में 164 किलोमीटर (के.एम.) हाई टेंशन एरियल बंचड (एच.टी.ए.बी.) तार खरीदी। निविदा प्रक्रिया के दौरान, कंपनी ने क्षेत्र आवश्यकताओं का हवाला देते हुए एच.पी.पी.सी. से प्रारंभिक निविदा मात्रा 113 से बढ़ाकर 164 किलोमीटर तक करने का अनुरोध किया।

हमने अवलोकित किया कि हालांकि 2012-13 के दौरान उपयोग के लिए केबल की वर्धित मात्रा की खरीद की गई फिर भी 2012-13 के दौरान इसकी खपत केवल 18.88 किलोमीटर थी। इस केबल का अधिकांश हिस्सा प्रतिस्थापन, मरम्मत और रख-रखाव कार्यों में कम मात्रा में उपयोग किया गया था और वर्ष 2013-14 से 2017-18[6] के दौरान वार्षिक खपत 10.62 किलोमीटर से 34.09 किलोमीटर की सीमा में थी। कार्य/प्रयोजन, जिसके लिए केबल खरीदी गई थी, उन कार्यों को टर्नकी आधार पर कार्य प्रदान करके पूर्ण किया गया तथा ₹ 3.52 करोड़ मूल्य की 55.05 किलोमीटर केबल आपूर्ति की तिथि से 18 महीने की वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद भी बिना प्रयोग हुए स्टोर में पड़ी थी (अक्तूबर 2018)।

आवश्यकता से अधिक केबल की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के संबंधित ब्याज[7] लागत के साथ ₹ 3.52 करोड़ धनराशि का अवरोधन हुआ।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इस केबल का उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे और इस केबल की और खरीद नहीं की गई है।

- कंपनी ने अगस्त 2014 में 1,800 किलोमीटर एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड (ए.सी.एस.आर) की खरीद की और एक वर्ष में केवल 409 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. की खपत हुई। अगस्त 2015 में 1,491 किलोमीटर कंडक्टर स्टोर्स में उपलब्ध था। हालांकि, उपलब्ध स्टॉक स्तर और कम खपत पैटर्न को अनदेखा करते हुए कंपनी ने ₹ 2.79 करोड़ मूल्य के 600 किलोमीटर एसी.ए.सी.आर. के आदेश को दोहराया (अगस्त 2016)। ए.सी.एस.आर. की पूरी मात्रा का उपभोग भी अप्रैल 2018 तक नहीं किया जा सका क्योंकि 288 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. स्टोर में अभी भी पड़ा था। इस प्रकार, कंपनी ने वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना बार-बार आदेश दिए और अपनी निधियों को अवरुद्ध कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2018) कि ए.सी.एस.आर. को क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सूचित मांग के आधार पर खरीदा गया था और 2017-18 से आगे, डेड इन्वेंटरी को नियंत्रित करने के लिए खरीद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित मांग की बजाय खपत पैटर्न पर आधारित होगी।

- कंपनी ने वार्षिक आवश्यकता का हवाला देते हुए ₹ 3.12 करोड़ मूल्य का 481 किलोमीटर का सिंगल कोर केबल खरीदी (जून 2013), यद्यपि स्टोर में यह केबल (मई 2013 में 1,074 किलोमीटर) पर्याप्त मात्रा में थी। इससे कुल उपलब्ध स्टॉक 1,555 कि.मी. तक बढ़ गया। कंपनी ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान

6 2013-14 में 34.09 किलोमीटर, 2014-15 में 10.62 किलोमीटर, 2015-16 में 15.60 किलोमीटर, 2016-17 में 11.76 किलोमीटर तथा 2017-18 में 18.04 किलोमीटर।

7 अप्रैल 2012 से मार्च 2018 की अवधि में कंपनी द्वारा सामग्री खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर मई 2011 से सितंबर 2012 के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) की 12.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर परिकलित।

519 किलोमीटर केबल की खपत की तथा 2016-2018 के दौरान 554 किलोमीटर केबल की खपत की अर्थात् कुल 1,073 किलोमीटर केबल की खपत हुई।

मार्च 2018 तक कंपनी ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. को ₹ 1.66 करोड़ मूल्य की 318 किलोमीटर केबल हस्तांतरित की (जुलाई 2016) जबकि ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की 164 किलोमीटर केबल का स्टॉक स्टोर में पड़ा था। जून 2013 में पी.ओ. प्रस्तुत करते समय, चूँकि पर्याप्त मात्रा में स्टाक स्टोर में पड़ा था, कंपनी इस खरीद को पूरी तरह से टाल सकती थी। इस प्रकार, गलत प्रक्षेपण और आवश्यकता से अधिक केबल की खरीद के कारण, ₹ 3.12 करोड़ की धनराशि को अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि वे 2017-18 के दौरान इस केबल की खरीद नहीं करेंगे और आवश्यकता को उपलब्ध स्टॉक से पूरा किया जाएगा।

- कंपनी ने अक्तूबर 2014 में कृषि पावर फीडर के लिए प्रति ट्रांसफार्मर ₹ 2.07 लाख के 400 पायलट एडवांस्ड ट्रांसफॉर्मर (पी.ए.टी.) खरीदे। इन ट्रांसफार्मरों की धीमी खपत दर तथा इस तथ्य के बावजूद कि वारंटी अवधि केवल 12 महीने थी, कंपनी ने मार्च 2015 में 250 ट्रांसफार्मरों के लिए दोबारा आदेश दे दिया। 31 मार्च 2017 को स्टॉक की स्थिति 109 ट्रांसफार्मर थी और 650 ट्रांसफार्मर की पूरी मात्रा केवल मार्च 2018 तक उपभोग की जा सकती थी। इस प्रकार, ट्रांसफार्मर की गति और स्टोर में रखी प्रमात्रा पर विचार किए बिना ट्रांसफार्मर की खरीद के परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मरों की अत्यधिक खरीद हुई। इसके अतिरिक्त, अंतिम खरीद आदेश की आधी प्रमात्रा की वारंटी अवधि उनकी वास्तविक स्थापना से पहले ही स्टोर में रखे हुए ही समाप्त हो गई।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2018) कि इन ट्रांसफार्मरों की खपत में देरी, स्थापन और संचालन के संबंध में तकनीकी जानकारी की कमी के कारण थी। प्रबंधन के जवाब को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2015 में दोबारा आदेश उचित नहीं था। प्रबंधन वारंटी अवधि व्यतीत होने के बाद ही पी.ए.टी. का उपयोग कर सकता था। कंपनी द्वारा स्थापन और संचालन के संबंध में संबंधित स्टाफ के उचित प्रशिक्षण के बाद ही उन्हें आदेश देना चाहिए था।

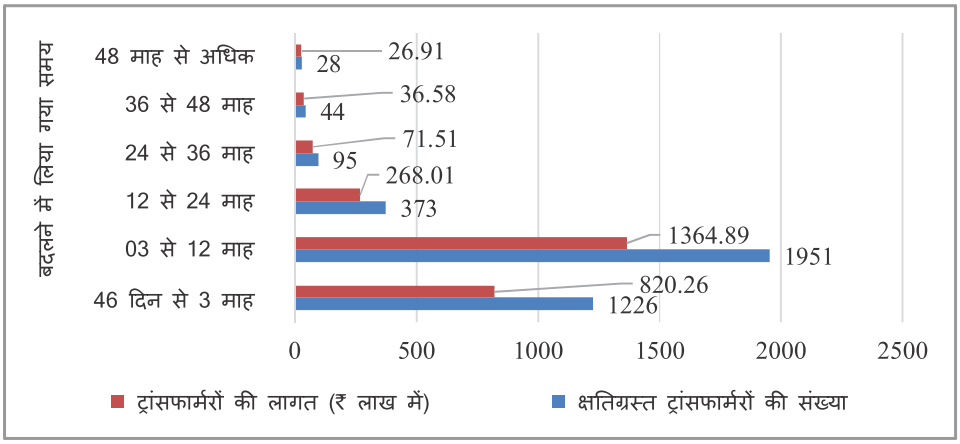
धन के अवरोधन से बचने के लिए कंपनी को भविष्य में माल की खरीद के लिए अपनी आवश्यकताएं निर्धारित करने की आवश्यकता है।

iii) वारंटी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त डी.टीज के प्रतिस्थापन के लिए दावा

कंपनी माल, प्राप्ति की तिथि से 78 महीने की वारंटी अवधि या प्रतिस्थापन की तिथि से 72 महीने तक जो भी पहले हो, वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी.टी.) की खरीद करती है। पी.ओ. की शर्तों में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता उचित समय, जो कि 45 दिनों से अधिक नहीं हो, के भीतर वारंटी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त डी.टीज को बदलेगा जिसके लिए कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को तत्काल नोटिस दिया जाना था। आपूर्तिकर्ता से खराब माल बदलने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कंपनी क्षतियों की वसूली के लिए आपूर्तिकर्ता की बैंक गारंटी (बी.जी.) को भुना सकती है। जारी किए गए पी.ओ. में प्रावधान है कि यदि खराब माल 45 दिनों के भीतर बदला नहीं जाता है तो आपूर्तिकर्ता माल के मूल्य पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। इस ब्याज क्लॉज को अगस्त 2016 से बंद कर दिया गया था।

धूलकोट केंद्रीय स्टोर में 2013-18 के दौरान क्षतिग्रस्त 4,207 ट्रांसफार्मरों (वारंटी अवधि के भीतर) को बदलने में लिए गए समय को नीचे दिए गए चार्ट में इंगित किया गया है:

चार्ट 3.1: क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलने में लगने वाला समय



क्षतिग्रस्त डी.टीज लेने के बाद 590 मामलों में 46 दिनों से 54 महीने तक की देरी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से थी जिसके लिए कंपनी ने उनसे वसूले जाने वाले ₹ 0.22[8] करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया। इन डी.टीज को बदलने में और फील्ड यूनिट के द्वारा लिए गए समय और सप्लायर द्वारा निर्धारित स्टोर में प्रतिस्थापन करने के लिए 45 दिनों के बाद प्रतिस्थापन में देरी को कारण माना जा सकता है। कंपनी ने कार्यस्थल से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को समय पर बदलने के लिए किसी भी प्रभावी प्रणाली का विकास नहीं किया, ताकि 45 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ वारंटी दावों का पालन किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 25.88 करोड़[9] का सामान 46 दिनों से 48 महीने से अधिक की अवधि के लिए बेकार पड़ा रहा।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि कर्मचारियों और परिवहन की कमी के कारण देरी हुई और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को गंतव्य स्टोर में स्थानांतरित करने में प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जहां डी.टी. को मरम्मत के बाद देरी से प्राप्त किया गया था, वहां आपूर्तिकर्ताओं से जुर्माना वसूलने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी को क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को कार्यस्थल से गंतव्य स्टोर तक पहुंचाने और उन्हें निर्धारित समय के भीतर बदलवाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के पास वारंटी दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

iv) खरीद प्रक्रिया में अक्षमताएं

हरियाणा सरकार ने सफल बोलीदाताओं को आदेश दी गई मात्रा के विभाजन के लिए नीति में संशोधन किया (अक्तूबर 2016) और राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) से खरीदे जाने वाले निविदा की मात्रा के 60 प्रतिशत तक की क्रय वरीयताओं की घोषणा की। इन उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम धन जमा में छूट, निष्पादन सुरक्षा, टर्नओवर की आवश्यकता और पिछले अनुभव के संबंध में अन्य छूट की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने (जनवरी 2015 और जून 2016) गत तीन वर्षों से खरीद दरों

[8] अगस्त 2016 से पहले जारी किए गए सभी खरीद आदेशों के लिए परिगणित।

[9] पांच वर्षों के ट्रांसफार्मर की विभिन्न क्षमताओं की औसत खरीद की गणना की गई।

के मानकों पर दरों की उचितता का निर्धारण करने के लिए संबंधित इंडेंटिंग विभागों को कम से कम तीन निकटवर्ती राज्यों में दरों का निर्धारण करने का निर्देश दिया।

2016-18 में कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल 74 में से 24 निविदाओं[10] की नमूना-जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुई:

- चार निविदाओं[11] में, अन्य राज्यों की खरीद दरों से कोई तुलना नहीं की गई थी तथा 12 निविदाओं[12] में तुलना के लिए उपयोग की गई अन्य राज्यों की दरें दो से छः वर्ष पुरानी थी।
- दो निविदाओं[13] में, एम.एस.एम.ई. को प्रदान की गई मात्रा, उन्हें वरीयता देने के लिए, उक्त नीति के अनुसार उनके दावे से कम थी।

इस प्रकार, कंपनी एम.एस.एम.ई. को वरीयता प्रदान करने की हरियाणा सरकार की नीति का पालन करने में विफल रही।

ख माल सूची प्रबंधन

i) गुणवत्ता परीक्षण के साथ भुगतान को न जोड़ा जाना

मई 2016 (आठ प्रयोगशाला) तथा अक्तूबर 2018 (तीन प्रयोगशाला) में चयनित विभिन्न 11 एन.ए.बी.एल. सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त माल को गुणवत्ता जाँच के लिए भेजा जाता है। एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला में पारित माल को ही कंपनी स्टॉक में लेती है और इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोग के लिए तैयार होता है। पी.ओ. के भुगतान शर्तों के अनुसार, परीक्षण परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना माल की प्राप्ति की तिथि से 30वें/45वें दिन आपूर्तिकर्ता को पूर्ण भुगतान की जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से व्यवस्थित ऋण से भुगतान किया जाता है।

इस प्रकार, गुणवत्ता परीक्षण पास करने वाली सामग्री पर भुगतान आकस्मिक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, भुगतान समय पर किए गए थे, जबकि प्रयोगशालाओं से परीक्षण के परिणामों में देरी के कारण सामग्री महीनों तक खपत के लिए उपलब्ध नहीं थी। नवंबर 2015[14] से अप्रैल 2018 के दौरान प्राप्त माल और स्टॉक पर ली गई सामग्री से संबंधित 5,243 नमूना-जांच किए मामलों में से 1,554 मामलों में, सामग्री रखने और माल की प्राप्ति

10 ट्रांसफार्मर, केबल, ट्रांसफार्मर तेल, एल.टी.फ्यूज इकाई और जी.आई. वायर की खरीद के लिए।

11 निविदा जांच संख्या 1957, 1965, 2491 तथा 1933

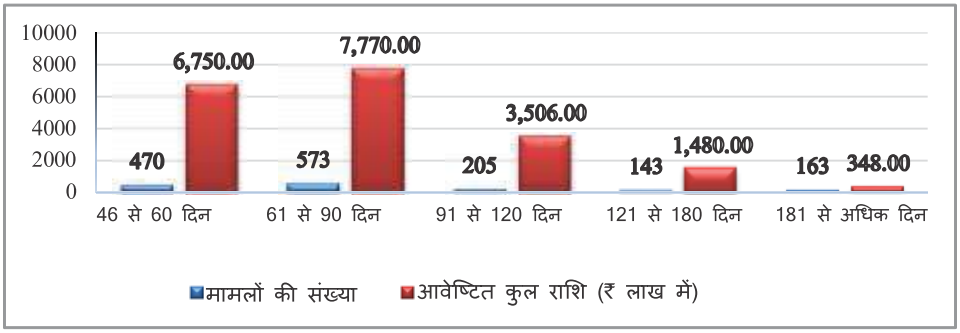
12 निविदा जांच संख्या 1947, 1950, 1951, 1952, 1969, 1970, 1971, 1935, 1937, 1945, 1946 तथा 1930

13 निविदा जांच संख्या 1952 तथा 1965

14 ऑन-लाइन डाटा नवंबर 2015 से उपलब्ध था।

और स्टॉक में लेने की तिथि के मध्य महत्वपूर्ण समय अंतर[15] देखा गया।

चार्ट 3.2: माल स्टॉक पर लेने में लिया गया समय



कंपनी 46 दिनों से 180 दिनों से अधिक के लिए ₹ 198.54 करोड़ की माल सूची का उपयोग नहीं कर सकी, यद्यपि भुगतान इसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कर दिया गया था। कंपनी को ₹ 1.89 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज वहन करना पड़ा क्योंकि प्राप्त सामग्री के लिए भुगतान धन की व्यवस्था करके किया गया था, लेकिन उसका तुरंत उपयोग नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि प्रयोगशालाओं में आमतौर पर माल के परीक्षण में एक महीने से अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि कंपनी ने नए खरीद आदेश में सामग्री के परीक्षण के खंड में संशोधन (मार्च 2016) किया है जिसमें कहा गया है कि सभी लॉटस में से एक नमूने की बजाए एक लॉट में से एक नमूने को यादृच्छिक रूप से परीक्षण के लिए लिया जाएगा तथा गैर-नमूना लॉटस को परीक्षण के बिना तुरंत इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षण के परिणामों में तेजी लाने के लिए कंपनी अनुभवी प्रयोगशालाओं द्वारा अपने नमूनों के परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं को बड़ी संख्या में सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है। सामग्री के परीक्षण के खंड में संशोधन इस चिंता का समाधान नहीं करता है। इसके विपरीत, यह सामग्री की गुणवत्ता आश्वासन स्तर को प्रभावित कर सकता है क्योंकि परीक्षण के लिए नमूने की संख्या कम कर दी गई है।

ii) माल सूची स्तर का पालन न किया जाना

कंपनी ने 2016-17 तक वस्तुवार न्यूनतम, अधिकतम और पुन: क्रमिक स्तर तय नहीं किए थे। कंपनी ने सभी मदों के लिए पिछले तीन वर्षों के क्रमशः चार और छः महीने की औसत खपत के बराबर माल सूची के न्यूनतम और अधिकतम स्तर की सूची तय की (फरवरी 2017) लेकिन कोई पुन: क्रमिक स्तर तय नहीं किया। तथापि, यह देखा गया कि इन स्तरों का अनुपालन नहीं किया गया था, उदाहरणत: 31 मार्च 2017 तक डी.टीज की माल सूची स्तर 2,964 थी (मूल्य ₹ 34.60 करोड़)। कंपनी ने 2017-18 के दौरान डी.टी. की नई आपूर्तियां स्वीकार की और 31 मार्च 2018 तक स्टॉक स्तर 12,556 (₹ 107.79 करोड़) तक पहुंच गया जो कि 9,468 के अधिकतम स्तर से अधिक था। 2017-18 के दौरान अधिकतम स्तर से अधिक स्टॉक में ट्रांसफार्मर की मात्रा 22 से 200 प्रतिशत थी, जो कि ₹ 26.74 करोड़ के बराबर थी।

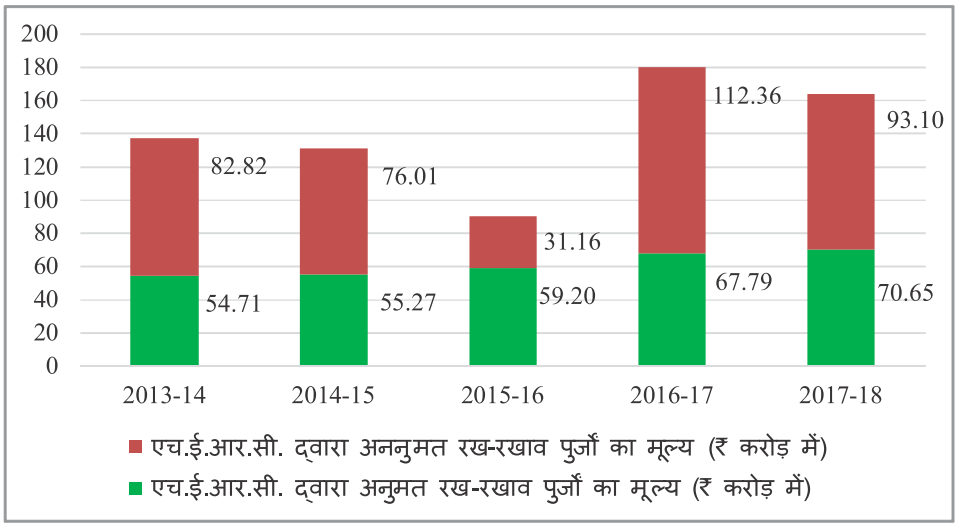
[15] सामग्री के परीक्षण और भुगतान के लिए 45 दिनों के समय की अनुमति के बाद।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि माल सूची के न्यूनतम और अधिकतम स्तर पहली बार तय किए गए थे और आने वाले वित्तीय वर्ष में ऐसे स्तर निर्धारित करने के लिए उनकी समीक्षा की जाएगी, जो वास्तविक हों।

iii) उच्च माल सूची स्तर का वित्तीय प्रभाव

टैरिफ विनियमों के अनुसार, एच.ई.आर.सी. टैरिफ के माध्यम से वसूली जाने वाली कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति के लिए रख-रखाव पुर्जों के रूप में आरंभिक स्थाई अचल संपत्तियों के एक प्रतिशत की अनुमति देता है। नीचे दिए गए चार्ट में माल सूची का हिस्सा बनने वाले पुर्जों का मूल्य इंगित किया गया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा इसकी अनुमति दी गई है:

चार्ट 3.3: एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत रख-रखाव/पुर्जों का मूल्य



एच.ई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार पुर्जों के रख-रखाव के स्तर को बनाए न रखने के कारण, कंपनी को 2013-14 से 2017-18 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा वित्त प्रभारों की अनुमति न देने के कारण ₹ 43.84 करोड़[16] का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2016 तक ₹ 135.01 करोड़ की वर्तमान माल सूची में ₹ 50 करोड़ तक की माल सूची कम करने के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) के निर्णय (नवंबर 2016) के बावजूद, कंपनी ने उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की और सूची स्तर मार्च 2018 तक बढ़कर ₹ 237.60 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2017 तक डी.टीज ₹ 82.89 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹ 145.05 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2018 तक, स्टोर की मदें (केबल्स, उच्च क्षमता ट्रांसफार्मर और कंडक्टर) जिनका मूल्य ₹ 19.96 करोड़ (कुल सामान का लगभग 8 प्रतिशत) माल सूची का हिस्सा थे जो तीन साल से अधिक पहले खरीदे गए थे और उनकी खपत दर बहुत धीमी थी (कुछ मामले पैराग्राफ 3.1.2 ए (ii) में संदर्भित हैं। कंपनी को सूची स्तर को नियत करने के लिए परिचालन की आवश्यकतानुसार कदम उठाने चाहिए। परिचालन की

[16] अपने टैरिफ और ट्रू-अप ऑर्डर में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत मानदंडों से परे रख-रखाव पुर्जों के मूल्य पर वर्ष-वार ब्याज दर पर काम किया। 2013-18 की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. से परे रख-रखाव पुर्जों का मूल्य ₹ 395.45 करोड़ था।

आवश्यकता के आधार पर औचित्य के साथ पुर्जों के रख-रखाव के स्तर को उठाने के लिए एच.ई.आर.सी. के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए।

iv) स्क्रैप का निपटान न होना

स्टोर्स/कार्यशालाओं में सृजित स्क्रैप में एल्यूमीनियम, पीतल, केबल, कंडक्टर, तांबा, मीटर, लौह इत्यादि का स्क्रैप शामिल होता है। ई-नीलामी के माध्यम से 2015-18 के दौरान ₹ 73.37 करोड़ के स्क्रैप का निपटान किया गया था। कंपनी के बी.ओ.डी. मंडल ने निर्देश दिया (सितम्बर 2015) कि बेकार सामग्री या स्क्रैप 30 दिनों से अधिक समय तक स्टोर में नहीं रहना चाहिए और स्क्रैप का निपटान तीव्र होना चाहिए। एच.टी.ए.बी केबल (195.71 मीट्रिक टन) का स्क्रैप एकत्र हो गया था (अप्रैल 2016) और एक बड़ा क्षेत्र घेर रहा था। स्क्रैप बेचने की बजाय कंपनी ने इन्सुलेटेड कंडक्टर के रूप में इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया और तदनुसार निर्देश दिए। क्षेत्रीय कार्यालयों ने सूचित किया (फरवरी से जून 2017) कि आकार में ज्यादा एवं कम इन्सुलेशन प्रतिरोध (आई.आर.) मूल्य का होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो सका। 50 मीट्रिक टन को पुन: उपयोग के लिए रखने के बाद इस केबल को स्क्रैप के रूप में नीलामी करने के लिए कंपनी के निपटान विंग के प्रस्ताव (फरवरी 2017) के बावजूद कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कंपनी ने अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के दौरान केवल 28 मीट्रिक टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया था और ₹ 3.54 करोड़ (कंपनी द्वारा आकलित मूल्य) का 385 मीट्रिक टन का स्क्रैप 31 मार्च 2018 तक पड़ा था, जो स्टोर की जगह घेरे हुआ था। कंपनी को अतिरिक्त निधियां सृजित करने और भंडारण स्थान को खाली करने के लिए समयबद्ध तरीके से स्क्रैप को निपटाने के लिए कदम उठाने पर विचार करना चाहिए।

(ग) भौतिक सत्यापन और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

i) स्टोर्स का लेखा और भौतिक सत्यापन

इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

- स्टोर्स के सत्यापन के लिए अनुदेश स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा स्टोर्स की सभी मदों के वार्षिक स्वतंत्र सत्यापन का प्रावधान करते हैं। निर्माण कार्य (कार्यस्थल) पर उपलब्ध सामग्री का साल में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। स्टॉक सत्यापनकर्ता के दो स्वीकृत पदों के विरूद्ध, केवल एक ही व्यक्ति को काम पर लगाया गया था वह भी पुन: रोजगार के आधार पर। स्टॉक सत्यापनकर्ता ने जनवरी 2016 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान लगभग 12 प्रतिशत वस्तुओं को स्टोर्स के भौतिक सत्यापन में शामिल किया। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री के भौतिक सत्यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
- 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी और इनमें से ₹ 82.15 लाख मार्च 2015 से पहले की अवधि से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-18 के दौरान वसूलनीय राशि माल की प्रमाणित कमी के कारण ₹ 10.43 लाख से बढ़कर ₹ 2.13 करोड़ हो गई। हालांकि, इस तरह की कमी के लिए डिफॉल्टिंग अधिकारियों की ज़िम्मेदारी निर्धारित न करने के कारण इसे वसूल नहीं किया जा सका। अधीक्षक अभियंता (एस.ई.) स्टोर, धूलकोट द्वारा गठित एक समिति

(जून/जुलाई 2017) ने अपने तीन[17] डिवीजनल स्टोर्स के साथ केंद्रीय स्टोर पानीपत का स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और ₹ 1.02 करोड़ की कमी की सूचना दी जिसके लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी (मई 2018)।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि स्टोर की मदों के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति गठित करके अलग व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अधीक्षक अभियंता द्वारा गठित समिति द्वारा यथा इंगित कमी के लिए दोषी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

- कंपनी ने लेखा विंग द्वारा काम पूरा होने के एक महीने के निर्धारित समय के भीतर कार्य-प्रभार और उसके बाद अंतिम रूप से कार्यस्थल[18] पर सामग्री खाता पर सामग्री जमा करना सुनिश्चित नहीं किया है। हमने पाया कि 348 निर्माण कार्यों के खातों से संबंधित ₹ 15.76 करोड़ के माल को अभी तक 90 अधिकारियों द्वारा जमा नहीं किया गया था (मार्च 2018) और उनकी विलंबता अवधि निम्नानुसार थी:

तालिका 3.1: एम.ए.एस. खातों की लंबनता

कार्यों के पूरा होने के बाद की समय अवधि	31 मार्च 2018 तक एम.ए.एस. खातों की लंबित संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
एक वर्ष से अधिक	122	1.98
छः महीने से एक वर्ष तक	77	3.37
छः महीने से कम	149	10.41
कुल	**348**	**15.76**

एम.ए.एस. के समय पर प्रस्तुत न करने से कार्य प्रभारी द्वारा माल का गबन किए जाने का जोखिम रहता है।

- 31 मार्च 2018 तक समायोजन के लिए ₹ 1.98 करोड़ मूल्य के अंतर-स्टोर लेन-देन के 141 मामले लंबित थे। इनमें से ₹ 0.37 करोड़ और ₹ 1.61 करोड़ के लेन-देन क्रमशः 2016-17 और 2017-18 से संबंधित हैं।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी स्टोर्स के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा सकती है तथा माल के लेन-देन का उचित लेखांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

ii) माल सूची प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने (सितंबर 2015) ऑनलाइन माल सूची प्रबंधन प्रणाली (आई.एम.एस.) प्रारंभ की। आई.एम.एस., पी.ओ. की नियुक्ति से सामग्री की प्राप्ति के लेन-देन रिकॉर्ड करने और क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना जारी करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह, रसीद और स्टॉक जारी करने, इनवेंटरी होल्डिंग, माल सूची की लागत आदि पर विभिन्न रिपोर्ट सृजित करता है। हमने आई.एम.एस. में निम्नलिखित कमियों को देखा:

17 कैथल, करनाल तथा पेहोवा।

18 कार्यस्थल पर सामग्री खाता आमतौर पर एम.ए.एस. के नाम से जाना जाता है जो कि एक विशेष काम के खाते के रूप में स्टोर से जितनी भी सामग्री निकाली गई और अन्य कार्यों के लिए सामग्री स्थानांतरित की गई, उसकी खपत और बकाया सामग्री को दर्शाता है। यह खाता उन प्रमुख कार्यों की सामग्री के उचित लेखांकन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी नियंत्रण उपकरण है जो एक से अधिक वित्तीय वर्ष में फैल सकता है।

- आई.एम.एस. द्वारा बताई गई वस्तुओं की आयुवार रिपोर्ट गलत थी क्योंकि ये उस अवधि पर आधारित नहीं थी, जबसे वे स्टोर में रखी हुई थी। इसके बजाय ये अंतिम बार दर्ज लेन-देन (रसीद/अंक) पर आधारित थे। यदि प्रणाली में लेन-देन की प्रविष्टि की जाती है, तो उस वस्तु की पूरी मात्रा को हाल ही के स्टॉक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, प्रणाली के माध्यम से माल सूची की आयु की निगरानी करना संभव नहीं था।
- आई.एम.एस. द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में दर्शाई मालसूची के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्तरों में अंतर था।
- स्टोर संगठन द्वारा प्रदान की गई स्क्रैप सूची की मात्रा में अंतर था, तथा जो नवंबर 2016 से आई.एम.एस. द्वारा दिखाया गया है। कंपनी के निपटान विंग ने (नवंबर 2016) अंतर देखा और स्टोर विंग से इसे ठीक करने का अनुरोध किया। तथापि, 16 महीने के अंतराल के बाद भी, ₹ 2.67 करोड़ (मार्च 2018) का अंतर था। सरकार ने बताया कि स्क्रैप के मूल्य में अंतर इस तथ्य के कारण था कि आई.एम.एस. में नीलाम की गई सामग्री तब दिखाई जाती है, जब इसे वास्तव में उठाया गया था। इस प्रकार, प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है। कंपनी प्रणाली के माध्यम से माल सूची की प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाने के लिए कमियों को दूर करने पर विचार कर सकती है।

(घ) गुणवत्ता आश्वासन एवं पर्यावरण संरक्षण

i) गुणवत्ता आश्वासन योजना

कंपनी ने (अप्रैल 2014) गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यू.ए.पी.) को अपनाया जिसके लिए आवश्यक था कि कंपनी अपने अधिकारियों को ₹ 30 लाख तक की सामग्री के पूर्व वितरण निरीक्षण और ₹ 30 लाख से अधिक की सामग्री के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए मनोनीत किया जाना था। हमने पाया कि तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण मार्च 2015 तक किया गया था तथा इसके बाद सभी सामग्रियों के लिए सभी निरीक्षण कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे और इसके लिए थर्ड पार्टी को सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

कंपनी के क्रय विनियमन सामग्री के निरीक्षण के लिए गुणवत्ता जांच कक्ष की स्थापना की आवश्यकता पर बल देता है। तथापि, स्थापना के तीन महीनों के भीतर ही जांच कक्ष को भंग कर दिया गया। सरकार ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि 2016 में बोलीदाताओं की कम भागीदारी के कारण निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी की नियुक्ति पूरी नहीं हो सकी। कंपनी ने 2016 के बाद बोली शुरू नहीं की है।

i) पर्यावरण संरक्षण

विभिन्न प्रकार के स्क्रैप, साफ और गंदे ट्रांसफार्मर तेल आदि जो स्वाभाविक तरीके से नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनको स्टोर में रखा जाता है। ट्रांसफार्मर तेल में पोलिक्लोरीनेटेड बायफेनिल (पी.सी.बी.) होता है, जो एक सिंथेटिक रसायन है, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बेकार पड़े ट्रांसफामरों को नीलामी से पहले विखंडित किया जाता है और धोकर साफ किया

जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, गंदे ट्रांसफार्मर तेल के साथ मिले पानी को सीधे स्टोर परिसर के बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि नीचे दी गई छवियों से स्पष्ट होता है:



कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण हेतु बहिस्राव उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) की स्थापना नहीं की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्टोर और स्क्रैप के संचालन और निपटान के लिए अपनी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन नहीं किया है।

सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया (अक्तूबर 2018) है।

निष्कर्ष

कंपनी ने खुले निविदाओं की बजाय सीमित निविदा जांच का उपयोग करके 4,354 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल की खरीद पर ₹ 5.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। वारंटी दावों के अनुपयुक्त संचालन के कारण, ₹ 25.88 करोड़ का उपयोग योग्य सामान निष्क्रिय पड़ा रहा। एन.ए.बी.एल. सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने में देरी के कारण कंपनी 46 दिनों से 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए ₹ 198.54 करोड़ की सामान का उपयोग नहीं कर सकी, जबकि इसके प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जा चुका था। 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी और इनमें से ₹ 82.15 लाख मार्च 2015 से पहले की अवधि से संबंधित थे।

हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र

3.2 ब्याज का परिहार्य बोझ

एच.पी.पी.सी. द्वारा इरेडा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में जी.बी.आई. के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने संबंधी कोई दंडात्मक प्रावधान शामिल न करने के कारण बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य खर्च वहन करना पड़ा।

भारत सरकार (जी.ओ.आई.), नवीन और नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने रूफटॉप फोटोवोल्टिक (पी.वी.) और अन्य छोटे बिजली संयंत्रों को गति प्रदान करने के लिए (जून 2010) दिशानिर्देश जारी किए। इस उद्देश्य के लिए जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव[19] (जी.बी.आई.) पर एक कार्यक्रम शुरू किया। एम.एन.आर.ई. द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 'कार्यक्रम प्रशासक' के रूप में भारतीय अक्षय विद्युत विकास एजेंसी (इरेडा) को नामित

[19] हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र (एच.पी.पी.सी.) के लिए जी.बी.आई. ₹ 12.24 प्रति इकाई थी जो कि ₹ 17.91 प्रति इकाई (केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर) और ₹ 5.67 प्रति किलोवाट घंटा (2011-12 के दौरान पावर प्लांट के लिए ₹ 5.50 प्रति किलोवाट घंटा का बेस रेट है जो तीन प्रतिशत बढ़ा है।)

किया गया था। कार्यक्रम को लागू करने के लिए, स्थानीय बिजली वितरण इकाई को राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित उचित टैरिफ दर पर सौर विद्युत उत्पादक के साथ एक बिजली खरीद समझौता (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर करने थे। सौर विद्युत परियोजना शुरू होने की तिथि से 25 साल की अवधि के लिए जी.बी.आई. बिजली वितरण इकाई को देय था।

अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देश यह भी बताता है कि जी.बी.आई. का लाभ उठाने के लिए विद्युत वितरण इकाई इरेडा के साथ सेवा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करेगी तथा एम.एन.आर.ई. स्थानीय बिजली वितरण इकाई को समय पर भुगतान करने के लिए इरेडा को धनराशि प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, एम.एन.आर.ई. से धन की प्राप्ति में देरी के मामले में, इरेडा वाणिज्यिक बैंकों जैसे वैकल्पिक स्रोत से राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा, ताकि वितरण इकाइयों को जी.बी.आई. का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इरेडा द्वारा वैकल्पिक निधिकरण स्रोत की व्यवस्था करने पर नुकसान उठाने की स्थिति में एम.एन.आर.ई. अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

हरियाणा बिजली खरीद केंद्र (एच.पी.पी.सी.), जो विद्युत वितरण कंपनियों[20] (डिस्कॉम) की ओर से बिजली खरीदता है, ने अगस्त 2010 में विद्युत वितरण कंपनियों की तरफ से आठ[21] सौर विद्युत उत्पादकों के साथ बिजली खरीद समझौता किया। पी.पी.ए. के अनुसार, यदि 30 दिन के निर्धारित समय के भीतर एच.पी.पी.सी. द्वारा भुगतान नहीं किया जाता, तो वह वास्तविक विलंबित अवधि के लिए प्रति माह 1.25 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कार्यक्रम के अंतर्गत जी.बी.आई. का लाभ उठाने के लिए एच.पी.पी.सी. ने इरेडा के साथ भी समझौता ज्ञापन किया (26 अप्रैल 2011)। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एच.पी.पी.सी. को अगले महीने के 15वें दिन तक मासिक आधार पर जी.बी.आई. दावा प्रस्तुत करना था। इसके बदले में इरेडा को दावा प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर मासिक आधार पर एच.पी.पी.सी. के दावों का निपटान करना था। तथापि, एम.ओ.यू. में इरेडा द्वारा जी.बी.आई. दावों को सुलझाने में देरी करने पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई धारा शामिल नहीं की गई थी।

वितरण कंपनियां अपने नियमित संचालन के लिए ब्याज वाले उधारित धन/नकद क्रेडिट पर निर्भर थे। एच.पी.पी.सी. ने इन ब्याज वाली निधियों का इस्तेमाल किया और सौर विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान करने के लिए ₹ 2.72[22] करोड़ का ब्याज दिया। इसलिए यह वांछनीय था कि एच.पी.पी.सी. को जी.बी.आई. के दावों के निपटारे में देरी के मामले में इरेडा से ब्याज का भुगतान प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन में एक धारा शामिल करके अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करना चाहिए था।

20 उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

21 मैसर्ज बी.के.जी. एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज एस.डी.एस. सोलर प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज चन्द्रलीला एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज सी. एंड एस. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, मैसर्ज सुखबीर सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, जामिल इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज एच.आर. मिनरलज एंड एलोय प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज तायल एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड।

22 वर्ष 2011-12 के लिए (12.25 प्रतिशत), 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (12 प्रतिशत), 2015-16 (12.5 प्रतिशत), 2016-17 (11.3 प्रतिशत) और 2017-18 (8.74 प्रतिशत) डिस्कोम्ज के लिए अनुमोदित कार्यशील पूंजी के ब्याज दर पर गणना की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2018) कि इरेडा ने 352 दिनों तक की देरी के साथ एच.पी.पी.सी. के जी.बी.आई. दावों को जारी किया।

तालिका 3.2: जी.बी.आई. दावों की प्राप्ति में देरी

(₹ करोड़ में)

दिनों में देरी	मामलों की संख्या	जी.बी.आई. दावा राशि जो विलंब से प्राप्त हुई थी	ब्याज का भार
1-100	295	35.95	0.54
100-200	145	18.45	0.84
200-300	119	14.52	1.11
300 से अधिक	17	2.17	0.23
कुल	**576**	**71.09**	**2.72**

2012-18 के दौरान 352 दिनों तक की देरी[23] के साथ ₹ 72.68 करोड़ के कुल जी.बी.आई. दावे में से केवल ₹ 71.09 करोड़ जारी किए गए थे जबकि फरवरी से अप्रैल 2018 तक की अवधि के लिए इरेडा द्वारा ₹ 1.59 करोड़ की शेष राशि अभी तक जारी नहीं की गई है (जुलाई 2018)।

इस प्रकार, इरेडा के साथ अपने एम.ओ.यू. में वितरण कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एच.पी.पी.सी. द्वारा किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं करने की विफलता, जी.बी.आई. दावों के देरी से निपटारे के मामले में ब्याज का दावा करने के परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों पर ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2019) कि इरेडा और एच.पी.पी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन एक मानक दस्तावेज था और इसमें किसी भी विचलन की अनुमति नहीं थी। इरेडा द्वारा केंद्र सरकार से धन प्राप्त होने के बाद ही एच.पी.पी.सी. के मासिक दावों की प्रतिपूर्ति की गई थी, जबकि एक प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए सौर डेवलपर्स को देय तिथियों पर भुगतान किया गया था। तथापि, फरवरी 2018 से इरेडा से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद अब बिल जारी किए जा रहे हैं।

कंपनी को अपने स्वयं के वित्तीय हित की रक्षा के लिए समझौता ज्ञापन में संशोधन के लिए एम.एन.आर.ई के दिशानिदेशों अनुरूप फंड जारी करने हेतु प्रभाव डालना चाहिए था। इस संबंध में इरेडा पर भी एम.एन.आर.ई. के दिशानिर्देशों के अनुरूप फंड जारी करने के लिए प्रभाव डालना चाहिए। एम.एन.आर.ई. के दिशानिर्देश अनुसार यदि एम.एन.आर.ई. से इरेडा को फंड मिलने में विलंब होता है, तो इरेडा इस फंड की व्यवस्था किसी दूसरे वैकल्पिक स्रोत से करेगा तथा ऐसा करने से इरेडा को जो अतिरिक्त लागत देनी पड़ेगी, उस लागत की प्रतिपूर्ति इरेडा को कर दी जाएगी। परिहार्य ब्याज राशि की गणना, समय पर भुगतान करने पर प्राप्त हुई एक प्रतिशत छूट का समायोजन करने के बाद की गई है।

इस मामले से सरकार को संदर्भित किया गया था (मई 2018); उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2019)।

[23] डिस्कोम्ज द्वारा सौर विद्युत उत्पादकों को इरेडा से जी.बी.आई. दावों की प्राप्ति की तिथि से या 1 अगस्त 2018 जहां भुगतान प्राप्त होने बाकी हैं वहां 30 दिनों के अंतर से देरी की गणना की गई है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 चोरी हो चुके ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान उपभोक्ताओं से कम वसूली

कंपनी ने बिक्री परिपत्र जारी किए जो विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 के उल्लंघन में थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 99.48 लाख की कम वसूली हुई।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने 8 जनवरी 2014 को विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 अधिसूचित किया। विनियमन 4.4.2 (2) प्रावधान करता है कि लो-टेंशन कनेक्शन (घरेलू आपूर्ति कनेक्शन के अतिरिक्त), जहां एक उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, उसे यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, चोरी सहित चाहे वह काई भी कारण हो, प्रतिस्थापन की लागत उपभोक्ता और लाइसेंसधारक के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी। तदनुसार, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) ने विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुपालन के लिए जारी किया (12 फरवरी 2014)। इस विनियमन से पहले, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने लागत के 20 प्रतिशत वसूलने के बाद चोरी हुए ट्रांसफार्मर को बदल दिया।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन करने के लिए उपरोक्त विनियमन जारी करने के तुरंत बाद (12 फरवरी 2014) ही उसके निलंबन के आदेश (21 फरवरी 2014) जारी किए। कंपनी ने (18 अप्रैल 2014) फिर से बिक्री परिपत्र को संशोधित करते हुए उपभोक्ता से लागत का 50 प्रतिशत की वसूली करने पर विचार किया। इसने फिर से आदेशों को वापस ले लिया (21 अप्रैल 2014) और अगस्त 2015 तक उपभोक्ताओं से चोरी हुए ट्रांसफॉर्मर की 20 प्रतिशत लागत वसूलना जारी रखा। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए (24 सितंबर 2015) कि यदि ट्रांसफार्मर वारंटी के अंतर्गत था तो ट्रांसफॉर्मर की 50 प्रतिशत लागत वसूल करे और जिन ट्रांसफॉर्मरों की वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थीं, उनके लिए 20 प्रतिशत लागत वसूल करे। कंपनी के उपरोक्त निर्देश विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 के विनियमन 4.4.2 (2) के उल्लंघन में थे।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत वसूल करने की बजाय 20 प्रतिशत की वसूली करके ही पांच सर्कलों[24] में चोरी हुए 623 ट्रांसफार्मरों को बदल दिया (जनवरी 2014 से नवंबर 2017)। अधिसूचित नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कंपनी ने नमूना-जांच किए गए सर्कलों में उपभोक्ताओं से ₹ 99.48 लाख वसूलने में विफल रही। विनियमन का पालन न करना अभी भी जारी है (अगस्त 2018)।

यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी को ऐसी ही कार्यवाही अन्य सर्कलों में भी करनी चाहिए तथा एच.ई.आर.सी. दिशानिर्देशों को लागू करने और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

इस मामले को सरकार और कंपनी को भेजा गया था (अप्रैल 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

[24] फरीदाबाद, गुरूग्राम, रेवाड़ी, पलवल तथा नारनौल।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.4 श्रमिक कल्याण उपकर की कम वसूली

कंपनी ने आपूर्ति हिस्से पर ठेकेदारों के बिलों से श्रम कल्याण उपकर वसूल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.97 लाख की कम वसूली हुई।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम) की धारा 3 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर किसी भी संगठन द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर का संग्रहण और उगाही का प्रावधान है। तदनुसार, भारत सरकार ने नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की उगाही (सितंबर 1996) को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 3 के अनुसार निर्माण की लागत में, भूमि की कीमत एवं कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रदत्त मुआवजा या देय मुआवजा को छोड़कर भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए सभी व्यय निर्माण लागत में शामिल हैं।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) ने टर्नकी आधार पर 132 के.वी. और 66 के.वी. उप-स्टेशनों और लाईनों के निर्माण के लिए दो निविदा[25] आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) जारी किए (नवंबर 2012 और अगस्त 2014) और एल-1 बोलीदाताओं को प्रत्येक एन.आई.टी. के विरूद्ध दो पृथक कार्य आदेश[26] (एक आपूर्ति के लिए और दूसरा निर्माण के लिए) जारी किए (अगस्त 2013 और मई 2015)। आपूर्ति के हिस्से के लिए कार्य आदेश में यह प्रावधान था कि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कीमतों में सभी लागू कर, शुल्क और उगाही शामिल थी और नियोक्ता द्वारा इसके लिए कोई दावा नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 2018) कि कंपनी ने केवल ₹ 13.83 करोड़[27] के निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से ठेकेदारों के चालू बिलों से श्रम कल्याण उपकर की कटौती की और बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में ₹ 45.97 करोड़[28] की आपूर्ति (सामग्री) की लागत पर ₹ 45.97 लाख का उपकर वसूल नहीं किया। सामग्री, निर्माण कार्य का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार निर्माण लागत में भौतिक लागत और निर्माण दोनों शामिल हैं। मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय[29] (मई 2012) में बताया है कि निर्माण की लागत को आपूर्ति भाग और निर्माण भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। निर्माण की कुल लागत पर उपकर लगाया जाता है, जिसमें आपूर्ति भाग शामिल होता है।

25 एन.आई.टी. संख्या 629 तथा 688.

26 एन.आई.टी. संख्या 629 (आपूर्ति भाग ₹ 21.23 करोड़ और निर्माण भाग ₹ 5.07 करोड़) तथा एन.आई.टी. संख्या 688 (आपूर्ति भाग ₹ 30.79 करोड़ और निर्माण भाग ₹ 9.98 करोड़)।

27 एन.आई.टी. 629 के अंतर्गत ₹ 3.83 करोड़ और एन.आई.टी. 688 के अंतर्गत ₹ 9.87 करोड़ तथा ₹ 0.13 करोड़।

28 एन.आई.टी. 629 के अंतर्गत ₹ 18.97 करोड़ तथा एन.आई.टी. 688 के अंतर्गत ₹ 27 करोड़।

29 मैसर्ज जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

आपूर्ति हिस्से पर उपकर नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों के बिल से ₹ 45.97 लाख[30] के उपकर की कम वसूली हो पाई और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को कम जमा हुआ तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2018) में बताया कि कंपनी दो अलग-अलग अनुबंध करती है जैसे एक विभिन्न उपकरणों/निर्माण/विद्युत उपकरणों की आपूर्ति के लिए और दूसरा सभी उपकरणों के निर्माण के लिए तथा निर्माण हिस्से पर एक प्रतिशत उपकर काटती है। यह मुद्दा 2009-10 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाया गया था और श्रम आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर कोपू द्वारा गिरा दिया गया था क्योंकि ठेकेदारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति पर उपकर की उगाही नहीं की जानी थी। तथापि, मई 2012 में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में, यह विवाद सही नहीं है।

कंपनी को अब ठेकेदारों से उपकर काटना चाहिए और इसे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास जमा करना चाहिए। आगे यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी ऐसे अन्य कार्य आदेशों के संबंध में भी उद्ग्रहण और वसूली का मामला उठा सकती है।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

[30] एन.आई.टी. 688 के लिए ₹ 27 लाख तथा एन.आई.टी. 629 के लिए ₹ 18.97 लाख।

भाग - II

गैर-विद्युत क्षेत्र

अध्याय-4

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

भाग II

अध्याय 4

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

प्रस्तावना

4.1 31 मार्च 2018 को 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.) थे, जो विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। 1966-67 से 2017-18 के दौरान शामिल किए गए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 25 सरकारी कंपनियां और दो सांविधिक निगम[1] शामिल थे। सरकारी कंपनियों में सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाली दो[2] सहायक कंपनियां और चार[3] निष्क्रिय कंपनियां शामिल थीं। चार[4] सरकारी कंपनियों ने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने केवल 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निधियों का निवेश किया। शेष छः संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों की इक्विटी में संबंधित सह-भागीदार/होल्डिंग कंपनियों द्वारा योगदान दिया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और हरियाणा के स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण दिया गया है:

तालिका 4.1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं हरियाणा स.रा.घ.उ.के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	3,006.57	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	3,95,747.73	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73
टर्नओवर के विरूद्ध हरियाणा का स.रा.घ.उ. का प्रतिशत	0.76	2.01	0.94	0.94	0.75

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स.रा.घ.उ. के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

1 हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम।

2 हारट्रोन इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड को हारट्रोन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (8 मार्च 1995) किया गया और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड को एच.एस.आई.आई.डी.सी. की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (27 दिसंबर 2016) किया गया।

3 हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड ने क्रमशः 2002-03, 2001-02, 1997-98 और 2002-03 से अपने परिचालनों को बंद कर दिया।

4 हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड।

संबंधित वर्षों में उपलब्ध उनके नवीनतम लेखापरीक्षा लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर पूर्ववर्ती वर्ष में दर्ज टर्नओवर की तुलना में 2013-14, 2014-15 और 2017-18 के दौरान बढ़ा। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा लेखाओं की तैयारी नकद आधार से बदलकर संग्रहण आधार पर करने के कारण वर्ष 2014-15 में टर्नओवर में वृद्धि हुई है। 2013-18 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि दर 11.32 प्रतिशत और 195.73 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर 11.50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 11.67 प्रतिशत रही। मिश्रित वार्षिक वृद्धि विभिन्न समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। स.रा.घ.उ. की 11.67 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में इन उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 16.49 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। स.रा.घ.उ. की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी में मामूली सी कमी हुई थी, जो कि 2013-14 में 0.76 प्रतिशत एवं 2017-18 में 0.75 प्रतिशत थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम हैं जो कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साधन के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। इसलिए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति को दो प्रमुख वर्गीकरणों के तहत विभाजित और विश्लेषण किया गया है अर्थात् सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले। इसके अतिरिक्त, इनमें से पांच[5] सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए शामिल किए गए थे, उन्हें अन्य के तहत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2018 तक इन 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी के रूप में निवेश का विवरण और दीर्घकालिक ऋण ***परिशिष्ट-5*** में विस्तृत हैं।

4.4 31 मार्च 2018 तक इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया हैः

तालिका 4.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेक्टर वार निवेश

सेक्टर	सा.क्षे.उ. की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
सामाजिक सेक्टर	9	136.97	149.85	286.82
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सा.क्षे.उ.	13	491.84	5,277.91	5,769.75
अन्य	5	45.75	337.50	383.25
कुल	**27**	**674.56**	**5,765.26**	**6,439.82**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

[5] हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को पुलिस विभाग के भवन निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए निगमित किया गया; हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हरियाणा में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं को लागू करने के लिए निगमित किया गया था; हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निगमित किया गया; हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड को हरियाणा रोडवेज के लिए बस बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप के रूप में निगमित किया गया; हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना और कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया।

31 मार्च 2018 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 6,439.82 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के लिए 10.47 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण में 89.53 प्रतिशत शामिल थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए दीर्घकालिक ऋणों में से, राज्य सरकार के ऋण केवल 0.04 प्रतिशत (₹ 2.37 करोड़) थे।

निवेश में 88.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश 2013-14 में ₹ 3,413.28 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 6,439.82 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से बकाया दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 2,832.57 करोड़ से ₹ 5,765.26 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई। बकाया ऋणों में हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का हिस्सा ₹ 5,274.22 करोड़ था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

4.5 वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

4.6 हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/परिदान, बट्टे खाते ऋण, और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण बजटीय विवरणों का सारांश विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 4.3: वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[6]	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी कैपिटल निर्गम (i)	5	19.11	2	3.10	4	7.71
दिए गए ऋण (ii)	0	0	0	0	0	0
प्रदान की गई अनुदान/परिदान (iii)	9	161.55	8	445.08	9	188.60
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**180.66**		**448.18**		**196.31**
बट्टे खाते ऋण चुकौती	-	-	1	81.24	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियाँ	3	575.64	3	677.62	3	2,030.52
गारंटी प्रतिबद्धता	5	974.49	5	1,084.36	5	3,351.48

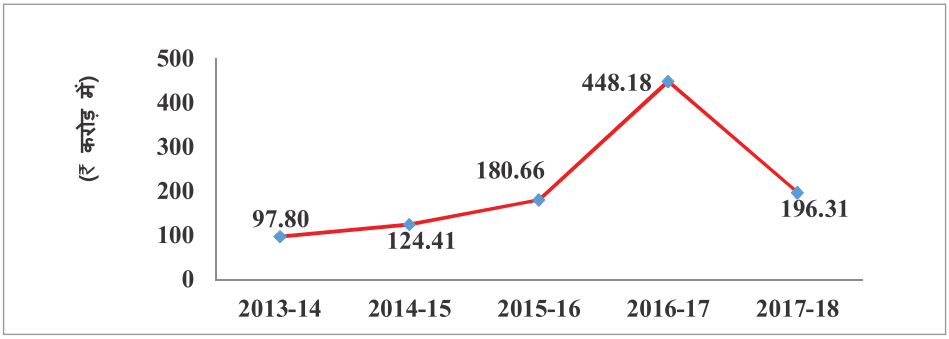
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और

[6] राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

अनुदान/परिदान के लिए बजटीय विवरण नीचे ग्राफ़ में दिए गए हैं:

चार्ट 4.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के लिए बजटीय निर्गम



2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 97.80 करोड़ और ₹ 448.18 करोड़ के मध्य रही। वर्ष 2017-18 के दौरान दिए गए ₹ 196.31 करोड़ की बजटीय सहायता इक्विटी और अनुदान/परिदान के रूप में शामिल है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई ऋण सहायता प्रदान नहीं की। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली परिदान/अनुदान मुख्य रूप से ऋण माफी और प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रदान किया जाना था।

हरियाणा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गारंटी प्रदान करता है। राज्य सरकार 1 अगस्त, 2001 से बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण पर 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत की दर से गारंटी फीस प्रभारित करती है। बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में 573.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएं 2013-14 में ₹ 497.38 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3,351.48 करोड़ हो गई थीं। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6.02 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान दो[7] सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

4.7 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों से मेल होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को इस अंतर को दूर करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 को इसकी स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.4: हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया गारंटी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	587.68	563.15	24.48
ऋण	183.09	216.54	33.45
गारंटी	2,843.71	3,351.48	507.77

स्रोत: सा.क्षे.उ. और राज्य वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

[7] हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इस तरह के अंतर पाए गए हैं जैसा कि ***परिशिष्ट-6*** में दर्शाया गया है। आंकड़ों के मध्य ये अंतर पिछले कई सालों से जारी है। अंतर दूर करने का मुद्दा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनके प्रशासनिक विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी) के बकायों में बड़ा अंतर देखा गया है। आंकड़ों का मिलान न होने से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और चोरी भी हो सकती है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अपने अंतर को दूर करना चाहिए।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

4.8 31 मार्च 2018 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 23 कार्यरत (21 कंपनियां और दो सांविधिक निगम) हैं और चार निष्क्रिय हैं। उनके लेखाओं की तैयारी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की स्थिति नीचे दी गई है:

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, वर्ष 2017-18 के लिए 21 कार्यरत कंपनियों में से केवल तीन कंपनियों ने 30 सितंबर 2018 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष लेखापरीक्षा के लिए अपने खाते प्रस्तुत किए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य के दोनों सांविधिक निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक नहीं है। वर्ष 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखाओं की प्रतीक्षा की गई थी।

30 सितंबर 2018 तक कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	18	20	19	21	23
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा किए गए लेखाओं की संख्या	16	17	19	14	27
3.	वर्तमान वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	1	1	1	1	3
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनको अंतिम रूप दिया गया	15	16	18	13	24
5.	लेखाओं में बकाया राशि के साथ कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	17	19	18	20	20
6.	बकाया में लेखाओं की संख्या	33	34	35	43	38
7.	बकाया राशि (वर्षों की संख्या)	1-4	1-5	1-5	1-5	1-4

स्रोत: 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक की अवधि के दौरान इन 23 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने 27 वार्षिक लेखाओं (वर्ष 2017-18 के लिए 3 वार्षिक लेखे और पिछले वर्षों के 24 वार्षिक लेखे) को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, 20 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित 38 वार्षिक लेखे बकाया थे। प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओं की गतिविधियों की देख-रेख करने एवं यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकाया के बारे में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित विभागों को तिमाही सूचना दी गई थी।

हरियाणा सरकार ने 21 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से नौ को ₹ 635.16 करोड़ (इक्विटी ₹ 27.03 करोड़, अनुदान/परिदान: ₹ 608.13 करोड़) प्रदान किए थे, जिन्हें 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. वार निवेश का ब्योरा, जिसके लेखें बकाया में हैं ***परिशिष्ट-7*** में दर्शाया गया है। तथापि, अक्तूबर 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान 10 में से नौ कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, जबकि दिसंबर 2018 तक 20 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित 28 लेखाओं की प्रतीक्षा की गई।

शेष सा.क्षे.उ. में लेखाओं को अंतिम रूप देने में और उसके बाद उनके लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया था या नहीं तथा जिस उद्देश्य से राशि का निवेश किया गया था, उसे प्राप्त किया गया था या नहीं। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार निवेश करती है जिसके परिणामस्वरूप राज्य विधानमंडल के निरीक्षण से यह बाहर रहा।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.2 चार निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में से, दो सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड और हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड परिसमापन के अधीन थे। शेष दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना बकाया था, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.6: 30 सितंबर 2018 को निष्क्रिय सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखाओं के बकाया की स्थिति

क्र.सं.	निष्क्रिय कंपनियों का नाम	अवधि जिसके लिए लेखाओं में बकाया था
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2017-18
2.	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2017-18

स्रोत: अक्तूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

चूँकि हरियाणा खनिज लिमिटेड के लेखे प्राप्त किए गए हैं और उनकी लेखापरीक्षा भी की गई है तथा दिसंबर 2018 तक हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम के लेखाओं की प्रतीक्षा की जा रही थी।

राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

4.9 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखी जानी है। 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं और विधानमंडल में उनके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

निगम का नाम	लेखा वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का माह
हरियाणा वित्तीय निगम	2016-17	फरवरी 2019
हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2015-16	फरवरी 2019
	2016-17	अभी रखे जाने हैं

स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर संकलित।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

4.10 जैसा कि अनुच्छेद 4.8.1 में बताया गया है, लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण संबंधित सांविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं की बकाया राशि की स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वास्तविक योगदान का पता नहीं लगाया जा सका है और राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानसभा को नहीं दी जा सकी।

इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि लेखाओं में बकाया को कम करने के लिए प्रशासनिक विभाग को कड़ाई से निगरानी करनी चाहिए और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी गौर करे और लेखाओं में बकाया को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

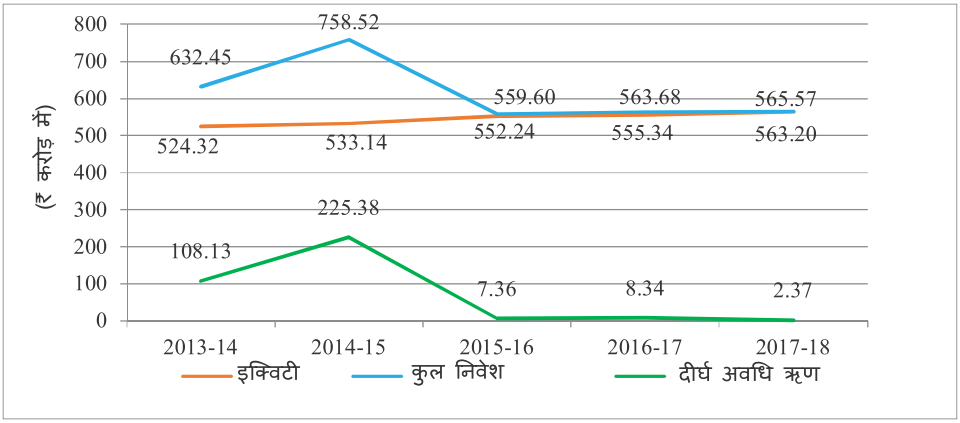
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

4.11 30 सितंबर 2018 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-8*** में विस्तृत है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ देंगे। 31 मार्च 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की राशि ₹ 6,439.82 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 674.56 करोड़ और दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 5,765.26 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राज्य सरकार ने ₹ 565.57 करोड़ (इक्विटी: ₹ 563.20 करोड़ और दीर्घावधि ऋण: ₹ 2.37 करोड़) का निवेश किया था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

चार्ट 4.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश

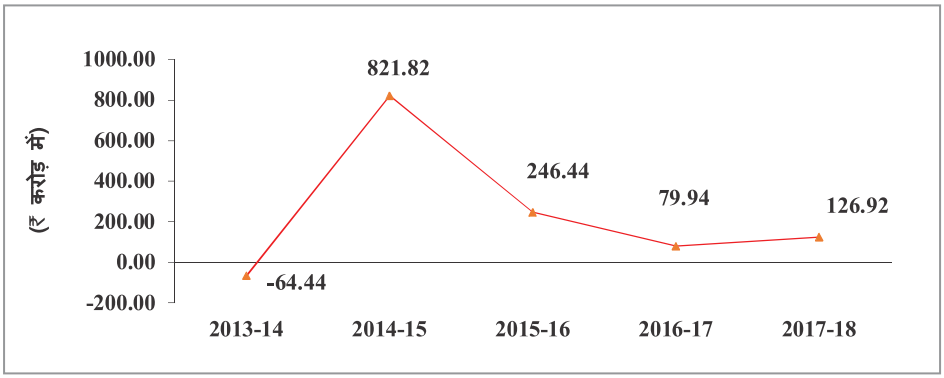


4.12 किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन परंपरागत रूप से निवेश पर आय, इक्विटी पर लाभ और नियोजित पूँजी पर लाभ द्वारा आकलित किया जाता है। निवेश पर आय निर्धारित वर्ष में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण (केवल ब्याज मुक्त ऋण) के रूप में निवेश की गई धनराशि से संबंधित लाभ या हानि को मापता है और कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। इक्विटी पर लाभ, कर के बाद निवल लाभ को शेयरधारक फंड द्वारा विभाजित करके ज्ञात किया गया निष्पादन माप है। नियोजित पूंजी पर लाभ एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इस पूंजी का उपयोग किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर आय

4.13 निवेश पर आय कुल निवेश पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि[8] की समग्र स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3: वर्षों के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि



[8] आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार हैं।

2013-14 में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए ₹ 64.44 करोड़ की हानि की तुलना में उन्होंने 2017-18 में ₹ 126.92 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2014-15 में लाभ में हुई वृद्धि एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा तैयार किए गए लेखाओं में नकद आधार को अर्जित आधार से परिवर्तित करने के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 1119.64 करोड़ का लाभ हुआ। 21[9] कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार, 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने ₹ 139.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया था और सात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ₹ 12.29 करोड़ की हानि हुई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-8*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 92.24 करोड़) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (₹ 28.64 करोड़) शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियां थीं। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.75 करोड़) और हरियाणा वित्तीय निगम (₹ 3.84 करोड़) को हानि हुई।

2013-14 से 2017-18 के दौरान 31 मार्च 2018 को 21 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से लाभ/हानि अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.8: कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित किया

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या[10]	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2013-14	18	14	2	2
2014-15	18	14	4	-
2015-16	18	12	6	-
2016-17	18	11	7	-
2017-18	21	14	7	-

(क) ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर आय

4.14 राज्य सरकार ने राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में निधियों का उपयोग किया था। सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 565.57 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 563.20 करोड़ की इक्विटी और ₹ 2.37 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

निवेश पर आय की गणना हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा प्रदान किए ऋण की प्रवृति इक्विटी निवेश की है, सिवाय उन ऋण अदायगी के जिन्हें नियमों और शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है। ₹ 2.37 करोड़ के सभी दीर्घावधि ऋण ब्याज देने वाले ऋण हैं और कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 563.20 करोड़[11] था, जो

9 दो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने प्रथम लेखे जमा नहीं किए।

10 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिन्होंने लेखाओं को अंतिम रूप दिया।

11 ₹ 2.37 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों को लेखे में नहीं लिया गया है, जो ब्याज वाले ऋण हैं और ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं।

तालिका 4.9 में विस्तृत रूप से दिया गया है। अनुदान/परिदान के रूप में उपलब्ध धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश माने जाने योग्य नहीं हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.9: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय

वर्ष वार क्षेत्रवार ब्रेक-अप	वर्ष के दौरान कुल कमाई	हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश की गई धनराशि	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय (%)
2013-14			
सामाजिक क्षेत्र	-189.81	83.90	-226.23
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	93.85	408.31	22.98
अन्य	2.31	32.11	7.19
कुल	**-93.65**	**524.32**	**-17.86**
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	-12.51	86.09	-14.53
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	409.94	196.25
अन्य	13.81	37.11	37.21
कुल	**805.82**	**533.14**	**151.15**
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	-21.95	100.33	-21.88
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	414.75	61.96
अन्य	2.58	37.16	6.94
कुल	**237.61**	**552.24**	**43.03**
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	-65.19	102.49	-63.60
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	415.68	32.78
अन्य	0.53	37.16	1.43
कुल	**71.59**	**555.33**	**12.89**
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	22.01	104.99	20.96
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	416.87	22.19
अन्य	1.76	41.34	4.26
कुल	**116.29**	**563.20**	**20.65**

राज्य सरकार के निवेश पर आय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल कमाई[12] को राज्य सरकार के निवेश की लागत से विभाजित करके निकाला जाता है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित आय - 17.86 प्रतिशत और 151.15 प्रतिशत के मध्य रही। 2016-17 की अवधि की तुलना में 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर आय में सुधार मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में एच.एस.आई.आई.डी.सी. तथा सामाजिक क्षेत्र में हरियाणा राज्य भंडारण निगम के लाभ में वृद्धि के कारण हुआ है। 2017-18 में दर्ज की गई कुल आय ₹ 116.29 करोड़ में एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने ₹ 92.24 करोड़ का योगदान दिया जबकि हरियाणा सरकार का निवेश केवल ₹ 48.85 करोड़ रहा। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धात्मक

[12] इसमें उन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निवल लाभ/हानि शामिल हैं, जहां संबंधित वर्ष के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

क्षेत्र में राज्य सरकार के निवेश पर आय ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम के लाभ में वृद्धि के कारण प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से आय 2013-14 में 22.98 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 196.25 प्रतिशत हो गई। इस क्षेत्र में 2015-16 (61.96 प्रतिशत), 2016-17 (32.78 प्रतिशत) और 2017-18 (22.19 प्रतिशत) के दौरान आय में कमी दर्ज की गई लेकिन इसका समग्र योगदान अधिकतम था।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर आय

4.15 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियाँ लगाई गई थी, उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए उनकी आय एवं निवेश का विश्लेषण किया गया। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आय की पारंपरिक गणना आय की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। राज्य के क्षेत्र मों में हरियाणा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आय की दर का आकलन करने के लिए सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के सरकारी निवेशों में पिछले निवेश/वर्ष-वार धनराशि को सरकारी ऋण पर ब्याज की वार्षिक औसत दर पर संयोजित किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धन की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक उन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध जहां इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन लगाया गया था, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना की गई। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 2014-15 से 2017-18 के दौरान निवेश पर सकारात्मक लाभ हुआ। इसलिए इन चार वर्षों के लिए निवेश पर आय की गणना की गई है और पी.वी. के आधार पर दर्शाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- अनुदान/परिदान के रूप में उपलब्ध धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि पैरा 4.6 में इंगित परिदान की प्रकृति के आधार पर वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नही हैं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[13] के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए संयोजित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर आय की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

[13] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से ली गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100 के द्वारा परिकलित की गई।

वर्ष 2013-14 में जब ये 21 कंपनियां घाटे में रही, तो घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त उपाय है। पैरा 4.18 में कंपनी के निवल के क्षरण पर टिप्पणी की गई है।

4.16 1999-2000 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में इन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार स्थिति ***परिशिष्ट-9*** में दर्शाई गई है। आगे, इसी अवधि के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के एन.पी.वी. की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.10: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण तथा 1999-2000 से 2017-18 की अवधि के लिए सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पी.वी.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष[14] के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय	वर्ष[15] के लिए कुल अर्जन
I	Ii	iii	Iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii∗(1+vi)/100}	ix={vii∗vi)/100}	X
1999-2000 तक	-	164.22	-	164.22	12.05	164.22	184.01	19.79	8.96
2000-01	184.01	45.48	-	45.48	11.40	229.49	255.65	26.16	-0.22
2001-02	255.65	21.04	-	21.04	10.50	276.69	305.74	29.05	7.83
2002-03	305.74	28.04	-	28.04	10.74	333.78	369.63	35.85	10.22
2003-04	369.63	11.51	-	11.51	10.20	381.14	420.02	38.88	-2.92
2004-05	420.02	2.48	-	2.48	8.49	422.50	458.37	35.87	2.84
2005-06	458.37	57.78	-	57.78	8.95	516.15	562.34	46.20	49.76
2006-07	562.34	12.16	-	12.16	9.20	574.50	627.36	52.85	-25.97
2007-08	627.36	72.07	-	72.07	7.43	699.43	751.39	51.97	-81.43
2008-09	751.39	95.92	-	95.92	7.82	847.31	913.57	66.26	176.34
2009-10	913.57	4.98	-	4.98	9.29	918.55	1,003.89	85.33	54.25
2010-11	1,003.89	6.41	-	6.41	9.22	1,010.30	1,103.45	93.15	138.45
2011-12	1,103.45	21.28	-	21.28	9.73	1,124.73	1,234.16	109.44	98.15
2012-13	1,234.16	-21.98	-	-21.98	9.86	1,212.18	1,331.70	119.52	123.25
2013-14	1,331.70	2.93	-	2.93	9.83	1,334.63	1,465.83	131.19	-93.65
2014-15	1,465.83	8.82	-	8.82	9.33	1,474.65	1,612.23	137.58	805.82
2015-16	1,612.23	19.10	-	19.10	8.64	1,631.33	1,772.28	140.95	237.61
2016-17	1,772.28	3.09	-	3.09	8.00	1,775.37	1,917.40	142.03	71.59
2017-18	1,917.41	7.87	-	7.87	8.10	1,925.27	2,081.22	155.95	116.29
कुल		**563.20**	**-**	**563.20**					

वर्ष 2017-18 के अंत में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश का बकाया 1999-2000 में ₹ 164.22 करोड़ से बढ़कर ₹ 563.20 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी के रूप में और अधिक निवेश किए। 31 मार्च, 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निधिकृत धनराशि की राशि

[14] वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य-वर्ष के अंत में कुल निवेश।

[15] वर्ष के लिए कुल कमाई उन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निवल आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाती है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्ष के लिए निवल आय (लाभ/हानि) ली गई है।

₹ 2,081.22 करोड़ हो गई। 2000-01 से 2017-18 के दौरान, वर्ष के लिए कुल आमदनी 1999-2000 से 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2013-14 और 2016-17 से 2017-18 में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निधियों की लागत वसूलने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही क्योंकि इस अवधि के दौरान तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को काफी घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, 1999-2018 की अवधि के दौरान चार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ को इन चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए नुकसान से समायोजित किया गया, जिसके कारण इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल आय न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही।

लाभ अर्जित करने वाले तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.), हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम (एच.आर.ई.सी.) और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रोन) के द्वारा 2000 से 2018 के मध्य कमाया मुनाफा दर्शाता है कि बाजार में उनकी एकाधिकार स्थिति के कारण ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लाभ कमा पाए जैसे एच.एस.आई.आई.डी.सी ने भूमि के आवंटन से जुड़ी गतिविधियों से पर्याप्त आय अर्जित की, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर सरकारी भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है और यह राज्य की एकमात्र एजेंसी है जिसे संस्थागत उद्देश्यों के लिए भूमि विकसित करने और आवंटित करने का अधिकार है।

4.17 वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान, सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश पर सकारात्मक आय थी, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान वर्षों में राज्य सरकार की निधियों पर आय की क्षेत्रवार तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की निधि पर आय

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार ब्रेकअप	कुल आय	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ऐतिहासिक लागत पर निवेशित निधि	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार के निवेश पर आय (%)
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	-12.51	86.09	-14.53	291.72	-4.29
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	409.94	196.25	1,190.67	67.57
अन्य	13.81	37.11	37.21	129.84	10.64
कुल	**805.82**	**533.14**	**151.15**	**1,612.23**	**49.98**
2015-16					
सामाजिक क्षेत्र	-21.95	100.33	-21.88	332.39	-6.60
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	414.75	61.96	1,298.77	19.79
अन्य	2.58	37.16	6.94	141.12	1.83
कुल	**237.61**	**552.24**	**43.03**	**1,772.28**	**13.41**
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	-65.19	102.49	-63.60	361.32	-18.04
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	415.68	32.78	1,403.68	9.71
अन्य	0.53	37.16	1.43	152.41	0.35
कुल	**71.59**	**555.33**	**12.89**	**1,917.41**	**3.73**
2017-18					
सामाजिक क्षेत्र	22.01	104.99	20.96	393.29	5.60
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	416.87	22.19	1,518.66	6.09
अन्य	1.76	41.34	4.26	169.27	1.04
कुल	**116.29**	**563.20**	**20.65**	**2,081.22**	**5.59**

2014-15 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय 151.15 प्रतिशत था, यह 2017-18 के दौरान घटकर 20.65 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित आय 49.98 प्रतिशत तथा 5.59 प्रतिशत थी।

निवल मूल्य का क्षरण

4.18 निवल मूल्य का अर्थ भुगतान की गई पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष के कुल योग से संचित घाटा और स्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि कम करने के बाद बची शेष राशि से है। वास्तव में, यह इस बात का माप है कि संस्था में मालिकों के लिए उनकी पूंजी का क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किए गए सकल निवेश को संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजी निवेश और घाटे उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार (30 सितंबर 2018 को) क्रमश: ₹ 5,681 करोड़ और ₹ 934.07 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 1,635.89 करोड़ था। इनका विवरण ***परिशिष्ट-8*** में दिया गया है।

निम्न तालिका 21 कंपनियों की कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित लाभ/हानि और कुल निवल मूल्य को इंगित करती है, जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश किया है:

तालिका 4.12: 2013-14 से 2017-18 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य[16]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	स्थगित राजस्व व्यय	मुक्त संचय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6 (2+3-4+5)
2013-14	555.26	-35.21	2.07	28.86	546.84
2014-15	558.66	709.98	2.85	85.00	1,350.79
2015-16	572.37	830.59	1.06	95.78	1,497.68
2016-17	572.37	770.50	1.06	90.89	1,432.70
2017-18	579.77	923.21	1.01	102.88	1,604.85

जैसा कि देखा जा सकता है, इस अवधि के दौरान इन कंपनियों के निवल मूल्य में वृद्धि हुई। यह 2013-14 में ₹ 546.84 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 1,604.85 करोड़ हो गया। 2013-14 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 16 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[17] ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया और 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[18] का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2014-15 से 2017-18 के दौरान 17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सकारात्मक

16 संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिम लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर परकलित।

17 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड , हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, हरियाणा वित्तीय निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

18 हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

निवल मूल्य दिखाया जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य घट गया जबकि इसी अवधि के दौरान 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वृद्धि हुई और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के संबंध में यह समान रहा।

लाभांश भुगतान

4.19 राज्य सरकार ने (अक्तूबर 2003) एक लाभांश नीति तैयार की थी, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभकारी कंपनियों को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का भुगतान करना होता है।

इस अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया था, नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: 2013-14 से 2017-18 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ		वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	18	524.32	12	405.45	2	6.89	1.70
2014-15	19	533.14	12	393.46	3	6.25	1.59
2015-16	19	552.24	10	475.18	3	5.64	1.19
2016-17	20	555.33	10	498.85	4	6.85	1.37
2017-18	21	563.20	11	301.13	1	5.00	1.66

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 10 से 12 के मध्य रही। इसी अवधि के दौरान, जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने हरियाणा सरकार को घोषित/लाभांश प्रदत्त किया उनकी संख्या एक से चार के मध्य रही।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 1.19 और 1.70 के मध्य था। 2017-18 के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने लाभांश घोषित किया जो निर्धारित सीमा से अधिक था।

इक्विटी पर आय

4.20 इक्विटी पर आय वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक हैं।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर आय की गणना 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4.14: सा.क्षे. के 21 उपक्रम जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर आय

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर आय (प्रतिशत में)
2013-14	-93.65	546.84	-
2014-15	805.82	1,350.79	59.66
2015-16	237.61	1,497.68	15.87
2016-17	71.59	1,432.70	5.00
2017-18	116.29	1,604.85	7.25

मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, निवल आय 2014-15 से 2017-18 के दौरान सकारात्मक थी और इन वर्षों के दौरान इक्विटी पर आय 5.00 प्रतिशत और 59.66 प्रतिशत के मध्य रही। चूंकि 2013-14 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निवल आय नकारात्मक थी, इसलिए इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में इक्विटी पर आय को इस अवधि के लिए परिकलित नहीं किया जा सका।

नियोजित पूँजी पर आय

4.21 नियोजित पूंजी पर आय एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिस दक्षता के साथ उसकी पूंजी नियोजित की गई है। नियोजित पूंजी पर आय की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[19] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी 27 उपक्रमों के नियोजित पूंजी पर आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.15: नियोजित पूंजी पर आय

वर्ष	ई.बी.आई.टी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर आय (प्रतिशत में)
2013-14	1,331.71	3,401.05	39.16
2014-15	1,958.73	3,619.29	54.12
2015-16	831.19	3,601.11	23.08
2016-17	580.41	3,961.86	14.65
2017-18	756.77	5,681.00	13.32

[19] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर आय 13.32 प्रतिशत और 54.12 प्रतिशत के मध्य रहा।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.22 सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का कंपनियों द्वारा भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिन्होंने 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋण प्राप्त किया, के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज भुगतान अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज भुगतान अनुपात

4.23 ब्याज भुगतान अनुपात का उपयोग किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। कम अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे का ब्याज भुगतान अनुपात इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज भुगतान अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.16: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ब्याज भुगतान अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से अधिक ब्याज भुगतान अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम के ब्याज भुगतान अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2013-14	268.89	349.20	10	7	3
2014-15	543.21	1,682.35	8	4	4
2015-16	438.22	633.21	8	4	4
2016-17	395.77	443.62	6	4	2
2017-18	540.80	720.77	7	5	2

2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ब्याज भुगतान अनुपात एक से अधिक था, जबकि शेष दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ब्याज भुगतान अनुपात एक से नीचे था, जो कि यह इंगित करता है कि इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उस अवधि के दौरान ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.24 पिछले पांच वर्षों के दौरान, इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 16.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 10.12 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण टर्नओवर का अनुपात 2013-14 में 0.94 से

2017-18 में 0.87 हो गया, जो नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.17: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,832.57	2,247.13	2,073.13	2,500.12	4,046.12
टर्नओवर	3,006.57	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.94:1	0.25:1	0.45:1	0.61:1	0.87:1

स्रोत: संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 0.25 और 0.94 के मध्य़ था। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान समग्र संचित घाटा काफी हद तक बढ़ गया, जो मुख्य रूप से हरियाणा बीज विकास निगम के संचित घाटे में वृद्धि का कारण था।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना

4.25 31 मार्च 2018 तक 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से चार निष्क्रिय कंपनियां थी, जिनका कुल निवेश ₹ 22.65 करोड़ पूंजी (₹ 17.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 4.67 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4.18: निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	4	4	4	4	4

स्रोत: संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में शामिल जानकारी से संकलित।

दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[20] की परिसमापन प्रक्रिया 14 से 19 साल पहले शुरू हुई थी और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। चूंकि ये चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय हैं, इसलिए सरकार इन्हें बंद करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.26 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान 17 कार्यरत कंपनियों ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को 25 लेखापरीक्षित खाते अग्रेषित किए। इनमें से 13 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों और अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

[20] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

टिप्पणियों के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 4.19: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	8	14.66	6	39.15	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-			6	6.19
3.	घाटे में वृद्धि	6	40.16	3	4.48	4	8.56
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	6	1,426.81	2	111.17	3	19.44
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	8	188.85	4	49.74	1	10.66

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखाओं पर योग्य प्रमाण-पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 10 लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न होने के 39 उदाहरण उद्धृत किए हैं।

4.27 राज्य में दो सांविधिक निगम हैं (i) हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) और (ii) हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.)। दोनों ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने लेखाओं को 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किया, जिसे अंतिम रूप दिया गया है।

दोनों लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2016-17 के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. के वार्षिक लेखाओं को योग्य प्रमाण-पत्र दिया था तथा एच.एफ.सी. के वार्षिक लेखाओं को अयोग्य प्रमाण-पत्र दिया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और सांविधिक निगमों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	7.49	3	10.71	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	2.94
3.	घाटे में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	2	7.07	2	1.23	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	2	28.82	2	19.99	-	-

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी.ए.जी. की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

4.28 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) की प्रतिवेदन के लिए, संबंधित विभागों के अपर-मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को उत्तर देने के अनुरोध के साथ आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद जारी किए गए थे। राज्य सरकार से दो अनुच्छेदों पर उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 20.47 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

4.29 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 4.21: सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 नवंबर 2018 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2014-15	14.03.2016	1	7	1	1
2015-16	27.02.2017	-	5	-	2
2016-17	14.03.2018	1	4	1	3

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक नोटों के आधार पर संकलित।

नवंबर 2018 तक दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और छः अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक नोट संबंधित चार विभागों के पास लंबित थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

4.30 30 नवंबर 2018 को कोपू की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रदर्शित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफों पर चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 4.22: 30 नवंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	1	7	-	6
2015-16	-	5	-	-
2016-17	1	4	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

2013-14 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.31 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राज्य विधानमंडल को मार्च 2011 और मार्च 2018 के मध्य प्रस्तुत कोपू के आठ प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 नवंबर 2018), जो नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.23: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2010-11	1	8	1 (**पैरा सं.** 8)
2011-12	1	5	2 (**पैरा सं.** 3 **व** 5)
2012-13	1	11	2 (**पैरा सं.** 4 **व** 5)
2013-14	1	7	2 (**पैरा सं.** 5 **व** 6)
2014-15	1	8	2 (**पैरा सं.**4 **व** 5)
2015-16	1	12	4 (**पैरा सं.**1 **से** 4)
2016-17	1	8	-
2017-18	1	15	11 (**पैरा सं.** 8 **से** 10, 14, 15, 18 **से** 23)
कुल	**8**	**74**	**24**

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं, जो 2006-07 से 2013-14 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकट हुए थे।

अध्याय-5

गैर-विद्युत क्षेत्र -

लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 5

5 गैर-विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

गैर-विद्युत क्षेत्र की राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के लेन-देनों की नमूना-जांच से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

5.1 विभागीय स्तर पर टोल का संग्रहण न होना

कंपनी ने टोल संग्रहण संविदा की प्रदानगी तक विभागीय स्तर पर टोल संग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ के राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को राज्य सरकार द्वारा 135.65 कि.मी. लंबे कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे के विकास के लिए निष्पादन एजेंसी घोषित किया गया (सितंबर 2004)। कंपनी ने उपर्युक्त एक्सप्रेस-वे के विकास के लिए 29 जुलाई 2009 की वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सी.ओ.डी.) के साथ तीन वर्षों की निर्माण अवधि सहित 23 वर्षों 9 मास की अवधि के लिए कंसेसियनार को कार्य आबंटित किया (जनवरी 2006)। परंतु, कंसेसियनार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कर पाया और यह परियोजना 2014 तक भी पूरी नहीं हुई।

कंसेसियनार के कार्य निष्पादन की निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अनुबंध रद्द करने तथा शेष कार्य को किसी अन्य एजेंसी से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए (जनवरी 2015)।

कंपनी ने कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के 52.33 कि.मी. लंबे मानेसर-पलवल भाग का कार्य ₹ 401.50 करोड़ की लागत पर जनवरी 2016 तक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ प्रदान किया (28 मार्च 2015) जिसको बाद में मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने इस मार्ग पर टोल का संग्रहण मार्च 2033 तक अनुमोदित किया (29 दिसंबर 2015)। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने टोल संग्रहण एजेंसी की नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुमोदन के समय (8 फरवरी 2016) निर्देश दिया कि यदि संग्रहण एजेंसी की नियुक्ति से पहले उपरोक्त कार्य पूर्ण हो जाता है, तो कंपनी को अपने स्तर पर टोल प्रभार संग्रहित करने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। एक्सप्रेस-वे के इस भाग का कार्य 31 मार्च 2016 को पूर्ण हो गया और 5 अप्रैल 2016 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। कंपनी ने टोल राजस्व का अनुमान लगाने के लिए एक ट्रैफिक सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण रिपोर्ट (27 अप्रैल 2016) में ₹ 18.61 करोड़ के अनुमानित वार्षिक संभावित संग्रहण (ए.पी.सी.) का अनुमान लगाया गया। कंपनी ने सफल बोलीदाता को टोल संग्रहण का कार्य एक वर्ष के लिए ₹ 35.01 करोड़ पर दे दिया (16 मई 2016)। करार 15 जुलाई 2016 से लागू हो गया।

सड़कों के पूर्ण होने के तुरंत बाद कंपनी ने अपने स्तर पर टोल प्रभार संग्रहित करने के प्रबंध निदेशक के निर्देशों के बावजूद, कंपनी ने सड़क के उद्घाटन की तिथि (5 अप्रैल 2016) से एजेंसी द्वारा टोल संग्रहण प्रारंभ करने (15 जुलाई 2016) के बीच की अवधि के दौरान अपने स्तर पर टोल संग्रहित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन अपनी इस त्रुटि का कारण बताने में विफल रहा। लेखापरीक्षा के मतानुसार, कंपनी को इस निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

उपर्युक्त मामला सरकार को भेजा गया (फरवरी 2018), उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

5.2 सरकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

कंपनी ऋण लेने के लिए आवश्यक सरकारी गारंटी प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ करने में विफल रही और इसके कारण कंपनी को ₹ 1.27 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

कंपनी ने कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे परियोजना से संबंधित कार्य जुलाई 2006 में आबंटित किया। परंतु, परियोजना के अपूर्ण रहने के कारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने परियोजना निष्पादन एजेंसी को बदलने के लिए और मार्च 2016 तक परियोजना को पूर्ण करने के आदेश दिए (30 जनवरी 2015)। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कंपनी ने मानेसर-पलवल खंड (52.33 कि.मी.) को छः लेन वाले नियंत्रित राजमार्ग के रूप में अलग से विकसित करने का निर्णय लिया। कंपनी ने एक ठेकेदार को कार्य प्रदान किया (28 मार्च 2015) तथा साथ ही मानेसर-पलवल खंड एक्सप्रेस-वे का शेष कार्य पूरा करने के लिए ₹ 457.81 करोड़ की अनुमानित लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के साथ ऋण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) को आवेदन किया (1 मई 2015)। एन.सी.आर.पी.बी. से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों और नियमों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान भी था कि एन.सी.आर.पी.बी. राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने पर ही परियोजना की अनुमानित लागत के 75 प्रतिशत तक ब्याज वहन करने वाले ऋण प्रदान करेगा। कंपनी ने एन.सी.आर.पी.बी. को दस्तावेज प्रस्तुत किए (23 जून 2015) और सूचित किया कि गारंटी प्रदान करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

एन.सी.आर.पी.बी. के परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह (पी.एस.एम.जी.) ने ₹ 343.35 करोड़ का ऋण अनुमोदित किया (19 जनवरी 2016) और कंपनी को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया (9 फरवरी 2016)। समय सूची[1] के अनुसार ₹ 343.35 करोड़ का ऋण निकाला जाना था, बशर्ते कि कंपनी राज्य सरकार से सरकारी गारंटी उपलब्ध करवाए। कंपनी ने गारंटी प्राप्त करने के लिए 30 मार्च 2016 को सरकार को पत्र लिखा और आवश्यक कागजात सहित पूरा मामला सरकार को 20 अप्रैल 2016 को प्रस्तुत किया, जिसे वित्त विभाग ने अनुमोदन दिया (26 अगस्त 2016)। गारंटी डीड पर हस्ताक्षर 29 सितंबर 2016 को हुए और ऋण की ₹ 274.68 करोड़ की पहली किश्त 3 अक्तूबर 2016 को निकाली गई। सर्वोच्च न्यायालय की समय सीमा के अनुसार मार्च 2016 तक परियोजना पूरी हो गई थी। कंपनी ने मई 2015 से मार्च 2016 तक परियोजना पर ₹ 392.82 करोड़ का व्यय किया, जोकि बैंकों से 9.65 से 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज वाली नकद ऋण सीमा प्राप्त करके किया गया था। ये दरें एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा प्रभारित दरों (7.50 प्रतिशत) से अधिक थीं।

[1] 2015-16 के दौरान ₹ 274.68 करोड़ आहरित किए जाने थे और 2016-17 के दौरान ₹ 68.67 करोड़ आहरित किए जाने थे।

यद्यपि कंपनी इस तथ्य से परिचित थी कि इसे ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी इसने मामले को 30 मार्च 2016 को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और संपूर्ण दस्तावेज 20 अप्रैल 2016 को सरकार के पास भेजे अर्थात एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा 19 जनवरी 2016 को ऋण के अनुमोदन के तीन माह पश्चात। इसने एन.सी.आर.पी.बी. ऋण से उच्चतर ब्याज की दरों वाली बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ऋण प्राप्त करके व्यय किया। इस प्रकार, यदि कंपनी मामले को समय रहते निपटा लेती, तो एन.सी.आर.पी.बी. ऋण पहले ही आहरित किया जा सकता था और इससे तीन महीने के लिए ₹ 1.27 करोड़[2] के अतिरिक्त ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2018) कि एन.सी.आर.पी.बी. की 53वीं बैठक के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त गारंटी प्रदान करने की कोई शर्त नहीं थी और राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करने के साथ-साथ परियोजना निष्पादित करने के प्रयास किए जा रहे थे। प्रबंधन का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.सी.आर.पी.बी. से वित्तीय सहायता के लिए नियमों एवं शर्तों में यह प्रावधान था कि एन.सी.आर.पी.बी. राज्य सरकार से गारंटी के विरूद्ध ही ऋण प्रदान करेगा। इस प्रकार, राज्य सरकार के साथ इस मामले को शुरू करने और आगे बढ़ाने में देरी होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भुगतान हुआ।

मामला सरकार को भेजा गया (अप्रैल 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

5.3 संविदा की त्रुटिपूर्ण शर्तों के कारण हानि

कंपनी ने संविदा की प्रतिकूल शर्तों पर मशीनरी को किराए पर लेने के कारण ₹ 59.32 लाख का व्यर्थ भुगतान किया।

कंपनी ने खनक (भिवानी) में अपनी खदानों से पत्थर की खुदाई के लिए 180 दिनों के लिए मानवशक्ति के साथ-साथ खनन मशीनरी किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (नवंबर 2016)। निविदाकारों को मशीन की प्रतिघंटा उपलब्धता (8 घंटे प्रतिदिन) के आधार पर अपनी बोलियां प्रस्तुत करनी थी। कार्य 29 मई 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 18,018 प्रति घंटा पर निम्नतम बोलीदाता (ठेकेदार) को प्रदान किया गया (29 नवंबर 2016) और नई निविदा के अंतिमकरण तक वर्तमान शर्तों पर जुलाई 2017 तक बढ़ा दिया गया (1 जून 2017)।

दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए किराया प्रभारों के दावों की प्रक्रिया के दौरान (मार्च 2017), कंपनी का ध्यान इस तथ्य पर दिलाया गया कि ठेकेदार ने साप्ताहिक बंद दिनों/छुट्टियों और उन अवधियों जब खदानें तकनीकी कारणों की वजह से बंद रहीं, के लिए भी भुगतान का दावा किया है। ठेकेदार ने तर्क दिया कि निविदा शर्तों के अनुसार सभी दिनों को मशीनें कार्यस्थल पर उपलब्ध थी। कंपनी के खदान विभाग और कानूनी विभाग ने भी सहमति दी (26 अप्रैल 2017) कि साप्ताहिक बंद/अन्य छुट्टियों के लिए भुगतान में कटौती नहीं की जा सकती क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान का संबंध मशीनों की उपलब्धता से था न कि उनके प्रयोग में लाने से।

[2] मामले की प्रक्रिया के लिए 13 दिनों की अनुमति के बाद 1 फरवरी से 19 अप्रैल 2016 तक 79 दिनों की अवधि के लिए ₹ 274.68 करोड़ x 2.15 प्रतिशत (9.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाने की ब्याज की दर-एन.सी.आर.पी.बी. ऋण लेने की ब्याज की दर - 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

कंपनी ने दिसंबर 2016 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान किराए पर ली गई खनन मशीनरी/उपकरणों का साप्ताहिक बंद दिनों के कारण 40 दिनों के लिए उपयोग नहीं किया था। परिणामत:, मशीनों का उपयोग न करने के बावजूद कंपनी को ठेकेदार को इन 40 दिनों के लिए कोई उत्खनन किए बिना ही ₹ 59.32 लाख का भुगतान करना पड़ा। निविदा में भुगतान की शर्तों का प्रारूप बनाते समय कंपनी को सतर्क रहना चाहिए था और अपने वित्तीय हितों का ध्यान रखना चाहिए था।

साथ ही, यद्यपि, कंपनी इस तथ्य से अवगत हो गई (मार्च 2017) थी कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसे उन दिनों के लिए भी भुगतान करना पड़ा था जब किराए पर ली गई मशीनरी उपयोग में नहीं लाई गई, फिर भी इसने भुगतान का संबंध मशीनों के उपयोग के साथ रखने के बजाए वर्तमान शर्तों पर दो महीनों की अवधि के लिए जुलाई 2017 तक अनुबंध नवीकृत कर दिया (1 जून 2017)। इस प्रकार, कंपनी अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने में विफल रही।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2018)।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड

5.4 सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति

कंपनी ने ठेकेदारों को सेवा कर की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की और कर प्राधिकारियों के साथ रिफंड का दावा दर्ज करने में और देरी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.67 करोड़ का रिफंड प्राप्त नहीं हुआ।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (कंपनी) अन्य विभागों के डिपोजिट निर्माण कार्य लेने के अतिरिक्त पुलिस और जेल विभाग के लिए आवासीय/गैर आवासीय भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव करती है। 1 अप्रैल 2015 से पहले निर्माण गतिविधियां सेवा कर से मुक्त थी। 2015-17 के दौरान कंपनी द्वारा ठेकेदारों को किए गए भुगतान एवं प्रतिपूर्ति किए जाने वाले सेवा कर की स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 5.1: ठेकेदारों को भुगतान योग्य एवं प्रतिपूरित सेवा कर

(₹ करोड़ में)

अवधि	सेवाकर प्रावधान	विवरण	भुगतान योग्य सेवा कर	कंपनी द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूरित सेवाकर
1 अप्रैल 2015 से 29 फरवरी 2016	आंशिक रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कर योग्य (अधिसूचना संख्या 6/2015 सेवाकर दिनांक 1 मार्च 2015) जिसमें सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्तकर्ता दोनों को बराबर (50 प्रतिशत कंपनी द्वारा और 50 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा) कर जमा करना था (अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवाकर दिनांक 30 जून 2012)	कंपनी ने ठेकेदारों को पूरा सेवाकर जमा करने और इसकी प्रतिपूर्ति कंपनी से प्राप्त करने के लिए कहा (अगस्त 2015)	3.67 (ठेकेदार द्वारा 1.835 और कंपनी द्वारा 1.835)	3.67
1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017	छूट दी गई (अधिसूचना संख्या 09/2016-सेवाकर दिनांक 1 मार्च 2016)	कंपनी ने मार्च से जून 2016 के दौरान ठेकेदारों को ₹ 1.02 करोड़ के सेवाकर की प्रतिपूर्ति की जो 1 मार्च 2016 से पहले ही कर-मुक्त था।	शून्य	1.02 (मार्च 2016 से जून 2016)

अवधि	सेवाकर प्रावधान	विवरण	भुगतान योग्य सेवा कर	कंपनी द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूरित सेवाकर
	सेवाकर अधिनियम 1994 के अध्याय V के अंतर्गत धारा 102, यथा वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित, में 1 अप्रैल 2015 से 29 फरवरी 2016 की अवधि के लिए सेवाकर के रिफंड का प्रावधान था तथा दावा 14 नवंबर 2016 तक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना था।	कंपनी ने दावा दर्ज (मार्च 2017) करने की निर्धारित अंतिम तिथि से चार महीनों के विलंब के बाद ₹ 4.69 करोड़[3] के रिफंड का दावा प्रस्तुत किया। छूट अधिसूचना के बाद कंपनी का ₹ 1.02 करोड़ से अधिक का कोई दावा नहीं है।		
कुल			**3.67**	**4.69**

उपर्युक्त तालिकाबद्ध तथ्यों को विश्लेषण इंगित करता है कि कंपनी की ओर से निम्नलिखित चूकें थी:

- कंपनी सेवा कर (जनवरी 2013) के अंतर्गत पंजीकृत थी और कर प्राधिकारी को सीधे 50 प्रतिशत तथा ठेकेदार के माध्यम से 50 प्रतिशत आंशिक रिवर्स प्रभार के अंतर्गत अप्रैल 2015 से सेवाकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। तथापि, कंपनी ने ठेकेदारों को 100 प्रतिशत सेवा कर जमा करने के लिए कहा और ठेकेदारों को संपूर्ण राशि (₹ 3.67 करोड़) की प्रतिपूर्ति की।
- सेवाकर अधिनियम 1994, यथा वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित, में 1 अप्रैल 2015 से 29 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए सेवाकर के रिफंड का दावा 14 नवंबर 2016 तक प्रस्तुत करने का प्रावधान था। परंतु, कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिफंड का दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मंडल, पंचकुला ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस (मई 2017) जारी किया कि दावे को खारिज क्यों न किया जाए क्योंकि (i) दावा समय बाधित हो गया था, (ii) कंपनी ने ठेकेदार से प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था कि वे रिफंड का दावा नहीं करेंगे, (iii) कंपनी ने यह स्पष्ट करने के लिए उचित दस्तावेजों के साथ रिफंड का दावा नहीं किया कि क्या कंपनी द्वारा ठेकेदारों को सेवा कर का भार पारित किया गया है।
- यद्यपि सेवाकर में 1 मार्च 2016 से छूट प्राप्त थी तथापि कंपनी ने ठेकेदारों को मार्च से जून 2016 के दौरान ₹ 1.02 करोड़ के सेवाकर की प्रतिपूर्ति की।

कंपनी अब तक (मई 2019) कारण बताओ नोटिस के निर्देशों का पालन नहीं कर पाई है और सेवा कर विभाग के पास कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे, कंपनी ने अपने अभाववादी दृष्टिकोण के कारण, निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड के दावों को दाखिल न करके ₹ 3.67 करोड़ की वसूली करने का अवसर खो दिया। यह भी देखा गया कि उन 19 ठेकेदारों में से 10 ठेकेदार, जिन्हें सेवा कर की प्रतिपूर्ति की गई थी, अभी भी कंपनी के साथ काम कर रहे थे, कंपनी ने बाद के बिलों में से कोई भी राशि वसूल नहीं की है।

[3] छूट की अधिसूचना के बाद 1 मार्च से 30 जून 2016 तक की अवधि के लिए ठेकेदारों को की गई ₹ 1.02 करोड़ की प्रतिपूर्ति सहित।

सरकार ने बताया (अगस्त 2018) कि उपर्युक्त लेखे पर वित्तीय लाभ किसी निजी पार्टी को नहीं गया क्योंकि निधियों को भारत की समेकित निधि में जमा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा ठेकेदार को ₹ 2.86 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति की गई है। इसमें से ₹ 1.835 करोड़ 1 अप्रैल 2015 से 29 फरवरी 2016 की अवधि के लिए ठेकेदार की देयता थी और इस राशि के लिए रिफंड का दावा ठेकेदार द्वारा कर प्राधिकारियों के साथ किया जाना चाहिए था। कंपनी को एक पृथक निकाय होने के नाते निगम को अपने स्वयं के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना चाहिए था और समय पर कर अधिकारियों के साथ और उचित दस्तावेजों के साथ सेवा कर के रिफंड के लिए दावे प्रस्तुत करने चाहिए थे। यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है, जो इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं और साथ ही रिफंड प्राप्त करने के लिए कर प्राधिकरण के पास मामला उठाना चाहिए।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

5.5 लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

कंपनी ने भारतीय खाद्य निगम से ड्रायज प्रभारों का क्लेम करने में विलंब किया और ₹ 3.29 करोड़ का परिहार्य ब्याज वहन करना पड़ा।

राज्य सरकार, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड कंपनी सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करती है। कंपनी प्रतिवर्ष बैंकों से लघु अवधि ऋण लेकर किसानों से धान खरीदती है। धान मिलिंग के लिए मिलर्ज के परिसरों में सीधे मंडियों से लाया जाता है और उससे प्राप्त चावल, जिसे कस्टम मिल्ड चावल कहा जाता है, को भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक खरीफ मार्किटिंग सीजन के लिए भारत सरकार कस्टम मिल्ड चावल की संभावित दर सूचित करती है, जिसमें मंडी श्रम प्रभार, ड्रायज[4] प्रभार इत्यादि, जिनका दावा भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल के प्रेषण के समय किया जाता है, शामिल होते हैं।

कंपनी ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान 8.40 से 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दरों पर लघु अवधि ऋण लेकर 15.65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। चूंकि कंपनी को लघु अवधि ऋण पर ब्याज अदा करना होता है, समय पर प्रतिपूर्ति का दावा करना इसके वित्तीय हित में है ताकि इसके ऋणों और ब्याज दायिता को कम से कम किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.एम.एस. 2014-15 से 2016-17 के दौरान, चार[5] कृषक सेवा केंद्रों ने भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल के प्रेषण के समय बिक्री बिलों के साथ-साथ ड्रायज प्रभारों का दावा नहीं किया था। सभी चार कृषक सेवा केंद्रों (के.एम.एस. 2016-17 के लिए कृषक सेवा केंद्र, कुरूक्षेत्र को छोड़कर) ने ड्रायज का दावा 777 से 1,337 दिनों की सीमा में विलंब के साथ किया था और भारतीय खाद्य निगम से भुगतान समेकित बिलों के माध्यम से प्राप्त किया था। कृषक सेवा केंद्रवार 31 मार्च 2018 तक ड्रायज प्रभारों और उन

[4] धान की खरीद से मिलिंग तक की प्रक्रिया में नमी के कारण भार में कमी को ड्रायज कहा जाता है।

[5] कुरूक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद तथा अंबाला।

पर ब्याज के दावों की प्रस्तुति में विलंब[6] नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: ड्रायज प्रभारों के दावों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ लाख में)

कृषक सेवा केंद्र का नाम	बिलों की संख्या	विलंब की सीमा (दिनों में)	ड्रायज दावों की राशि	ब्याज भार[7]
कुरूक्षेत्र	1,184	113 से 1337	490.32	101.77
करनाल	794	247 से 1321	352.01	69.87
फतेहाबाद	1,358	186 से 1231	456.70	74.11
अंबाला	1,164	175 से 1287	363.21	83.03
कुल	**4,500**		**1,662.24**	**328.78**

₹ 16.62 करोड़ के विलंबित ड्रायज दावों में से, ₹ 9.40 करोड़ का दावा 500 दिनों से अधिक के विलबं से दिया गया था जिसके कारण कुल ₹ 3.29 करोड़ के ब्याज भार में ₹ 2.50 करोड़ (मार्च 2018) का अंशदान था। दावों की प्रस्तुति में विलंब को न्यायसंगत ठहराने का कोई कारण नहीं बताया गया था। भारतीय खाद्य निगम को बिक्री बिल प्रस्तुत करते समय ड्रायज प्रभारों का दावा न करना अभी भी जारी है (नवंबर 2018)।

इस प्रकार कस्टम मिल्ड चावल के संभावित बिलों के साथ भारतीय खाद्य निगम से ड्रायज प्रभारों का दावा न किए जाने के कारण कंपनी पर ₹ 3.29 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा। कंपनी अपने अन्य केंद्रों में उन मामलों की जांच शुरू कर सकती है जहां भारतीय खाद्य निगम के साथ ड्रायज के लिए दावों को विलंब से प्रस्तुत किया गया है या दावों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। कंपनी विलंब की ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है।

प्रबंधन के उत्तर (अगस्त 2018) में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को नहीं लिया गया था। मामला सरकार को भेजा गया था (मई 2018), उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

5.6 भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाई गई मूल्य कटौती का देरी से दावा/दावा न किया जाना

हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने भारतीय खाद्य निगम से प्रतिपूर्ति को अंतरीय दरों के दावों के विलंबित प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 2.39 करोड़ का परिहार्य ब्याज देयता वहन की।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के केंद्रीय पूल के लिए अनाज की खरीद करते हैं और इसे भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित करते हैं। यह खरीद परिचालन बैंकों से लघु अवधि ऋण और कैश क्रेडिट प्राप्त करके वित्त पोषित होती हैं।

6 विलंब को कस्टम मिल्ड चावल के बिक्री बिलों के लिए भुगतान की रसीद की तिथि से ड्रायज प्रभारों के बिलों के भुगतान की रसीद की तिथि या 31 मार्च 2018 जब तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, तक परिकलित किया गया है।

7 कंपनी द्वारा 2014-17 के दौरान प्राप्त किए लघु अवधि ऋणों पर 9.73 प्रतिशत प्रतिवर्ष के साथ औसत ब्याज दर पर परिकलित।

राज्य सरकार ने खरीदे जाने वाले गेहूं की एकरूप विशिष्टताओं[8] में रियायत लेने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव किया (मार्च 2015)। चूंकि रबी मार्किटिंग सीजन 2015-16 के दौरान गेंहूं की उपज को बेमौसम बरसात के कारण नुकसान हुआ। भारत सरकार ने मूल्य में कमी[9] के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2015)। भारत सरकार ने आगे सूचित किया (19 जून 2015) कि मूल्य में कमी की राशि, जो अब तक राज्य सरकार/खाद्य खरीद एजेंसियों द्वारा वहन की जा रही थी, की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी मार्किटिंग सीजन के खरीद परिचालनों की समाप्ति पर समर्थन दस्तावेजों (अर्थात फार्म आई. और जे.) के प्रस्तुतिकरण पर राज्य सरकार/खाद्य खरीद एजेंसियों को की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के इन निर्देशों को 7 अगस्त 2015 को हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम को जारी कर दिया जिन्होंने इसे क्रमश: 21 अगस्त 2015 और 10 सितंबर 2015 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर और नवंबर 2017) कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने किसानों को उनके गेंहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया परंतु भारतीय खाद्य निगम ने उसकी प्रतिपूर्ति करते समय जून 2015 तक बिलों में से मूल्य में कमी (चमक खोए-मुरझाए और टूटे हुए अनाज) के लिए कटौतियां की। तत्पश्चात, क्षेत्रीय कार्यालयों ने जुलाई 2015 से आगे मूल्य में कमी की कटौती करने के बाद भारतीय खाद्य निगम को बिल प्रस्तुत किए। चूंकि, हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम उधार ली गई निधियों से खरीद करते हैं, भारतीय खाद्य निगम को समय पर अंतरीय बिलों पर अपने दावे प्रस्तुत करना उनके वित्तीय हित में था ताकि ब्याज वाली निधियों को लेने की आवश्यकता कम की जा सके।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि:

क) हरियाणा कृषि उद्योग निगम के सात[10] कृषक सेवा केंद्रों में, दो कृषक सेवा केंद्रों अर्थात हिसार और करनाल ने भारतीय खाद्य निगम से मूल्य में कमी के ₹ 1.72 करोड़ के अंतरीय बिलों का दावा, क्रमश: 450 से 595 दिनों और 610 से 814 दिनों की सीमा के बीच विलंब[11] के साथ किया जिसका परिणाम ₹ 27.67[12] लाख की अतिरिक्त ब्याज देयता में हुआ। अन्य पांच कृषक सेवा केंद्रों[13] के संबंध में समर्थन दस्तावेजों अर्थात् 'आई' और 'जे' फार्मों की अनुपलब्धता के कारण ₹ 4.45 करोड़ के अंतरीय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे (मार्च 2018 तक)। मार्च 2018 तक के बिलों के प्रस्तुतिकरण में 730 से 964 दिनों के विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की अतिरिक्त परिहार्य ब्याज देयता हुई।

8 चमक खोए, सूखे और टूटे हुए अनाज से संबंधित प्रतिशतता।

9 मूल्य में कटौती भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद एजेंसियों को दी जाने वाली समान विशिष्टताओं के अनाज के मूल्य में कमी है, जिसमें उत्पादकों को पूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है लेकिन खरीद एजेंसियों को मानकों के आधार पर कम राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है जो बराबर हैं। रबी मार्किटिंग सीजन 2015-16 के दौरान मूल्य में ₹ 3.63 से ₹ 10.89 प्रति क्विंटल के बीच कटौती हुई।

10 जींद, हिसार, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा, कैथल तथा फतेहाबाद।

11 भारत सरकार के दिनांक 19 जून 2015 के निर्देशों को 7 अगस्त 2015 हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया गया था। 7 अगस्त 2015 से पहले दिए गए बिलों में देरी को 30 दिनों की अनुमति के बाद बिलों की गणना की जाएगी। जिन बिलों को 7 अगस्त 2015 के बाद दिया गया है, उनकी गणना बिलंब के वास्तविक दिन से की जाएगी।

12 2015-18 के दौरान कंपनी के लघु अवधि ऋणों पर 9.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण औसत ब्याज दर पर परिकलित।

13 जींद, कुरूक्षेत्र, सिरसा, कैथल तथा फतेहाबाद।

ख) हरियाणा राज्य भंडारण निगम के पांच[14] जिला प्रबंधकों में से चार जिला प्रबंधकों सिरसा, पानीपत, रोहतक और कैथल ने ₹ 6.45 करोड़ के अंतरीय बिलों को 166 से 905 दिनों के विलंब के साथ प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.60[15] लाख की अतिरिक्त ब्याज देयता हुई। जिला प्रबंधक, फतेहाबाद के मामले में, विलंब 761 से 936 दिनों की सीमा में थे जिसके कारण निगम ने ₹ 1.53 करोड़ के अंतरीय बिलों पर मार्च 2018 तक ₹ 33.80 लाख की अतिरिक्त ब्याज देयता की हानि उठाई।

अतः, मूल्य में कमी के लिए अंतरीय बिलों की विलंबित/अप्रस्तुति के कारण हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 2.39 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता की हानि उठाई।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम के संबंध में, सरकार ने बताया (नवंबर 2018) कि समय पर क्रमशः आई. और जे. फार्मों पर आढ़तियों और किसानों के हस्ताक्षर प्राप्त करने जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद के समय ही फार्म-आई. और जे. में खरीद सूचना रखना अपेक्षित है।

यह सिफारिश की जाती है कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम अपने केंद्रों में मामलों के निर्धारण के लिए ऐसा ही अभ्यास शुरू करें जहां अंतरीय दावे भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किए गए या विलंब के साथ प्रस्तुत किए गए। कंपनी/निगम को दावे प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए समय-सीमा नियत करनी चाहिए।

मामला सरकार तथा कंपनी एवं निगम को भेजा गया (अप्रैल 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

5.7 निष्फल व्यय

दोषपूर्ण योजना के कारण, ₹ 2.06 करोड़ का व्यय करने के बाद एक लिंक रोड़ के निर्माण के कार्य को छोड़ना पड़ा।

भारतीय रेलवे स्थाई वे-मैनुअल (आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम.) के अनुसार जहां केवल ग्रेड सैपरेटर (रोड़ ओवर ब्रिज/रोड़ अंडर ब्रिज) उपलब्ध करवाई जानी है उन राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों या उनके बाईपास और महत्वपूर्ण शहरी सड़कों पर कोई भी नई लेवल क्रासिंग उपलब्ध नहीं करवाई जानी है।

राज्य सरकार ने रेवाड़ी जिले में विभिन्न सड़कों की फोर-लेनिंग और नई सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया (नवंबर 2008), जिसमें अन्य सड़कों के साथ-साथ रेवाड़ी-झज्जर सड़क से रेवाड़ी-नारनौल सड़क तक पांच किलोमीटर (कि.मी.) के नए लिंक रोड का निर्माण शामिल था। नए लिंक रोड का निर्माण रेवाड़ी शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए किया जाना था। कंपनी ने उपर्युक्त लिंक रोड़ के कार्य सहित ₹ 98.04 करोड़ की लागत पर इन कार्यों को आबंटित किया (30 जनवरी 2009)। ₹ 15.54 करोड़ की लागत पर 55.66 एकड़ भूमि भी

[14] पानीपत, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा तथा रोहतक।

[15] वर्ष 2015-18 के दौरान निगम के लघु अवधि ऋण और कैश क्रेडिट लिमिट पर 9.12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण औसत ब्याज दर पर परिकलित।

उपर्युक्त लिंक रोड़ के लिए अधिगृहीत कर ली गई (मार्च 2009)। चूंकि इस सड़क पर तीन रेलवे लाईन क्रॉसिंग थी, कंपनी ने रेलवे को लेवल क्रॉसिंग उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया (16 नवंबर 2008)। तथापि, इसे ऊपर बताए गए नियम के अनुसार अस्वीकृत कर दिया गया (अगस्त 2009)। मामले का पुन: अनुसरण किया गया (जनवरी 2011 से दिसंबर 2011) परंतु रेलवे प्राधिकारियों ने फिर से मना कर दिया (जनवरी 2012) और कंपनी को रोड़ ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध किया। इस समय तक, कंपनी सड़क पर आंशिक रूप से ग्रेनलर सब-बेस, वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम (बिटुमन तल बिछाए बिना कच्चा काम) बिछाकर ₹ 2.06 करोड़ का व्यय पहले ही कर चुकी थी। इसके बाद कार्य को स्थगित रखा गया और मार्च 2014 में कार्य को छोड़ने का निर्णय लिया गया। लिंक रोड़ के अतिरिक्त, अन्य सभी सड़क निर्माण कार्य अगस्त 2013 में पूर्ण कर लिया गया। चूंकि लिंक रोड़ के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई थी, कार्य को, इस पर तीन रोड़ ओवर ब्रिज के निर्माण के प्रावधान के साथ, पुन: आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया (अप्रैल 2015), जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया (मई 2015)। तत्पश्चात निविदाएं आमंत्रित की गईं (दिसंबर 2017) और तीन रोड़ ओवर ब्रिज के प्रावधान के साथ कार्य प्रदान किया गया (जनवरी 2018)।

इस तथ्य के बावजूद कि यह आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के उल्लंघन में था, रोड़ ओवर ब्रिज की बजाय तीन स्तरीय क्रॉसिंग के प्रावधान के साथ नए लिंक रोड के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाई गई थी । लिंक रोड के लिए पहले किए गए कच्चे कार्य की स्थिति, जिसके लिए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय किया गया था, समय बीतने के साथ खराब हो गया था और इस प्रकार बेकार हो गया था। कंपनी ने नए दिए गए कार्य में पहले किए गए कार्य के लिए किसी भी तरह के क्रेडिट का दावा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, रेवाड़ी शहर की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए लिंक रोड का उद्देश्य लंबे समय तक प्राप्त नहीं हुआ।

मामला सरकार और कंपनी को भेजा गया (जून 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

5.8 सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करने के कारण हानि

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करने के कारण कंपनी ने ₹ 2.05 करोड़ की हानि उठाई।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न सड़कों और पुलों पर भार प्रतिबंधों के बारे में दिशानिदेश जारी किए (जनवरी 2013) और पुल निर्माण प्राधिकारियों से यह अपेक्षित था कि पुल और उसकी भार वहन क्षमता के विवरण प्रदर्शित करें।

कंपनी ने सोनीपत में भालौत सब-ब्रांच नहर पर ₹ 2.01 करोड़ की लागत से 100 मीट्रिक टन की क्षमता वाले एक स्टील पुल का निर्माण करवाया (अप्रैल 2016)। हालांकि, ठेकेदार और कंपनी द्वारा पुल की भार वहन क्षमता के बारे में जानकारी को पुल पर प्रदर्शित नहीं किया गया। मई 2016 में पुल की क्षमता से भी अधिक भार वाला एक मल्टीएक्सल एवं अत्यधिक लंबा वाहन इससे गुजरा और उसने पुल को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कंपनी को यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए ₹ 26.56 लाख की लागत पर एक विपथन सड़क का निर्माण करना पड़ा। कंपनी ने भविष्य में ऐसी विफलताओं को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया (जून 2016)। समिति ने अवलोकित किया कि ट्रांसपोर्टर की गलती थी क्योंकि अनुमोदित मार्ग का पालन नहीं किया गया था और सुझाव दिया कि पुल पर उसके दोनों तरफ पुल की जानकारी होनी चाहिए जो कि डिज़ाइन लोड और ऊर्ध्वाधर

निकासी का विवरण देती हो और पुल पर बड़े आकार वाले वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए पुल के दोनों ओर हैवी डयूटी हाईट गेज स्थापित किए जाने चाहिए। चूंकि, स्टील का पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, कंपनी ने इसे ₹ 5.49 लाख की लागत पर तुड़वाया और इसे स्क्रैप के रूप में ₹ 28.19 लाख में बेचा। कंपनी ने जून 2018 में ₹ 1.20 करोड़ की लागत पर एक नए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पुल का निर्माण करवाया।

इस प्रकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करके, कंपनी ने ₹ 2.05 करोड़[16] की हानि उठाई। कंपनी ने बताया (जनवरी 2019) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई अलग दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे क्योंकि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। यदि कंपनी ने वर्टिकल क्लीयरेंस बैरिकेड लगा दिया होता और पुल की जानकारी प्रदर्शित की होती तो इससे वाहन के प्रवेश को रोका जा सकता था।

मामला सरकार और कंपनी को भेजा गया (जून 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

(पूनम पाण्डेय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़
दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः

[16] ₹ 2.01 करोड़ (पुल की लागत) + ₹ 0.27 करोड़ (सड़क के विपथन की लागत) + ₹ 0.05 करोड़ (तुड़वाने की लागत) - ₹ 0.28 करोड़ (टूटे पुल का सामान, स्क्रैप के रूप में बेचने से प्राप्ति)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

नवीनतम वर्ष, जिसके लिए खातों को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश

(अनुच्छेद 1.8, 1.9 तथा 1.13 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र उपक्रम की गतिविधि और नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य [1]	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**उत्पादन**								
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	629.6	231.35	5,277.48	3,035.71	4,787.39	2,987.18	-48.53
उप-योग			**629.6**	**231.35**	**5,277.48**	**3,035.71**	**4,787.39**	**2,987.18**	**-48.53**
ख.	**पारेषण**								
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2017-18	964.83	150.95	2,006.57	2,887.13	7,847.4	3,222.98	335.85
उप-योग			**964.83**	**150.95**	**2,006.57**	**2,887.13**	**7,847.4**	**3,222.98**	**335.85**
ग.	**वितरण**								
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	1,434.72	278.24	13,686.82	6,160.73	-3,972.85	-9639.1	-15,799.83
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	914.03	134.12	13,400.13	5,063.93	-3,414.72	-8,726.44	-13,790.39
उप-योग			**2,348.75**	**412.36**	**27,086.95**	**11,224.66**	**-7,387.57**	**-18,365.54**	**-29,590.22**
सकल योग			**3,943.18**	**794.66**	**34,371**	**17,147.5**	**5,247.22**	**-12,155.38**	**-29,302.9**

परिशिष्ट 2

डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा दावा की गई और प्राप्त की गई ए.पी. सब्सिडी के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.7.2(i) में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डिस्कोम्ज द्वारा दावा की गई फील्ड ऑफिस सब्सिडी	डिस्कोम्ज द्वारा प्राप्त सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सब्सिडी	द.ह.बि.वि.नि.लि. सब्सिडी (वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	द.ह.बि.वि.नि.लि. सब्सिडी (कुल सब्सिडी प्रतिशत में)	जारी न की गई सब्सिडी में द.ह.बि.वि.नि.लि. की हिस्सेदारी	धारण लागत की ब्याज हानि
2013-14	7,065.93	5,200.00	1,865.93	1,460.33	28.08	524.01	62.88
2014-15	7,805.37	5,234.63	2,570.74	2,098.04	40.08	1,030.35	123.64
2015-16	11,193.35	6,323.35	4,477.34	2,529.34	40.00	1,948.00	243.50
2016-17	9,991.76	6,608.86	3,382.90	2,643.54	40.00	1,353.16	152.91
2017-18	11,443.81	7,600.00	4,577.52	3,040.00	40.00	1,537.52	134.69
कुल							**717.62**

परिशिष्ट 3

2013-14 से 2017-18 के दौरान कंपनी के निर्धारित राजस्व, संग्रहित राजस्व तथा संग्रहण दक्षता की स्थिति

(अनुच्छेद 2.1.10.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा इनपुट (एम.यू.)	22,056.40	24,488	24,869	25,563	28,194
2	ऊर्जा बिल (एम.यू.)	16,838.30	18,496	18,777	19,812	22,792
3	बिलिंग दक्षता के लक्ष्य (उदय) (प्रतिशत में)	शून्य	शून्य	72.68	76.75	80.77
4	बिलिंग दक्षता (2*100/1)	76.34	75.53	75.51	77.50	80.84
5	वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	3,594.94	4,460.18	5,330.55	6,358.57	7,046.50
6	वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व/बिल बनाया गया	10,346.32	11,745.87	13,153.64	13,583.83	14,386.38
7	वसूली के लिए देय कुल राशि (5+6)	13,941.26	16,206.05	18,484.19	19,942.40	21,432.88
8	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	8,945.07	10,403.87	11,509.08	12,243.90	13,451.15
9	पिछले वर्ष वसूल की गई राशि	536.01	470.55	616.54	652.00	649.02
10	वसूल की गई कुल राशि (8+9)	9,481.08	10,874.42	12,125.62	12,895.90	14,100.17
11	वर्ष के अंत में बकाया शेष (7-10)	4,460.18	5,331.63	6,358.57	7,046.50	7,332.71
12	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत संग्रहण दक्षता का लक्ष्य	98.00	98.5	99	99	99
13	वर्ष के दौरान निर्धारित कुल राशि से वसूल की गई कुल राशि की प्रतिशतता (10*100/7)	68.01	67.10	65.60	64.67	65.79
14	निर्धारण महीनों की संख्या के संदर्भ में बकाया (11*12/6)	5.17	5.45	5.80	6.22	6.12

परिशिष्ट 4

2013-14 से 2017-18 के दौरान सतर्कता और परिचालन विंग द्वारा जाँच किए गए उपभोक्ता परिसरों की संख्या, पता लगाए गए बिजली की चोरी के मामलों और वसूले गए राजस्व को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.10.2 में संदर्भित)

(राशि: ₹ लाख में)

वर्ष	उपभोक्ताओं की संख्या	द्वारा (विंग) की गई जाँच	जाँच किए गए कनेक्शन			आकलित राशि	आकलित औसत राशि	वसूली गई राशि	वसूली (प्रतिशत)	चेकिंग कवरेज (प्रतिशत)
			संख्या	चोरी का पता चला	पता लगाई गई चोरी का प्रतिशत					
2013-14	28,33,132	परिचालन	1,07,561	21,131	19.65	4,347.47	0.21	2,571.31	59.14	4.00
		सतर्कता	5,865	2,633	44.89	2,355.53	0.89	911.3	38.69	
		कुल	**1,13,426**	**23,764**	**20.95**	**6,703**	**0.28**	**3,482.61**	**51.96**	
2014-15	29,26,294	परिचालन	1,14,813	15,352	13.37	3,242.78	0.21	2,139.418	65.97	3.99
		सतर्कता	1,837	921	50.14	1,476.33	1.60	407.69	27.62	
		कुल	**1,16,650**	**16,273**	**13.95**	**4,719.11**	**0.29**	**2,547.108**	**53.97**	
2015-16	30,24,921	परिचालन	92,516	23,105	24.97	6,057.31	0.26	2,917.64	48.17	3.15
		सतर्कता	2,696	1,799	66.73	4,776.47	2.66	998.57	20.91	
		कुल	**95,212**	**24,904**	**26.16**	**10,833.78**	**0.44**	**3,916.21**	**36.15**	
2016-17	31,27,872	परिचालन	95,106	39,826	41.88	8,758.87	0.22	3,718.98	42.46	3.11
		सतर्कता	2,143	1,449	67.62	1,346.63	0.93	521.94	38.76	
		कुल	**97,249**	**41,275**	**42.44**	**10,105.5**	**0.24**	**4,240.92**	**41.97**	
2017-18	31,60,488	परिचालन	1,16,854	54,719	46.83	15,632.66	0.29	7,949.02	50.85	3.76
		सतर्कता	2,046	1,408	68.82	1,041.93	0.74	391.43	37.57	
		कुल	**1,18,900**	**56,127**	**47.21**	**16,674.59**	**0.30**	**8,340.45**	**50.02**	

परिशिष्ट 5

31 मार्च 2018 को राज्य सा.क्षे उ. (पावर सेक्टर के अलावा) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाना

(अनुच्छेद 4.3 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2017-18की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क	**सामाजिक क्षेत्र**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्गकल्याण	02-जनवरी-71	26.14	23.92		50.06			8.21	8.21
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्गकल्याण	10-दिसंबर-80	42.87			42.87			60.84	60.84
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	महिलाएवं बाल विकास	31-मार्च-82	15.51	1.1		16.61				0
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषिएवं किसान कल्याण विकास हरियाणा	12-सितंबर-74	2.76	1.13	1.11	5				0
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	कृषिएवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा	27-मार्च-74	1.36		0.2	1.56				0
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषिएवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा	30-मार्च-67	2.54	1.6		4.14			4.96	4.96
कुल क-I				**91.18**	**27.75**	**1.31**	**120.24**	**0**	**0**	**74.01**	**74.01**
	II. सांवधिक निगम										
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	कृषि	01-नवंबर-67	2.92	2.92		5.84			74.86	74.86
कुल क-II				**2.92**	**2.92**	**0**	**5.84**	**0**	**0**	**74.86**	**74.86**

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2017-18की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	कृषि	09-जनवरी-70	10.89			10.89	0.98			0.98
9	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगमलिमिटेड	उद्योग	19-जून-00	-	-	-	-	-	-	-	0
कुल क-III				**10.89**	**0**	**0**	**10.89**	**0.98**	**0**	**0**	**0.98**
कुल क (I+II+III)				**104.99**	**30.67**	**1.31**	**136.97**	**0.98**	**0**	**148.87**	**149.85**
ख	**प्रतिस्पर्धी माहौल में सा.क्षे.उ.**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	वन	07-दिसंबर-89	0.2			0.2				0
11	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	08-मार्च-67	48.85			48.85			5274.22	5274.22
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	13-मई-99	122.04			122.04				0
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं लोक संर्पक	01-मई-74	30.92			30.92				0
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	15-मई-82	9.9			9.9				0
15	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	08-मार्च-95			0.5	0.5				0
16	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	14-फरवरी-96			14.72	14.72				0
17	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	उद्योग	27-दिसंबर-16			0.1	0.1				0
18	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	30-सितंबर-16	0.05		0.05	0.1				0
19	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	05-सितंबर-17			50	50				0
कुल ख-I				**211.96**	**0**	**65.37**	**277.33**	**0**	**0**	**5274.22**	**5274.22**

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2017-18की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
	II. सांवधिक निगम										
20	हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	01-अप्रैल-67	202.01		5.65	207.66	0	0	0	0
कुल ख-II				**202.01**	**0**	**5.65**	**207.66**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
21	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	उद्योग	29-नवंबर-73	2.9	-	3.95	6.85	1.39	-	2.3	3.69
22	हरियाणा खनिज लिमिटेड	खदान एवं भू-विज्ञान	02-दिसंबर-72	-	-	0.24	0.24	-	-	0	0
कुल ख-III				**2.9**	**0**	**3.95**	**6.85**	**1.39**	**0**	**2.3**	**3.69**
कुल ख (I+II+III)				**416.87**	**0**	**74.97**	**491.84**	**1.39**	**0**	**5276.32**	**5277.91**
ग	**अन्य**										
23	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	05-जून-14	5			5				0
24	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	परिवहन	27-नवंबर-87	6.75			6.75				0
25	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकासनिगमलिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	22-अगस्त-17	4.08	3.92		8				0
26	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	29-दिसंबर-89	25			25			337.50	337.50
27	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	24-मार्च-12	0.51		0.49	1				0
कुल ग				**41.34**	**3.92**	**0.49**	**45.75**	**0**	**0**	**337.50**	**337.50**
	कुल क+ख+ग			**563.2**	**34.59**	**76.77**	**674.56**	**2.37**	**0**	**5614.02**	**5765.26**

परिशिष्ट 6

31 मार्च 2018 को इक्विटी, ऋणों और गारंटी के शेषों के संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लेखाओं के मध्य अंतर को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.7 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

	हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार			अंतर		
सा.क्षे.उ. का नाम	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	5.46	4.96	2.54	0	0	0	5.46	
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	0.73	0	1.37	0	0	0	0.73	
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.76	0.21	0	2.76	0	0	0	0.21	
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.20	0	0	0.2	0	0	0	0	
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	26.14	0.38	8.21	26.14	0	9.3	0	0.38	
हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	42.87	0	61.7	42.87	0	60.84	0	0	
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	15.51	0	0	15.51	0	0	0	0	
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	72.41	0	2,356.48	48.85	0	2,356.48	23.56	0	
हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	25	0	337.5	25	0	850	0	0	-
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	122.04	0	0	122.04	0	0	0	0	
हरियाणा रेल मूलभूत संरचना लिमिटेड	8	0	0	4.08	0	0	3.92	0	
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	30.92	0	0	30.92	0	0	0	0	
रिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	6.7	0	0	6.75	0	0	-0.05	0	
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	9.89	0	0	9.89	0	0	0	0	
हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	
गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	
हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	0.51	0	0	0.51	0	0	0	0	

		हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार			अंतर		
क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	5.00	0	0	5	0	0	0	0	0
19	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2.92	0	74.86	2.92	0	74.86	0	0	0
20	हरियाणा वित्तीय निगम	202.01	0	0	202.01	0	0	0	0	0
21	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम	10.89	176.31	0	10.89	215.15	0	0	-38.84	0
22	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	0	0	0	2.9	1.39	0	-2.9	-1.39	0
24	हरियाणा खनिज लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0
27	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**587.68**	**183.09**	**2,843.71**	**563.15**	**216.54**	**3,326.34**	**24.48**	**-33.45**	**-507.77**

परिशिष्ट 7

कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), जिनके लेखे बकाया की अवधि के दौरान बकाया में हैं, में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.8.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अंतिमकृत किए गए	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया मेंहैं	अंतिमकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिनके लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	**कार्यरत सरकारी कंपनियां**							
1	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.56				8.72
2	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00				35.08
3	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.20			0.50	
4	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	48.11	1.00	-	-	6.75
			2016-17		-	-	-	80.27
			2017-18		-	-	-	18.49
5	हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	22.47	1.25	-	-	3.50
			2015-16		13.24			3.50
			2016-17		2.17	-	-	44.44
			2017-18		2.50			5.25
6	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	16.61	-	-	-	2.10
			2015-16		-	-	-	2.10
			2016-17		-	-	-	2.50
			2017-18					6.80
7	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	48.84	0.01	-	-	6.95
8	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	25.00	-	-	68.00	-
			2015-16		-	-	72.46	-
			2016-17				77.03	-
			2017-18				90.09	
9	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	24.66	4.81	-	21.05	
			2016-17		0.93	-	35.83	-
			2017-18		1.12	-	16.72	-
	कुल क (कार्यरत सरकारी कंपनियां)			**192.45**	**27.03**	**0.00**	**381.68**	**226.45**
ख	**कार्यरत सांविधिक निगम**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल ख (कार्यरत सांविधिक निगम)			00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग (क + ख)			**192.45**	**27.03**	**0.00**	**381.68**	**226.45**

परिशिष्ट 8

नवीनतम वर्ष,जिसके लिए लेखाओं को अंतिमकृत किया गया था, के लिए राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद 4.11, 4.13 तथा 4.18 में संदर्भित)

क्र. सं.	पी.एस.यू. का क्षेत्र, टाइप और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	**सामाजिक क्षेत्र**									
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां									
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2017-18	1.12	0.87	1.61	48.11	63.98	56.33	8.22
		2014-15	2018-19	0.93	0.73	1.30	48.11	61.42	57.05	8.94
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2017-18	0.68	-0.79	3.57	22.47	37.63	9.71	-12.76
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2017-18	-0.26	-0.26	3.60	16.61	15.88	15.88	-1.60
		2013-14	2017-18	-0.19	-0.19	4.31	16.61	15.69	15.69	-1.79
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-1.79	-5.75	111.60	5.00	6.54	6.54	1.54
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	0.83	0.51	90.56	1.56	8.54	8.54	6.98
		2016-17	2017-18	-0.68	-0.84	57.44	1.56	7.70	7.70	6.14
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	87.94	0.92	2,131.60	4.14	-98.67	-117.71	-121.85
कुल क-I				**86.89**	**-5.92**	**2,309.82**	**97.89**	**30.31**	**-21.02**	**-119.78**
II. सांविधिक निगम										
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2016-17	2017-18	58.32	28.64	86.29	5.84	87.46	5.84	0.00
कुल क-II				**58.32**	**28.64**	**86.29**	**5.84**	**87.46**	**5.84**	**0.00**

क्र. सं.	पी.एस.यू. का क्षेत्र, टाइप और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां									
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	-0.34	-0.34	0.00	10.89	-342.68	-342.68	-353.57
		2016-17	2017-18	-0.71	-0.71	0.00	10.89	-343.39	-343.39	-354.28
9	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	31 अगस्त 2001 तक	2003-04	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल क-I				**-0.71**	**-0.71**	**0.00**	**10.89**	**-343.39**	**-343.39**	**-354.28**
	कुल क (I+II+III)			**144.50**	**22.01**	**2396.11**	**114.62**	**-225.62**	**-358.57**	**-474.06**
ख.	**प्रतिस्पर्धी माहौल में सा.क्षे.उ.**									
I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	4.97	3.32	69.66	0.20	49.04	49.04	48.84
		2016-17	2018-19	-0.789	-0.8	42.37	0.20	48.24	48.24	48.04
11	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	559.38	92.24	1,688.86	48.84	5,148.98	1,424.36	1,273.51
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	59.31	24.32	41.85	122.04	185.91	185.91	63.87
		2016-17	2018-19	31.69	10.78	0.80	122.04	214.69	214.69	92.65
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	1.06	0.03	294.81	24.06	51.52	51.52	27.46
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.06	2.08	32.90	9.90	83.52	83.52	73.62
15	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.32	0.16	0.65	0.50	4.08	4.08	3.58
16	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	2015-16	2017-18	-1.02	-0.92	0.97	14.72	28.81	28.81	13.04
		2016-17	2017-18	2.19	1.79	0.69	14.72	30.60	30.60	14.83
17	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
		2017-18	2018-19	0.004	0.004	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
18	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड									
19	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड									
	कुल ख-I			**598.92**	**106.28**	**2,061.08**	**220.36**	**5,581.73**	**1,857.11**	**1,533.69**

क्र. सं.	पी.एस.यू. का क्षेत्र, टाइप और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. सांविधिक निगम										
20	हरियाणा वित्तीय निगम	2016-17	2017-18	-3.80	-3.84	3.11	207.66	98.60	98.60	-109.06
कुल ख-II				**-3.80**	**-3.84**	**3.11**	**207.66**	**98.60**	**98.60**	**-109.06**
III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
21	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	1997-98	1998-99	-7.97	-7.97	0.00	6.85	-16.64	-20.33	-27.18
22	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2016-17	2018-19	-0.03	-0.03	0.00	0.24	-4.75	-4.75	**-7.55**
कुल ख-III				**-8.00**	**-8.00**	**0.00**	**7.09**	**-21.39**	**-25.08**	**-34.73**
	कुल ख-(I+II+III)			**587.12**	**94.44**	**2,064.19**	**435.11**	**5,658.94**	**1,930.63**	**1,389.90**
ग	**अन्य**									
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां									
23	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-1.5	-1.5	0.00	5.00	3.50	3.50	-1.50
		2015-16	2018-19	1.39	1.27	3.09	5.00	4.77	4.77	-0.23
24	हरियाणा परिवहन अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	2.5	1.57	102.15	6.60	24.24	24.24	17.64
		2015-16	2018-19	2.29	0.37	55.21	6.60	24.61	24.61	18.01
25	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.07	-0.08	0.00	8.00	8.13	8.13	0.13
26	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	21.49	0.08	45.43	25.00	209.20	25.35	0.35
27	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.06	0.12	0.49	1.00	0.97	0.97	-0.03
कुल ग				**25.16**	**1.76**	**104.22**	**45.60**	**247.68**	**63.83**	**18.23**
	कुल(क+ख+ग)			**756.78**	**118.21**	**4564.52**	**595.33**	**5681.00**	**1634.88**	**934.07**

परिशिष्ट 9

21 सा.क्षे.उ., जिनमें 2013-14 से 2017-18 तक निवेश किए गए, के संबंध में वर्ष 1999-2000 से 2017-18 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश के वर्षवार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.16 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क.	**सामाजिक क्षेत्र**																			
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	28.17	28.67	29.17	15.69	15.94	17.13	18.64	20.29	21.69	23.49	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	26.14	26.14
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	7.91	8.31	8.51	8.96	9.46	9.96	11.16	12.66	13.66	16.07	17.58	19.52	20.52	21.52	22.77	24.97	38.2	40.37	42.87
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	3.85	4.10	4.15	4.65	5.00	6.20	9.34	12.48	14.81	15.51	15.51	16.61	16.61	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.76	2.76	2.76	2.90	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	1.37	1.37	1.56	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.37	1.37
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
7	हरियाणा भण्डारण निगम	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89
	कुल क	**32.24**	**61.06**	**61.81**	**63.59**	**50.63**	**52.58**	**58.11**	**64.26**	**69.24**	**73.75**	**77.06**	**81.75**	**82.75**	**82.65**	**83.90**	**86.09**	**100.33**	**102.50**	**105.00**
ख.	**प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र**																			
9	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.60	0.60	0.61	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.2	0.2
10	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	62.75	62.84	62.86	67.81	67.82	67.82	70.68	70.69	70.69	70.69	70.70	70.70	70.70	48.82	48.82	48.84	48.84	48.84	48.85

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
11	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	-	7.88	26.94	47.60	70.60	70.60	113.70	113.70	113.70	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	12.71	14.40	15.53	16.59	18.05	18.58	19.86	19.86	20.19	20.19	20.19	21.4	21.46	21.46	22.46	24.06	28.86	29.79	30.92
13	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	7.74	7.74	7.81	7.81	7.81	7.81	7.82	8.82	8.83	9.83	9.84	9.85	9.86	9.86	9.88	9.89	9.90	9.90	9.90
14	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
15	हरियाणा वित्तीय निगम	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	28.28	33.28	99.03	179.90	181.35	181.85	201.86	201.86	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01
16	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
	कुल ख	**111.98**	**121.64**	**141.93**	**168.19**	**192.66**	**193.19**	**243.44**	**249.45**	**315.54**	**405.75**	**407.22**	**408.94**	**429.02**	**407.14**	**408.31**	**409.94**	**414.75**	**415.68**	**416.87**
	ग. अन्य																			
17	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00
18	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	6.20	6.40	6.40	6.60	6.60	6.60	6.60	6.65	6.65	6.75
19	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08
20	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	18.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
21	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50
	कुल ग	**20.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**29.00**	**29.00**	**30.00**	**31.20**	**31.40**	**31.40**	**31.60**	**31.60**	**32.11**	**37.11**	**37.16**	**37.16**	**41.33**
	सकल योग	**164.22**	**209.70**	**230.74**	**258.78**	**270.29**	**272.77**	**330.55**	**342.71**	**414.78**	**510.70**	**515.68**	**522.09**	**543.37**	**521.39**	**524.32**	**533.14**	**552.24**	**555.34**	**563.20**

शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ए.सी.डी.	अग्रिम खपत जमा
ए.सी.एस.	आपूर्ति की औसत लागत
ए.सी.एस.आर.	एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड
ए.जी.एम.	वार्षिक आम बैठक
ए.एम.आर.	आटोमेटिक मीटर रीडर
ए.पी.	कृषि पंपसेट
ए.आर.आर.	कुल राजस्व आवश्यकता
ए.टी. एंड सी.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
ए.टी.एन.	एक्शन टेकन नोट्स
बी.एच.पी.	ब्रेक हॉर्स पावर
बी.ओ.सी.डब्ल्यू.	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल
सी.ए.जी.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.)
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सी.ए.	चार्टर्ड लेखाकार
सी.जी.डब्ल्यू.ए.	केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण
सी.एम.आर.	कस्टम मिल्ड चावल
सी.एम.आर.आई.	कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट
सी.एम.एस.	कैश प्रबंधन प्रणाली
कोपू	सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू)
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डिस्कोम्ज	वितरण कंपनियां (डिस्कोम्ज)
डी.एम.	जिला प्रबंधक
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.एस.	घरेलू आपूर्ति
डी.टी.	वितरण ट्रांसफार्मर
ई.बी.आई.टी.	ब्याज एवं करों से पहले कमाई
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.आई.	वित्तीय संस्थान
एफ.एस.सी.	किसान सेवा केंद्र
जी.बी.आई.	जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव
जी.ओ.एच.	हरियाणा सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.पी.आर.एस.	जनरल पैकेट रेडियो सर्विसिज
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलु उत्पाद

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एच.ए.आई.सी.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
हारट्रोन	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा बिजली विनियामक आयोग
एच.एफ.सी.	हरियाणा वित्तीय निगम
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.पी.पी.सी.	हरियाणा बिजली खरीद केंद्र
एच.आर.ई.सी.	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम
एच.टी.	हाई-टेंशन
एच.टी. ए.बी.	हाई टेंशन एरियल बंचड
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आईडिया	इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एंड एनालाइसिस
आई.एम.एस.	माल सूची प्रबंधन प्रणाली
इरेडा	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम.	भारतीय रेलवे स्थाई वे-मैनुअल
के.एल.	किलोलीटर
के.एम.	किलोमीटर
के.एम.पी.	कुंडली मानेसर पलवल
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सीजन
के.वी.	किलो वोल्ट
के.डब्ल्यू.	किलो वाट
के.डब्ल्यू.एच.	किलो वाट घंटा
एल.टी.	लो-टेंशन
एम.ए.एस.	कार्य स्थल पर सामग्री
एम.डी.	प्रबंध निदेशक
एम.एम.	माल प्रबंधन
एम.एम.सी.	न्यूनतम मासिक प्रभार
एम.एन.आर.ई.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एम.ओ.आर.टी एंड एच.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.टी.	मीट्रिक टन

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एम.यू.	मिलियन यूनिट
एन.ए.बी.एल.	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।
एन.सी.आर.पी.बी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एन.डी.एस.	गैर-घरेलु आपूर्ति
एन.ई.एफ.टी.	निधि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का तरीका
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण नोटिस
पी.ए.	निष्पादन लेखापरीक्षा
पी.ए.टी.	पायलट एडवांस्ड ट्रांसफॉर्मर
पी.ओ.	खरीद आदेश
पी.पी.ए.	बिजली खरीद समझौता
पी.एस.एम.जी.	परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)
पी.वी.	वर्तमान मूल्य
क्यू.ए.पी.	गुणवत्ता आश्वासन योजना
आर-ए.पी.डी.आर.पी.	पुनः संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम
आर.डी.एस.	ग्रामीण घरेलु आपूर्ति
आर.एम.एस.	रबी मार्केटिंग सीजन
आर.ओ.बी.	रोड़ ओवर ब्रिज
आर.ओ.सी.ई.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आर.ओ.ई.	इक्विटी पर रिटर्न
आर.ओ.आर.	रिटर्न दर
आर.टी.जी.एस.	निधि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का तरीका
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.ई.	अधीक्षक अभियंता
एस.टी.एल.	लघु अवधि ऋण
यू.डी.ए.वाई. (उदय)	उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in